लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, सोमवार, 4 दिसम्बर, 1972/13 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 15, Monday, December 4, 1972 Agrahayan, 13

पोलैंड के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत — Welcome to Polish Parliamentary Delegation

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
284	सामुदायिक विकास खण्डों में नलकूपों के रखरखाव और मरम्मत सम्बन्धी सेवा	Tubewell Maintenance and repair service in community development Blocks	1-3
285	नेशनल स्कूल्स आफ परफारमिंग आर्ट्स की स्थापना	Setting up of National Schools of performing arts	4-5
286	एण्टीबायेटिक औषधियों के प्रभाव से मुक्त टाइफाइड वाइरस	Typhoid virus immune to anti-biotics	5-6
289	राज्यों में नये सेंट्रल लैप्रोसी टीचिंग एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट्स (केन्द्रीय कुष्ठ अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थानों) की स्थापना	Setting up of new central Leprosy teaching and Research Institutes in States	6—8
290	पालिटेक्निक्स को शैक्षिक स्वायत्ता देना	Academic autonomy to polytechnics	8—10

किसी नाम पर अंकित यह — इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य के वास्तव में पूछा था।

The sign —+ marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
292	आदिवासियों के लिये मध्य प्रदेश में केन्द्रीय अनुदानों से चल रहे स्कूल	Schools for Adivasis in M.P. Running with Central Grants	10—12
293	दिल्ली के अस्पतालों में कारोनरी (हृदय धमनी) उपचार युनिट	Coronary care Units in Delhi Hospitals	13—15
295	पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी में कमियों का दूर किया जाना	Removal of deficiencies in Shanker Garden Colony of West Delhi	15—16
296	खाद्यय तथा खाद्यय उत्पादों की वसूली तथा भाण्डागार सुविधाओं में सरकारी एजेंसियों की असफलता	Government Agencies' Failure in procurement and storage facilities of Food and Edible Products	16—17
297	भण्डार सुविधाओं के अभाव में खाद्यान्नों को क्षति तथा समस्या को हल करने के लिये की गई कार्यवाही	Damage of Foodgrains due to lack of Storage and steps taken to tackle the the Problem	17—18
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTION	
	ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
281	देश में उचित मूल्य की दुकानों में चीनी का सामान विक्रय मूल्य	Uniform Sale Price of Sugar at Fair Price Shops in the country	18
282	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई में वृद्धि	Increase in supply of Milk by Delhi Milk Scheme	18
283	अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता ।	Blood Requirements of Hospitals	18—20
287	भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिये समय वद्ध कार्यक्रम	Time bound programme for implementation of Land Reforms	20—21
288	नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट	Kapurthala Plot in New Delhi	21
291	आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने की योजना	Scheme to encourage Ayurvedic System of Medicine	22
294	नगरपालिका प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये केन्द्रों की स्थापना करना	Setting up of Centres for Training and Research in Municipal Administration	23
298	अन्तर्देशीय समुद्री परामर्शदाता संगठन के लंदन में हुए परिषद्–सत्र में भारत का भाग लेना	India's participation in Council Session of Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation held in London	23—24

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
299	केरल के लिये अकाल राहत योजनायें	Famine relief scheme for Kerala	24—25
300	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में की गई सिफारिशें ।	Recommendations made at the Central Advisory Board of Education Meeting	25
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
2792	अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता सोसायटी, नई दिल्ली के लखे की जांच	Inspection of the accounts of All India Blind Relief Society, New Delhi	26
2793	15 से 59 वर्ष के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये मार्गदर्शी परियोजना	Pilot Project to provide Employment to persons between 15 and 59 years of age	27—28
2794	मध्य प्रदेश में होशंगाबाद तथा पूर्वी निमाड में भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Survey of underground water in Hoshangabad and East Nimar, M.P.	29
2795	पांचवीं योजना के दौरान बन्य जीवन के विकास के लिये योजना	Scheme for Wild Life Development during Fifth Plan	30
2796	दिल्ली में स्कूलों का खोला जाना	Opening of Schools in Delhi	30
2797	दिल्ली की कुछ बस्तियों में दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण/ केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय	M.C.D./D. D. A./C. G. H. S. Dispensary in certain colonies of Delhi	30—31
2798	दिल्ली में रोहतक रोड़ स्थित गोल्डन पार्क बस्ती को नियमित करना	Regularisation of Golden Park Colony on Rohtak Road, Delhi	31
2799	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह लिये केरल विश्वविद्यालय संघ की योजना	Kerala University Union Scheme for Inter-University Youth Festival	31—32
2800	एकीकृत पुस्तकालय योजना के अधीन मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to M.P. under Integrated Library Scheme	32
2801	नारी निकेतनों के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान	Central Government grant to M.P. for Nari Niketans	32—33
2802	भूख से पीड़ित एक आदिवासी द्वा अप ने बच्चों का कथित विक्रय	Alleged sale of children by a starving Adivasi	33

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2803	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to S.C./ S.T. employees	33-34
2804	दिल्ली परिवहन निगम और गैर सरकारी संचालकों के पास बसों की संख्या तथा इन में भीड़-भाड़	Number of buses with D.T.C. and Private Operators and their over-crowding	34-35
2805	सैनिक अधिकारियों को आवंटित भूमि को अधिकतम सीमा कानून से मुक्त करना	Exemption of Land allotted to Army officers from Ceiling Laws	35
2806	वर्ष 1971–72 में भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि तथा उसके कारण	Loss incurred by F.C.I. during 1971-72 and causes therefor	35-36
2807	ग्रामीणों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की योजना	Scheme to provide Scientific Modern Medical Aid to villagers	36
2808	कृषि, मत्स्य पालन तथा पशु चिकित्सा विषयों का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों/जन जातियों के छात्रों को छात्र वृत्तियां	Scholarship to Scheduled Castes/Tribes students studying agriculture, fisheries and Veterinary	37
2809	मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	37
2810	पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ के परिसर में स्थित एक नवनिर्मित भवन की क्षति	Damage to a Newly-Built Building at the Punjab University Campus, Chandigarh	38
2811	त्रिपुरा के आदिवासियों द्वारा भारतीय बन अधिनियम का उलंघन	Violation of Indian Forests Act by Tribals of Tripura	38
2812	कुछ सहकारी कताई मिलों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	Centrally-sponsored Scheme for some Co- operative Spinning Mills	38-39
2813	मितव्ययता करने के लिये राज्यों को अनुदेश	Instructions to States to observe austerity	39-40
2814	त्रिपुरा में झुमिया आदिवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tribal Jhumias in Tripura	40
2815	बेरोजगारी दूर करने सम्बन्धी 'द्रुत कार्यक्रम'	Crash Programme to remove unemployment	40-41

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2816	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बिहार को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Bihar increasing Agricultural Production	41
2817	कृषि विकास के लिये राज्यों को केन्द्रीय सरकार के अनुदान	Grants from the centre to states for development of agriculture	42-44
2818	पश्चिम बंगाल में स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिये खर्च की गई राशि	Amount spent for upgrading schools in West Bengal	44
2819	लारेन्स रोड वेलफेयर एसोसियेशन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को ज्ञापन	Submission of memorandum by Lowrence Road Welfare Association to D.D.A.	45
2820	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का दर्जा	Status of Indian Council of Agricultural Research	45-46
2821	शहरी भूमि के मूल्यों को नीचे लाने के लिये उपाय	Steps to bring down prices of urban land	46
2822	शहरी भूमि के मूल्यों के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on price of urban land	46-47
2823	पश्चिम बंगाल में 11 बर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समाप्त पर केन्द्रीय व्यय	Central expenditure on abolishing 11 year Higher Secondary system in West Bengal	47
2824	सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के एम० बी० जालाजाद में अग्निकांड की जांच	Enquiry into fire in 'M.V. Jalazad' of Scindia Steam Navigation Co. Ltd.	48
2825	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रवैये पर संस्थान के वैज्ञानिकों में रोष	Resentment among Scientists of I.A.R.I. on the attitude of its Director-General	48-49
2826	संसद भवन स्थित दिल्ली दुग्ध योजना काउटर से घी के वितरण के बारे में शिकायतें	Complaints regarding distribution of Ghee from D.M.S. counter in Parliament House	49
2827	अस्पृश्यता निवारण	Removal of Untouchability	49-50
2828	छोटा नागपुर में कृषि विकास	Agricultural development in Chotanagpur	50-51
2829	दुग्ध उत्पादों के आर्थिक पहलू	Economics of Milk made products	51

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2830	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपायों को स्थगित करना	Postponement of measures re: Ceiling on Urban property	51
2831	मद्य निषेध नीति का उदार बनाया जाना	Liberalisation of Prohibition Policy	51—52
2832	स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती वर्ष में भारत भवनों की स्थापना	Establishment of 'Bharat Bhavana' during the 25th year of Anniversary celebrations	52
2833	उत्तरी राज्यों में काम कर रही सहायक नर्सों तथा दाईयों की रहने की परिस्थितियां	Living conditions of Auxiliary Nurses and Midwives serving in Northern States	53
2834	बुद्ध जयन्ती पार्क नई दिल्ली में भगवान बुद्ध की मूर्ति के लिये शेड और शिलालेख की व्यवस्था	Shade and inscriptions for the statue of Lord Buddha in Buddha Jayanti Park, New Delhi	53
2835	कानपुर की एक फ्लोर मिल द्वारा धन का गबन	Misappropriation of money by a flour Mill in Kanpur	53
2836	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था की पशुपालन के माध्यम से रोजगार की योजना	Scheme of Employment by National Dairy Research Institute through Animal Husbandry	54
2837	प्रधान मंत्री के निवास के लिये निर्धारित मकान	House earmarked as residence of Prime Minister	55
2839	रूस और अमरीका से हैलीकाप्टरों की खरीद	Purchase of Helicopters from U.S.S.R. and U.S.A.	55
2841	गुजरात में तटीय राजपथ का पूरा किया जाना	Completion of Coastal Highway in Gujarat	55—56
2842	कश्मीर में पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क बनाना	Establishment of Mountain National Parks in Kashmir	56—57
2843	खजूर के तेल का आयात	Import of Date Oil	57
2844	खाद्यान्न में राज सहायता	Food subsidy	57
2845	पटना से इलाहाबाद तक गंगा नदी में स्टीमर मार्ग	Steamer route from Patna to Allahabad in river Ganga	57—58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2846	देहातों में अनधिकृत रिहायशी स्थानों को मान्यता देना	Recognition of squatting rights of Rural Dwellings	58
2847	छोटी देशीय किश्तियों का आधुनिकीकरण करने और गुजारे के साधन के रूप में किश्ती का उपयोग करने की योजना	Schemes for modernisation of Small Country Boats and use of boats as a means of subsistence	58—59
2848	खाद्य ज़ोनों सम्बन्धी नीति	Policy of food zones	59
2849	भारत में पोलियों वैकसीन का उत्पादन	Production of Polio Vaccine in India	59
2850	20 वर्षीय सड़क विकास योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण और सड़क विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति	Progress achieved in Road Construction and Road Development under 20 year Road Development Plan	60
2851	सरकारी बस्तियों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Medicines in C.G.H.S. Dispensaries in Government Colonies	60—61
2852	कोणार्क मंदिर में फ्लड लाइट लगाने के लिये कार्य	Work for flood lights at Konarak temple	61
2855	बिहार में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों का खपाया जाना	Absorption of N.D.S. Instructors in Bihar	61—62
2857	भारतीय नौवहन निगम के चेयरमैन का नौवहन निगम की प्रगति पर वित्तीय नीति के प्रभाव सम्बन्धी मत	View of Chairman, Shipping Corporation of India regarding effect of Fiscal Policy on the Growth of the Corporation	62
2858	औषधियों और मादक पदार्थों का छात्रों द्वारा प्रयोग	Use of drugs and Narcotics by students	62—63
2859	मध्य प्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि	Increase in the population growth in Madhya Pradesh	63—64
2860	वर्ष 1971—72 में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम पर किये गये अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of excess expenditure on crash programme for rural employment during 1971-72	64—65
2861	बेपुर पत्तन के विकास के सम्बन्ध में परियोजन प्रतिवेदन	Project report on development of Beypore Port	65

अता० प्र० सख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2862	केरल स्थित मीन्डकारा मत्स्य बंदरगाह के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Neendakara Fishing Harbour, Kerala	65-66
2863	केरल गैर सरकारी वन (विधायन तथा सौंपना) अधिनियम को संविधान की अनुसूची में शामिल करना।	Inclusion of Kerala Private Forests (Vesting and assignment) Act in Schedule of the Constitution	66
2864	भूमिहीन कृषकों की संख्या	Number of landless agriculturists	66-67
2865	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के मकानों के निर्माण के लिये सरकारी तथा अन्य एजेंसियों द्वारा ऋण दिया जाना	Grant of loan by Government and other Agencies for construction of Houses of S.C./S.T.	67
2866	रूस से मालवाहक जहाजों की खरीद	Purchase of Cargo ships from Russia	67
2867	क्षेत्र कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) की अपर्याप्त संख्या के कारण परिवार नियोजन की धीमी प्रगति	Slow Progress in Family Planning due to inadequacy of field staff	68-69
2869	विभिन्न जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये किये गये प्रबन्ध	Arrangements for making the Dialects of various Tribes as medium of instruction	69
2870	हुजू तहसील में हरिजनों, आदिवासियों और खेतीहर मजदूरों की बेदख ी	Eviction of Harijans, Adivasis and Agricultural Labour in Hujoo Tehsil	70
2871	बन्धक बालमजदूर	Bonded Child Labour	70
2872	दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में जालसाजी	Rackets in Public Schools in Delhi	70
2873	लघु पत्तन विकास के लिये योजनाएं	Schemes for Minor Port Development	71
2874	राज्यों में सड़क विकास कार्यों का अनुमोदन	Approval of Road Development Works of States	72
2875	गैर विद्यार्थी युवा वर्ग के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यय किया गया धन	Amount spent on National Programme for non-student Youth	72-73
2876	गैर सरकारी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिये विकास और सुधार पर बचत	Saving on development and improvement of non-government Engineering and Technological Institutions	73

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2877	नई दिल्ली में इंडिया गेट के चौराहे का विकास	Development of India Gate crossing, New Delhi	73
2878	नई दिल्ली की लोदी कालोनी में टाइप तीन और चार के क्वार्टरों के सामने के बरामदे में शीशेदार खिड़की लगाना	Glazing of Front Verandah of Type III and IV Quarters in Lodi Colony, New Delhi	73-74
2879	खुरवाले पशुओं का आयात	Import of hoofed cattle	74-75
2880	मंत्रियों के लिये आवास तथा फर्नीचर का परिमाण	Accommodation and scale of furniture for Ministers	75-76
2881	बड़े पत्तनों के विकास के लिये योजना	Plan for development of Major Ports	76
2882	राष्ट्रीय परिवहन पद्धति का नवीकरण	Reorientation of National Transport System	76-77
2883	अधिक दरी के अन्तर्राज्जीय यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिये राज्यों में समझौता	Agreement between States to facilitate long distance Inter-State traffic	77-78
2884	नगरीय क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme for unban areas	78-79
2885	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा कपास के उत्पादन में वृद्धि की योजना	Scheme to step-up cotton yield by National Co-operative Development Corporation	79
2886	पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण कार्यों का स्थगित किया जाना	Suspension of building activities by D.D.A. in Shanker Garden Colony of West Delhi	80
2887	नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल को अनुदान	Grant to the Willingdon Hospital, New Delhi	80-81
2888	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना और मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत केरल में बनाये गये मकान	Houses built in Kerala under the subsidised Industrial Housing Scheme and Middle Income-Group Housing Scheme	81
2889	फेरोकेएर्णाकुलम राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास	Development of Feroke-Ernakulam National Highway	81-82
2890	केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर उप मार्ग बनाने के लिये भूमि का अधिग्रहण	Land Acquisition of estimates of bye-passes on National Highways in Kerala	82-83

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2891	सरकारी समारोहों पर अतिथि नियंत्रण आदेश लागू करना ।	Application of Guest Control Order to official functions	83
2892	आई० आई० टी० दिल्ली में प्रोफैसरों की वरीयता का क्रम	Ranking by seniority of Professors in I.I.T. Delhi	83—84
2893	उर्वरकों की बिक्री में चोर बाजारी	Black Marketing in sale of fertiliser	84
2894	रेगिस्तानी क्षेत्रों में फसल उगाने तथा पेय जल पर खर्च	Expenditure of growing crops and for drinking water in desert areas	84
2895	रोजगार तथा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में महिलाओं के साथ भेदभाव किये जाने की जांच करने के लिये समिति	Committee to investigate into discrimination against women in employment and remuneration	85—86
2896	मैसूर सरकार की ओर से गेहूं के अतिरिक्त कोटे के लिये अनुरोध	Request from Mysore Government for additional quota of wheat	86
2897	मिट्टी परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं के लिये धन का आवंटन और उन्हें राज्यों को सप्लाई करना	Allocations for soil testing Laboratories and its distribution to States	86—87
2898	खाद्य अपमिश्रण निवारक नियम 1955 और 1954 का अधिनियम	Food Adulteration Rules 1955 and Act of 1954	87
2899	ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिये मैसूर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Mysore for Rural Road Programme	88
2900	नगरीय जनसंख्या	Urban population	88—89
2901	पांचवीं योजना के दौरान गांवों में सड़कों के लिये प्राथमिकता	Priority for rural roads during Fifth Plan	89
2902	भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के माध्यम से विदेशी पशुओं का आयात	Import of Exotic cattle through Indian Dairy Corporation, Baroda	89—90
2903	पांचवीं योजना के दौरान मैसूर में तम्बाकू की खेती के लिये भूमि	Acreage of land under Tobacco in Mysore during Fifth Plan	90
2904	सेन्ट जार्ज हास्पिटल बम्बई में दूषित जल को पीकर पीलिया रोग होना	Jaundice after drinking contaminated water in St. George's Hospital, Bombay	90—91
2905	कानपुर में औद्योगिक आवास योजना	Industrial Housing Scheme at Kanpur	91

S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2906	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी का वितरण अपने अधिकार में लेना	Taking over of sugar distribution by U.P. Government	91
2907	महानगरों में गंदी बस्तियां हटाने के लिये योजनाकारों का दौरा	Town Planners' visit to Metropolitan cities for Slum Clearance	92
2908	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बारे में समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on I.C.A.R.	92
2909	मन्त्रियों के बंगलों पर व्यय	Expenditure on Ministers Bungalows	92
2910	अमरीकी संस्थानों तथा प्रतिस्थानों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता	Assistance to educational institutions by American Institutions and Foundations	93
2911	'हरित क्रांती में छिपा खतरा'	'Green Revolution' contains seeds of potential danger	93
2912	25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती वर्ष में सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation as part of Silver Jubilee celebration of independence to Employees completing 25 years service	94
2913	केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को खपाना	Absorption of N.D.S. Instructors in Central Schools	94
2914	खुले बाजार में तथा उचित मूल्य की दुकानों में चीनी के मूल्यों में अन्तर के कारण	Factors responsible for difference in Price of sugar in open Market and Fair Price Shops	95
2915	वनस्पति के मूल्य को फसल के ढांचे के अनुसार विनियमित करने का प्रस्ताव	Proposal to regulate Vanaspati Price on Crop pattern	96
2916	अनाथ बच्चों तथा महिलाओं का पुनर्वास	Rehabilitation of destitute children and women	96
2917	खाद्यान्नों के खराब होने के कारण तथा 1972 में उनका निपटारा	Reasons for Foodgrains getting damaged and its disposal during 1972	96
2918	गोष्ठी, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और अध्ययन आदि के लिये विदेशों में भेजे गये व्यक्ति	Persons sent abroad for Seminars, Training, observation and study	98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2919	महाराष्ट्र के आदिवासियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करना ।	Introduction of Family Planning among Tribals of Maharashtra	99-100
2920	यौन विज्ञान तथा परिवार नियोजन विषयों को स्कूलों में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना	Sex and Family Planning as a School subject	100
2921	अहमदाबाद स्थिति एम० जी० साइंस इन्स्टीट्यूट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान	U.G.C. Grants to M.G. Science Institute Ahmedabad	100-101
2922	संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त 'रिगो' का वितरण	Distribution of rigs received from UNICEF	101
2923	'लिप्पी का लूप'	Lippy's loop	102
2924	विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के स्तर में असमानता	Disparity in the standards of Agricultural University	102
2925	दिल्ली परिवहन निगम में रिक्त पद	Posts lying vacant in D.T.C.	103
2926	मोर मुगाओं पत्तन से खनिजों का निर्यात	Minerals exported from Mormugao Port	103-104
2927	गोवध पर रोक लगाने के लिये अहिन्सात्मक आन्दोलन	Non-violent Agitation for ban on cow slaughter	104
2928	वेश्याओं का पुनर्वास	Rehabilitation of Prostitutes	105
2929	घाटे पर चल रहे सरकारी कृषि फार्म	Government Agriculture Farms running at loss	106
2930	शिक्षा को स्वतंत्र बनाने के लिये सर्वोदय नेता की अपील	Appeal by Sarvodya leader for independence of education	106-107
2931	दक्षिणी जोन में एफ० सी० आई० के अधिकारियों के कर्तव्य	Duties of F.C.I. officials in Southern Zone	107
2932	आंध्र प्रदेश में 'मूल्य सहायता' योजना के अधीन धान की खरीद और नियतन में कदाचार	Malpractices in purchase and allotment of paddy under price support scheme in Andhra Pradesh	107
2933	गत तीन वर्षों में उत्पादित और प्रत्येक राज्य की उपलब्ध की गई चीनी	Sugar produced and made available to each State during last Three years	107-108
2934	पब्लिक स्कूलों में पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण	Reservation for backward classes in Public Schools	108

S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2935	भारतीय खाद्य निगम द्वारा बंगलादेश के शरणार्थियों के लिये खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु भुगतान की गई धन राशि	Amount paid by F.C.I. for Transportation of Food-grains for Bangladesh Refugees	109
2936	सस्कृत भाषा का प्रसार	Propagation of Sanskrit language	109
2937	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्लाटों का नीलामी के अतिरिक्त आवंटन	Allotment of plots developed by D.D.A. other than by way of Auction	110
2938	चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं से रहित गांवों में चलते फिरते औषधालय	Mobile dispensaries in villages having no Medical facilities	111
2939	भारतीय शिक्षा पद्धति में कार्य के अनुभव का समारम्भ तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Report on introduction and implementation of work experience in Indian educational system	112
2940	खाद्य तथा कृषि संगठन के भारतीय समुद्री मत्स्य आयोग द्वारा हिन्द महासागर में मत्स्य संसाधनों का विकास	Development of Fish Resources in Indian ocean by Indian Ocean Fishery Commission of F.A.O.	112
2941	देसी चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले डाक्टरों की नियुक्ति के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को स्थगित करना	Postponement of Rural Health Scheme for posting Doctors practising Indigenous systems of medicine	113
2942	दिल्ली में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दवाखानों में सेवास्तर में गिरावट	Deterioration of standard of service at C.G.H.S. Dispensaries in Delhi	114
2943	भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत	Per capita consumption of sugar in India	115
2944	बम्बई स्थित भारतीय जहाजरानी निगम के कार्यालय में कम्प्यूटरों की व्यवस्था	Computer in the shipping corporation of India, Bombay	115
2945	मानसिक रोगियों की चिकित्सा में सफलता	Break through in curing Mental patients	116
2946	तटीय नौवहन के लिये बीमें का प्रीमियम	Insurance Premium for Coastal shipping	116

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2947	उर्वरकों में आत्म निर्भरता के सम्बन्ध में केन्द्रीय कृषि मंत्री का वक्तव्य	Statement of Union Minister of Agriculture re : Self sufficiency in respect of Fertilisers	117
2948	निर्माताओं को दी जाने वाली वसूली की चीनी की कीमत में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of levy sugar payable to manufacturers	120
2949	चीनी पर से उत्पादन शुल्क घटाने के बाद गन्ना उत्पादकों को दिया जा रहा गन्ने का मूल्य	Sugarcane price being paid to cane-growers after reduction in Excise Duty on Sugar	120
2950	शिक्षित बेरोजगारी मिटाने के लिय प्राथमिक स्कूल खोलना	Opening of primary Schools for removal of Unemployment among Educated unemployed	121
2951	भारत में प्राथमिकता स्तर पर ही शिक्षा छोड़ जाने वाले बच्चों के बारे में 'यूनेस्को' द्वारा अध्ययन	UNESCO Study on drop out at Primary School stage in India	122
2953	दिल्ली में राशन की दुकानों पर सूजी और मैदा का सप्लाई न किया जाना	Non-supply of Suji and Maida at Ration shops, Delhi	123
2954	मान्यता प्राप्त कलाकारों को जीवन पर्यन्त पेंशन	Life Pension to recognised artists	123
2955	बाजरा उत्पादन में अभूतपूर्व सफलता	Break through in Bajra production	124
2956	व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बडाने के लिये योजना	Scheme for increased production of commercial crops	124
2957	खरीफ फसल के उत्पादन में कमी	Shortfall in production of Kharif	126
2958	केरल में गहन कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रों में मिट्टी के सर्वेक्षण की योजना	Scheme of soil survey in entensive Agriculture Development Project Areas in Kerala	126
2959	पिछले 6 महीनों में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठाया गया घाटा	Loss suffered by D.T.C. during last six months	127
2960	लेह स्थित स्कूल आफ बुद्धिस्ट फिलासफी पर व्यय	Expenditure on School of Buddhist philosophy, Leh	128
2961	राष्टीय उपक्रमों का वहां जाकर अध्ययन करने के लिये संसद् सदस्यों के दौरे	Tours of M.Ps for on the spot Study of National Undertakings	128

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2962	जिला स्तर पर संग्रहालय स्थापित करना	Setting up of Museum at district level	129
2963	बुद्ध जयंती पार्क, नई दिल्ली को सुन्दर बनाना	Beautification of Buddha Jayanti Park, New Delhi	130
2964	मुद्रण तथा लेखा सामग्री विभाग में फोटोलिथो अधिकारियों को पदोन्नति	Promotion to Photolitho Officers in the Printing and Stationery Department	130
2965	शिवालक पर्वत माला में मानव विकास सम्बन्धी अनुसंधान परियोजना	Research project on evolution of man in Sivalik range	130
2966	कृषि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा रबी अभियान में सहायता	Students of Agricultural Universities to help in Rabi Campaign	131
2967	गांधी स्मृति का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकास	Gandhi Smriti as National monument	132
2968	पंजाब और हरियाणा के खाद्यान्न वसूली लक्ष्यों में कमी	Shortfall in Punjab and Haryana Food Procurement Targets	132
2969	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये धान तथा मोटे अनाज के वसली मूल्य को पंजाब तथा हरियाणा द्वारा स्वीकार न किया जाना	Non-acceptance of procurement prices of Paddy and coarse grains by Punjab and Haryana as recommended by Agricultural Prices Commission	133
2970	आंध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने के कर्मचारियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध	Restriction of fundamental rights of employees of cooperative sugar factories in A.P.	133
2971	श्री धर्म तेजा को स्वदेश वापिस लाने और उस पर चलाये गये मुकदमे पर खर्च हुई राशि	Amount spent on extradition and trial of Shri Dharma Teja	133
2972	आवास स्थानों के आवंटन हेतु प्राथमिकता तिथि निर्धारित करने के लिये नियम	Rules for determining the priority date for allotment of residential accommodation	134
2973	दश में शिपयार्डों के विस्तार के लिय विदेशी सहायता	Foreign assistance for expansion of Shipyards in the country	135

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2974	राज्यों में सहकारिता के विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	Loan from National Co-operative Development Corporation for Co-operative Development in States	135
2975	दो नये कृषि विश्वविद्यालय के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण	World Bank loan for two New Agricultural Universities	135
2976	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विरासत और उनके विचारों का छात्रों तथा युवकों में प्रचार	Propagating heritage of Subhash Chandra Bose and his ideas among students and youth	136
2977	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम	Rural Housing Programme in West Bengal	137
2978	पश्चिम बंगाल के कंटाई तथा झाड़ग्राम सब डिवीजन में ग्रामीण आवास कार्यक्रम	Rural Housing Programme in the Contai and Jhargram Sub-division of West Bengal	138
2979	हिन्दी और बंगला भाषाओं के विकास और विस्तार पर व्यय	Expenditure for development and expansion of Hindi and Bengali languages	138
2980	गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान गांवों में पेय जल की व्यवस्था	Provision of drinking water in villages during Gandhi Centenary	139
2981	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात बन्द करने से खाद्यान्नों की स्थिति पर प्रभाव	Impact on Food situation due to stoppage of foodgrains under PL-480	140
2983	100 रुपये प्रति मास पाने वाले कर्मचारियों के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आवास की व्यवस्था	Provision for Housing in the Fourth Five Year Plan for employees drawing salary of Rs. 100 p.m.	140
2984	केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच भूख से हुई मौतों के बारे में कथित मत भेद	Reported difference over starvation deaths between Union Government and State Governments	141
2985	भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण ट्रैक्टरों की मांग में कमी	Fall in the demand of Tractors due to Ceiling on Land	141
2986	'निरोध' को बाज़ार में बेचना	Marketing of Nirodh	141

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2987	खरीफ के अनाजों के निर्धारित वसूली लक्ष्यों के प्रति राज्य सरकारों का असंतोष	Resentments by State Governments on Kharif procurement targets	142
2988	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामों में पेय जल	Drinking water in villages of Maharashtra and Madhya Pradesh	142
2989	महानगरों में क्षय रोग के अधिक अस्पताल खोलना	Opening of more T.B. Hospitals in the Metropolitan cities	142
2990	भूमि हदबन्दी कानून (लैंड सीलिंग एक्ट) पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति	Legislation on land Ceiling pending for President's Assent	144
2991	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टरों के आवंटन के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदेश	Central Directive to State Governments for allotment of residential quarters to Central employees	144
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling attention to matter of Urgent Public importance	145
	सोवियत संघ को भेजी जाने वाली काजू की गिरी के खेप को कोचीन बन्दरगाह पर रोक लिये जाने का समाचार	Reported hold-up of a cashew kernel consignment bound for U.S.S.R. at the Cochin Harbour	145—148
	तामिलनाडु में उत्पन्न स्थिति के बारे में	Re: Development in Tamil Nadu	148
	श्री पी० वैंकटासुब्बया	Shri P. Vankata Subbaiah	148
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	148
	सभा–पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	151—152
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	152
	24 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Twenty-fourth Report and minutes	152
	दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक	Code of Criminial Procedure Bill	153
	(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(*i*) Report of Joint Committee;	153
	(दो) साक्ष्य	(*ii*) Evidence	153
	नई दिल्ली–हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस और हावड़ा –दिल्ली जनता एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re: Accident to New Delhi Hyderabad Dakshin Express and Howrah—Delhi Janta Express	153

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	153
	उत्तर प्रदेश के एक गांव में घरों को कथित जला दिये जाने के बारे में	Re : Alleged burning of houses in a village in Uttar Pradesh	155
	बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश को निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Statutory resolution re : disapproval of Payment of Bonus (Amendment) Ordinance and Payment of Bonus (Amendment) Bill	157
	श्री मोहम्मद इस्माइल	Motion to consider Shri Mohammad Ismail	157
	श्री रामसिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma	158
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	158
	श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A.P. Sharma	159
	श्री था किरुतिनन	Shri Tha Kiruttinan	160
	श्री दामोदर पाण्डे	Shri Damodar Pandey	162
	श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	163
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	163
	प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	164
	श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	165
	श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	166
	श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar	166
	खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	169
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	171
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
	आधे घंटे की चर्चा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन मनाना	Half an Hour Discussion Celebration of Netaji Subhash Chandra Bose's Birthday	174
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	174
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	175

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 4 दिसम्बर 1972—13 अग्रहायण, 1894 (शक)

Monday, December 4, 1972—Agrahayana 13, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker *in the Chair*

पोलैंड के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत

WELCOME TO POLISH PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी ओर से तथा आप सब की ओर से माननीय श्री एडवर्ड बाबियुच, संसद सदस्य के नेतृत्व में आये पौलैन्ड के संसदीय प्रतिनिधि-मंडल के सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष है। प्रतिनिधी इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं।

वे थोड़े समय के लिए हमारे देश के अल्पावधि दौरे पर हैं। हमारा देश विशाल है। हमारी इच्छा है कि वे हमारे देश में और अधिक समय तक ठहरें। हमारी यह कामना है कि उनका यहां का दौरा सुखद और सफल हो।

हम उनके जरिये से वहां की जनता के लिये शुभ कामनाएं भेजते हैं और वहां की सरकार और जनता को मैत्री का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उनके लिये सुख, शान्ति और समृद्धि की कामना करते हैं।

सामुदायिक विकास खण्ड में नलकूपों के रखरखाव और मरम्मत सम्बन्धी सेवा

*284. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी सामुदायिक विकास खण्ड में नलकूप के रखरखाव और मरम्मत की कोई नियमित सेवा नहीं है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को नलकूप लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिह) : (क) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में नलकूपों के रख-रखाब और मरम्मत की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। फिर भी इससे किसानों द्वारा नलकूप खोदने के कार्य में कोई रुकावट नहीं आती क्योंकि किसानों की इच्छानुसार उन्हें नलकूप खोदने और पम्पसैटों आदि के रख-रखाव और मरम्मत के लिए सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ख) नलकूपों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये :—

(1) ऋण के आधार पर कृषकों को पम्पसैट सप्लाई करने वाले विक्रेताओं के माध्यम से गारण्टी की अवधि में विक्रयोपरान्त मरम्मत की व्यवस्था करने और उसके पश्चात कुछ निश्चित खर्च वसूल करके विक्रेताओं को मिस्त्रियों के माध्यम से मरम्मत की सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रबन्ध करना ;

(2) कुछ राज्यों में राज्य सरकारों के कारखानों के माध्यम से मरम्मत सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने ;

(3) कुछ राज्यों में कृषि-उद्योग निगमों के माध्यम से मरम्मत सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना ;

(4) पम्पसैटों नलकूपों आदि के लिए मरम्मत सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए गैर-सरकारी कारखानों को प्रोत्साहन देना ताकि नलकूपों के पम्पसैटों के रख-रखाव में किसानों को कोई कठिनाई अनुभव न होने पाये।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि नलकूपों के रख-रखाव और उनकी मरम्मत की नियमित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। क्या यह सच है कि पम्पसैटों की क्षमता, मिट्टी की उपयोगिता और उसके बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त न होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शेर सिंह : केन्द्रीय जल बोर्ड मिट्टी, जल आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नलकूपों के स्थानों के बारे में विशेषज्ञों की राय की व्यवस्था करता है।

श्री अर्जुन सेठी : क्या विशेषज्ञों की राय तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त न होने के अतिरिक्त नलकूपों के खोदने और नलकूपों के रख-रखाव के मामले में भी विभागीय त्रुटियां हैं ?

श्री शेर सिंह : मुझे किसी भी राज्य से ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि विभाग इस मामल में बाधक है। कृषि विभाग ने यह कार्य लगभग सब राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर आरम्भ किया है।

श्री अनर्जुं सेठी : यह सामान्य अनुभव है। अतः नलकूपों के रख-रखाव और मरम्मत के बारे में विभागीय बाधाओं के कारण अनेक नलकूप खराब पड़े हैं।

Shri Ishwar Chaudhry : It has been the policy of the Government to provide a net work of tube wells to bring about green revolution. Taking into consideration the famine conditions, I want to know what steps have been taken by the Government for providing more and more tube-wells to farmers at less expenditure?

Shri Sher Singh : The Government has sanctioned 150 Crores of rupees for small irrigation schemes to the situation created by drought in the recent past.

Agricultural Department and Agro-industries Corporations of a number of States are giving full help in this matter and they have done good work at many places.

श्री जगन्नाथ राव : इस समय भूमिगत जल संसाधनों के लिये पांच एजेंसियां काम कर रही हैं। क्या इन एजेंसियों का एक यूनिट में केन्द्रीयकरण करने की कोई योजना है ?

श्री शेर सिंह : हाल ही में भारतीय भूमिज्ञान सर्वेक्षण संस्था (जल विभाग) का केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड से विलय किया गया है। राज्यों में अन्य एजेंसियां भी हैं। लेकिन केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अन्तर्गत अब सब एजेंसियां समन्वित हैं। राज्यों में अपने राज्यों से अपने भूमीगत जल-बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

Shrimati Savitri Shyam : I want to know whether the Government has adopted the policy to set up tube-wells at their own expenses at those places where the economic condition of the people is bad but they are anxious to have tube-wells ?

Shri Sher Singh : The farmers have been provided with enough facilities in this regard.

Shrimati Savitri Shyam : I want to know the percentage of assistance provided to them.

Shri Sher Singh : They are given loans and at some places subsidy is also given. Subsidy is provided to marginal and small farmers.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में बहुत बड़ी संख्या म तकनीकी कर्मचारी, जिसमें इंजीनियर भी शामिल हैं, बेरोजगार हैं, क्या सरकार का विचार इन बेरोजगार व्यक्तियों के लिये कोई चलते-फिरते यूनिट स्थापित करने का है जिससे विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र के मूल ढांचे की त्रुटियों को दूर किया जा सके ?

श्री शेर सिंह : विचारार्थ यह एक उपयुक्त सुझाव है। वास्तव में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में लगभग 246 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों के लिये नौकरियों की व्यवस्था की गई है।

Shrimati Sahodrabai Rai : I want to know whether tube-well facilities would be provided to those farmers also whose holdings are small ?

Shri Sher Singh : I have already stated that subsidy is being provided to small farmers.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question relates to the repair of tube-wells and not to their installation. I want to know the number of tube-wells which are out of order and the reasons for it. I want to know whether it is a fact that neither the centre nor the States are able to provide some permanent measures for the repair of those tube-wells ?

Shri Sher Singh : I require notice for this.

नेशनल स्कूलस आफ परफारमिंग आर्ट्स की स्थापना

*285. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दी नेशनल स्कूल आफ परफारमिंग आर्ट्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इन हाई स्कूलों को कहां पर स्थापित करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अकादमियों और भारतीय संस्कृति सम्पर्क परिषद् की **पुनरीक्षण समिति ने**, सरकार को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है :

(1) राष्ट्रीय संगीत स्कूल (उत्तर में हिन्दुस्तानी संगीत के लिए और दक्षिण में कर्नाटक संगीत के लिए)

(2) नृत्य की मुख्य-मुख्य पद्धतियों को सिखाने के लिए राष्ट्रीय नृत्य स्कूल ;

(3) राष्ट्रीय ओपेरा ;

(4) राष्ट्रीय बैले ।

2. समिति की विभिन्न सिफारिशों पर अकादमियों के विचार मांगे गए हैं । उसके बाद सरकार निर्णय लेगी ।

3. क्योंकि उक्त प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है, इसलिए स्कूलों के अनुमानित खर्च तथा उन स्थानों के बारे में ब्यौरे, जहां पर स्कूल स्थापित किए जाने हैं, अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं ।

श्री एम० कतामुतु : क्या तमिलनाडु में नेशनल स्कूल आफ परफारमिंग आर्ट्स स्थापित करने के बारे में उनके मंत्रालय को तमिलनाडु सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

श्री डी० पी० यादव : खोसला पुनर्विलोकन समिति ने यह सिफारिश की है कि हमें चार स्कूलों अर्थात् नेशनल स्कूल आफ म्यूजिक, नेशनल स्कूल आफ ...

Mr. Speaker : He is asking about Tamilnadu.

श्री एम० कतामुतु : मेरा प्रश्न यह है कि क्या तमिलनाडु सरकार ने इस बारे में कोई सुझाव भेजी है ।

श्री डी० पी० यादव : जी, नहीं ।

Shri S.M. Banerjee : I have gone through the statement thoroughly. Now-a-days, people are very much interested in drama or music or fine arts.

Keeping this fact in view, I want to know whether the Government would help the States in opening these schools of drama and music and whether more amount would be given to National School of Drama so that it may be developed throughout the Country ?.

Shri D.P. Yadav : The Central Government is willing to start such good institutions in the country and is seriously considering the recommendations of the Khosla Committee. So far as the question of National School of Drama and National theatre is concerned, the Government is trying to strengthen them.

Shri M.C. Daga : I want to know whether the Government wants to open any School of Arts in Punjab?

Shri D.P Yadav : I have already replied to this question.

श्री राम गोपाल रेड्डी : क्या सरकार संसद् सदस्यों के लिये कोई नृत्य का स्कूल खोलेगी ?

श्री डी० पी० यादव : यदि आप चाहें तो हम खोल सकते हैं ।

एण्टी-बायोटिक औषधियों के प्रभाव से मुक्त टाइफाइड वाइरस

***286. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि केरल में टाइफाइड का एक ऐसा वाइरस (विषाणु) पाया गया है जिस पर एण्टी-बायोटिक औषधियों का प्रभाव नहीं होता ; और

(ख) इस वाइरस का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) टाइफाइड जीवाणु से होता है न कि वाइरस (विषाणु) से वैसे सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में टाइफाइड का प्रकोप हुआ था और इस रोग को पैदा करने वाले जीवाणु क्लौरमफैनिकल और कतिपय अन्य एण्टी-बायोटिक औषधियों के प्रति सहिष्णु पाये गये थे । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने इस बारे में तत्काल अन्य चिकित्सा कालिजों और अनुसंधानों के साथ इस मामले को उठाया था । किन्तु देश के अन्य किसी भी भाग में ऐसे सहिष्णु जीवाणुओं का उन्हें पता नहीं चला । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अधीन समय समय पर टाइफाइड के बारे में कार्य किया जाता रहा है और आगामी निष्कर्षों के आधार पर इस रोग पर काबू पाने क उपायों को खोज निकालना सम्भव होगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर निराशाजनक है क्योंकि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि केरल में टाइफाइड के जीवाणु हैं, जो वर्तमान एन्टी-बायोटिक और अन्य उपलब्ध औषधियों का मुकाबला कर सकते हैं । इस बारे म शुद्धि करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में इस वर्ष इस महामारी का प्रकोप है, सरकार ने इस नये प्रकार के जीवाणु को रोकने और लोगों को टाइफाइड महामारी से बचाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : डा० पाणिकर ने गत जून में लिखा था और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने इस बारे में जांच की है और जैसा कि डा० पाणिकर ने सुझाव दिया था सब संस्थानों को इस बारे में सूचना दे दी गई है और अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैसे कसौली का ही उदाहरण ले लें, कोई सहिष्णु जीवाणुओं का पता नहीं चला है। इसी प्रकार हरियाणा में भी कोई सहिष्णु जीवाणुओं का पता नहीं लगा है। प्रश्न अब और अनुसंधान करने का है। अन्यथा चिकित्सा ज्ञान के अनुसार इस रोग के लिये इस औषधी के अतिरिक्त केवल दो अन्य औषधियां भारत में उपलब्ध हैं, जो प्रभावी हो सकती हैं। जहां तक इस विशेष सहिष्णु जीवाणु का सम्बन्ध है, इस बारे में और अनुसंधान की आवश्यकता है और ऐसा किया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उक्त जीवाणु में फैलने की प्रवृत्ति है। जैसा कि श्री पाणिकर ने स्वयं कहा है, उक्त जीवाणु मैक्सिको में पाया गया था और अब वह केरल में आ रहा है और कोई भी इसको हरियाणा अथवा देश के किसी अन्य भाग में फैलने को नहीं रोक सकता। क्या इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार एक विशेष चिकित्सा दल की स्थापना करेगी जो इस मामले की जांच करे और उक्त रोग को दूर करने के लिये उपाय बताये ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : हमने इस मामले को चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को सौंपा है और हम नये प्रकार के टाइफाइड का मुकाबला करने के लिये यथा-सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

श्री ईश्वर रेड्डी : मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि इसका उपचार सम्भव होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा सम्भव नहीं होगा क्योंकि यह रोग जून से ही वहां फैला हुआ है और यदि सरकार के लिये यहां उपचार कराना सम्भव नहीं है तो क्या सरकार देश के बाहर इसका उपचार कराने का प्रयास करेगी अथवा विदेशों से विशेषज्ञों की सलाह लेगी ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार की बीमारी का अभी भी उपचार उपलब्ध है। इस रोग के लिये प्रयोग में लाई गई विशेष एन्टीबायोटिक औषधि, प्रभावहीन रही है। आप यह नहीं कह सकते कि अनुसंधान एक निश्चित अवधि में कुछ महीनों में पूरा किया जाना चाहिये और इसका विकल्प ढूंढना चाहिये। मुझे आश्चर्य होता है यदि कोई यह सोचे कि अनुसंधान एक निश्चित अवधि में पूरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सम्भव ही नहीं है।

Shri Jagannathrao Joshi : As anti-biotics medicine is not effective in this new type of disease, will some Ayurvedic medicine, for which Kerala is so famous prove effective in this disease ?

Shri Uma Shankar Dikshit : We will look into the suggestion given by the hon. Member.

Setting up Head Central Leprosy Teaching and Research Institutes in States

***289. Shri M.S. PURTY :**

Will the Minister of **Health and Family Planning स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री be pleased to state :

(a) the names of the States in which the Central Leprosy Teaching and Research Institutes are functioning at present ;

(b) the financial assistance given by the Central Government to them every year; and

(c) the names of the States where new institutes are proposed to be set up by Government during the current Plan period?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :

(क) एक केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपेट, तमिलनाडु में स्थित है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) चौथी योजना के दौरान देश में कोई नया कुष्ठ संस्थान खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट को दिये गये अनुदान की रकम :

वर्ष	रकम
	रुपये
1965–66	9,00,000
1966–67	9,50,000
1967–68	10,82,000
1968–69	12,25,000
1969–70	11,75,000
1970–71	13,83,000
1971–72	12,76,739
1972–73	11,10,000

अक्तूबर, 1972 तक।

Shri M. S. Purty : I would like to know from the hon. Minister whether Government propose to set up a Central Leprosy Teaching and Research Institute in Bihar State ?

Shri Uma Shankar Dikshit : We do not feel the necessity of setting up such an institute at present. However, the question of setting up such institutes can be examined in the Fifth Five Year Plan but I cannot commit.

Shri Ishwar Chaudhry : May I know whether Bihar State will also be kept in view while finalising the locations for setting up Leprosy Teaching and Research Institutes ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Definitely.

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या केरल सरकार ने केरल में नूरताड कुष्ठरोग अस्पताल में कोई कुष्ठरोग संस्थान स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : मुझे केरल सरकार से प्राप्त किसी प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य मुझे पत्र लिखें या अलग से प्रश्न पूछें तो, मैं उनको अपेक्षित जानकारी दे सकूंगा ।

Shri S.M. Banerjee : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the fact that the workers working in collieries fall prey to silicosis and whether any survey has been conducted to find out the incidence of this disease ?

Shri Uma Shankar Dikshit : I have no information at present but I can find out and then inform him.

Mr. Speaker : This is a different question.

श्री परिपूणनिन्द पोन्यूली : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तराई क्षेत्रों जैसे कुछ इलाकों में कुष्ठ रोग से अधिक लोग पीड़ित हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि धन की कमी है, क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोगियों की गृहोपचर्या करने का है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : जी, हां । अब तक के अनुभव से पता चला है कि यदि हम कुष्ठ रोग बस्तियां बनाते हैं तो ऐसे रोगी जिनका कोई अंग क्षत हो गया है और वह ठीक भी नहीं हो सकता है तो वे वहीं पर रहने लगते हैं, मानों वह उनकी स्थाई रिहाइश हो और इस प्रकार काम में बाधा पड़ती है । इस समय सरकार की नीति यह है कि रोगियों को कम अवधि तक रखे जाने वाले और बहिरंग अस्पताल स्थापित किये जायें जिससे इस बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सके । परन्तु गृहोपचर्या अधिक लाभप्रद है क्योंकि आरंभिक अवस्था में प्राय: रोगी अस्पतालों में इस भय से नहीं आते कि जनता उनका अपमान न करे । हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और हम गृहोपचर्या के लिये दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि करेंगे ।

पालिटेकनिक्स को शैक्षित स्वायत्तता देना

*290. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी पश्चिम क्षेत्रीय समिति ने सिफारिश की है कि सुस्थापित पालिटेक्निक कालिजों को वर्तमान दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नये प्रकार के तकनीकी पाठ्यक्रम बनाने की शैक्षिक स्वायत्तता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने देश में पोलिटैक्निक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है । इन उपायों में अन्य बातों के साथ सुस्थापित पोलिटैक्निकों को शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान करना है, जिससे उद्योग के परामर्श से नए प्रकार के तकनिशियन पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकें । समिति की मुख्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की रूप रेखा तैयार कर ली गई है तथा सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है ।

पश्चिम क्षेत्रीय समिति ने 3 नवम्बर, 1972 को हुई अपनी बैठक में अपने क्षेत्र की राज्य सरकारों को कार्रवाई की योजना की सिफारिश की है ।

Shri Arvind Netam : May I know whether any time limit has been fixed for State Governments, for sending their reaction to the main recommendations of the Committee's report which have been sent to them ?

Prof. S. Nurul Hasan : As already stated, the main recommendations of this Committee have been sent to all the States but action will be taken during the Fifth Five Year Plan because financial implications are involved. Secondly, we have advised the setting up of autonomous polytechnics. We have asked every state to enact legislation and we also intend to prepare a model Act and send the same to all the States in which they can make necessary changes and then pass it.

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या स्वायत्तता का सिद्धान्त केवल नये तकनीकी पाठ्यक्रम बनानें तक सीमित है अथवा उन पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये और उनको क्रियान्वित करने में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में भी स्वायत्तता दी जायेगी ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : यदि आप की अनुमति हो तो मैं विशेषज्ञ समिति की स्वायत्तता के बारे में सिफ़ारिश को पढ़ दूं जिसमें स्वायत्तता का स्वरूप बताया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह अधिक लम्बा नहीं होगा ।

प्रो० एस० नूरूल हसन : लगभग आधा पृष्ठ है । इस में लिखा है :

> "पोलीटेक्निक्स को दी जाने वाली शैक्षिक स्वायत्तता में अपने पाठ्यक्रम स्वयं बनाने, अध्यापन के तरीके निर्धारित करने, विद्यार्थियों की योग्यता की जांच करने और अन्तिम परीक्षाएं लेने की शक्तियां सम्मिलित की जानी चाहियें । पोलीटेकनिक्स द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले और परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को राज्य बोर्डों द्वारा डिप्लोमा दिये जायेंगे । परन्तु निश्चित पाठ्यक्रमों का स्तर बनाये रखने और संस्थान के समूचे मूल्यांकन का उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्यबोर्ड की स्थाई मूल्यांकन समिति का ही होगा ।"

जहां तक वित्तीय स्वायत्तता के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस पर राज्य सरकार के समूचे वित्तीय संसाधनों के ढांचे के अन्तर्गत विचार करना होगा और हम इस बात के लिये कोशिश कर रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर संयुक्त रूप से जिम्मेदारी हो, बशर्ते कि इसके लिये राष्ट्रीय विकास परिषद की मंजूरी मिल जाये ।

श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय द्वारा पढ़े गये विवरण से यह नहीं पताचलता कि तकनीकी संस्थानों को स्वायत्तता दिये जाने से तकनीकी योजनाओं का समान रुप से विकास नहीं हो सकेगा ।

प्रो० एस० नरूल हसन : यह आवश्यक नहीं ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : देश में पोलीटेक्निक स्कूलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। डिप्लोमा धारियों की बढ़ती हुई बेरोज़गारी के कारण, ये स्कूल बन्द होने वाले हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इन नये पाठ्यक्रमों से इन डिप्लोमा धारियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे उन्हें रोज़गार मिल सके ? क्या कोई अलग तकनीकी विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहे हैं जिनमे वे स्वयं तकनीकी पाठ्यक्रमों के अपने तरीके बनायेंगे ताकि इन डिप्लोमा धारियों को रोज़गार सम्बन्धी सुविधाएं मिल सकें ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : समस्त पोलीटेक्निक शिक्षा रोज़गार–प्रधान है। इस लिये रोज़गार प्रधान प्रशिक्षण देने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नये नये रोजगार के उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं, यह अत्यावश्यक है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम ऐसे बनाये जायें कि उनसे नये उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। कुछ सुव्यवस्थित संस्थानों को, जो स्तर को बनाये रख सकें, स्वायत्तता देने के पक्ष में यही तर्क है। जहां तक बेरोजगारी के प्रश्न का सम्बन्ध है, सौभाग्य से डिप्लोमाधारियों में बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है, विशेष रोज़गार दफ़्तर के रजिस्टर में ऐसे लोगों की वर्तमान संख्या लगभग 20,000 है जो लगभग चार वर्षों के पिछले आंकड़े है। परन्तु आशा है कि जब पांचवीं योजना की योजनाएं आरम्भ हो जायेंगी तो बेरोज़गारी समाप्त ही नहीं हो जायेगी बल्कि सम्भव है कि उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिये डिप्लोमा धारियों की संख्या कुछ कम रह जाये।

जहां तक तकनीकी विश्वविद्यालयों का प्रश्न है, तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव में पोलिटेक्निक शिक्षा सम्मिलित नहीं है।

SCHOOLS FOR ADIVASIS IN M.P. RUNNING WITH CENTRAL GRANTS

***292. Shri Dhan Shah Pradhan :**

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of primary, middle, and other schools for Adivasis being run in Madhya Pradesh with the grants given by the Central Government and the amount of grants being given by the Central Government every year and;

(b) Whether Government propose to open some new schools there?

शिक्षा समाज कलयाण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूलहसन) : (क) तथा (ख) : शिक्षा एक राज्य विषय है और इसके लिए राज्य निधि से रुपया लिया जाता है। शिक्षा योजना के राज्य क्षेत्र के लिए सहायता के सामान्य ढांचे के अधीन ब्लाक अनुदान दिए जाते हैं।

इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग योजना के अधीन स्कूलों, छात्रावास भवनों और आश्रय स्कूलों तथा लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण और आदिम जाति विकास खण्ड के योजनावद्ध बजट के अन्तर्गत पूरे नियतन के 12% का समाज सेवाओं, जिनमें शिक्षा भी सम्मिलित है, के लिए उपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार इस राशि में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रुप से प्राथमिकता मिडिल तथा अन्य विद्यालयों

के लिए अनुदानों का प्रश्न नहीं उठता है। गत चार वर्षों में पिछड़ा वर्ग योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए प्रावधान निम्न प्रकार है :–

(रूपये लाख की राशियों में)

योजना आबंटन	गत चार वर्षों का प्रवधान				योग
	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	
(1) स्कूलों का निर्माण	125.40	17.94	33.56	27.53	37.00	111.03
(2) आश्रय स्कूल	28·73	1.07	1.71	10.33	7.40	20.51
(3) लड़कियों के छात्रावास	10.00	0.10	2.00	1.80	2.00	5.90
(4) आदिमवासी विकास खण्ड	786.00	172.00	143.00	146.00	150.00	611.00

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत 1970–71 से वर्तमान स्कूलों मे शिक्षकों की नियुक्ति की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करने और नए स्कूलों को खोलने के लिए अनुदान दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अदिवासी क्षेत्रों में मार्च 1972 के अन्त तक 1150 शिक्षक नियुक्त किए गए। वर्तमान वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार को 4600 और शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई है इनमें से 1150 शिक्षक आदिवासी क्षेत्रों के लिए हैं। 1971–72 में अनुमानित अपेक्षित व्यय 7 लाख रुपये है। यह कुल संख्या हमारे पास उपलब्ध विवरणियों के अनुसार दी गई है। हम इसके बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कर सकते क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार की योजना नहीं है ।

Shri Dhan Shah Pradhan : I may like to know for how much population, one Primary, Secondary and other type of School is opened?

Prof. S. Nurul Hasan : I have already stated that this a State subject and the grant which is given to the State, becomes a block grants and the States decide about the number of Schools and locations thereof. I do not possess the latter information at present. I have given figures about Baster.

Shri Dhan Shah Pradhan : I would like to know whether Government propose to open new Schools and Colleges in Adivasi areas during the Fifth Five Year Plan?

Prof. S. Nurul Hasan : All of us are worried about it. But it is a State subject and block grants are given on the pattern of National Development Council given in the Fourth Five Year Plan. We have repeatedly asked them to open more Schools wherever they are needed, but Central Government cannot open any new School there. If National Development Council approves our scheme in the Fifth Five Year Plan, then Central Government will be in a position to take more interest.

श्री राम सहाय पांडे : मध्य प्रदेश में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति आदिवासी है। आपने अभी कहा है कि प्रारम्भिक शिक्षा, केन्द्र का विषय नहीं है। यह सच है। पिछड़े समुदायों, आदिवासियों और हरिजनों के नाम पर आपने कुछ निधियां नियत की हैं। विशेषकर आदिवासियों

में व्याप्त निरक्षरता को ध्यान में रखकर क्या सरकार व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करेगी जिससे उन्हें पांचवी योजना के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा दी जासके ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : जहां तक पांचवी योजना का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा किये गये प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहता हूं । यदि माननीय सदस्य उनका अध्ययन करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि हम व्यापक प्रयत्न करने का विचार कर रहे हैं, किन्तु ये इस बात पर निर्भर होगा कि शिक्षा के लिये कितने संसाधन उपलब्ध कराय जा सकते हैं तथा राष्ट्रीय विकास परिषद किस ढांचे को स्वीकार करती है । पिछड़े वर्गों के लिय चौथी योजना में योजनाबद्ध परिव्यय इस प्रकार था कि स्कूलों के निर्माण के लिये 111 लाख रुपया, आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 20 लाख रुपया, बालिका विद्यालयों के लिये लगभग 6 लाख रुपया तथा आदिवासी विकास खण्डों के लिये लगभग 611 लाख रुपया ।

Shri Arvind Netam : More than 50 per cent of the Primary schools particularly in Adivasi areas in Madhya Pradesh, do not have their own buildings. State Government is not able to provide the buildings. May I know whether Central Government would pay special attention to this matter.

Prof. S. Nurul Hasan : I have already said that it is not possible to change the provision made by National Development Council in the Fourth Plan. But if the proposals of the Central Advisory Board of Education that it should be given first change are approved by the National Development Council, then, I think, the demand made by the hon. Member could be fulfilled. In that case, I personally hope, we will be able to give primary education to all.

Shri Lalji Bhai : May I know the ratio between population and primary Schools proposed to be maintained by the Government ?

Mr. Speaker : This question has already been put and replied to. He has said that it is a State subject. States are given grants.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is correct that it is a State subject but it is the duty of the Central Government to look after the Adivasis. May I know whether Centre has decided certain guidelines regarding the ratio between population and primary Schools, and if so, the details thereof?

Prof. S. Nurul Hasan : I can mention the rules which have been laid down, but the implementation of those rules depends upon the State Governments. We feel that there should be one School for the population of three hundred. Efforts should also be made to ensure that no student has to walk a distance of more than $1\frac{1}{2}$ to 2 miles to reach his School. So far as the tribals population is concerned, these are certain other factors, for example certain tribes do not stay at one place. They move from one place to another or they are widely scattered. Therefore, we are going to lay down new guidelines under the Fifth Plan. We are going to lay down special guidelines to meet their special problems which are also there in hill areas in order to see that children of these areas get education.

दिल्ली के अस्पतालों में कारोनरी (हृदय धमनी) उपचार यूनिट

*293. **श्री बी० के० दासचौधरी**

श्री एम० एस० शिवस्वामी

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजधानी के सभी अस्पतालों में "कारोनरी" (हृदय धमनी) उपचार यूनिट स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

निम्नलिखित अस्पतालों में "कारोनरी" (हृदय धमनी) उपचार यूनिट हैं:--

1. गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल ।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
3. बिलिंग्डन अस्पताल ।

तीव्र धमनी रोग से ग्रस्त रोगी की दशा की निरन्तर जानकारी देने के लिये सफरजंग अस्पताल में एक मशीन है। इस यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे और कार्यवाही की जा रही है जिससे अस्पताल में अलग से एक कारोनरी उपचार यूनिट हो सके ।

दिल्ली के किसी अन्य अस्पताल में कोई कारोनरी उपचार यूनिट नहीं है और ना ही इन अस्पतालों में इस समय ऐसे यूनिट स्थापित करने का कोई विचार है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : विवरण से ज्ञात होता है कि दिल्ली के केवल चार अस्पतालों में कारोनरी उपचार यूनिट हैं। अंतिम पैरा में यह कहा गया है कि "दिल्ली के किसी अन्य अस्पताल में कोई कारोनरी उपचार यूनिट नहीं है और न ही इन अस्पतालों में इस समय ऐसे यूनिट स्थापित करने का कोई विचार है।" इस तत्थ को ध्यान में रखते हुए कि हृदय धमनी रोगों तथा हृदय रोगियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, मैं जानना चाहताहूं कि क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी तथा कुछ अन्य अस्पतालों में कारोनरी उपचार यूनिट स्थापित करेगी अथवा नगर के सभी औषधालयों में कम से कम ऐसे छोटे स्तर के यूनिट स्थापित करेंगी ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : हृदय धमनी रोगों के लिये सफदरजंग अस्पताल में काफी बड़ी उपचार युनिट है। अन्य अस्पतालों के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं। मानसिक तनाव के कारण हाल में कारोनरी रोगों में वृद्धि हुई है। यह घटना सम्पूर्ण विश्व में घट रही है। इस रोग के उपचार में अधिक धन राशि खर्च होती है। हम पहले अन्य बीमारियों को दूर करना चाहते हैं क्योंकि वे गरीब जनता को होती हैं। कारोनरी रोग बहुत कम लोगों को होता है। माननीय सदस्य ने सराहनी झाव दिया है तथा हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कारोनरी उपचार यूनिटों में वशेषज्ञों और सदस्यों की बहुत कमी है? हमें यह शिकायतें मिली हैं कि जब भी रोगी उन यूनिटों म

जाते हैं तो उन्हें बहुत लम्बी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यह भी सुझाव दिया गया था कि विद्यमान यूनिटों में अधिक विशेषज्ञ तथा नर्सें रखी जाएं। क्या सरकार इन यूनिटों में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जिससे अधिक रोगियों का उपचार किया जा सके तथा उन्हें अच्छी सेवा दी जा सके ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : हम इस सुझाव की जांच करेंगे।

श्री वीरेन्य सिंह राव : गत कुछ वर्षों में अधिक संसद-सदस्यों के कारोनरी रोग से ग्रस्त होने की घटनाओं को देखते हुए, क्या सरकार संसद-भवन औषधालय में विशेष उपचार यूनिट स्थापित करेगी तथा संसद-सदस्यों की देखभाल के लिए कोई अन्य प्रबन्ध करेगी, क्योंकि संसद-सदस्यों को प्रायः हृदय रोग हो जाता है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : इस प्रश्न पर महानिदेशक, सचिव और मैंने कुछ महीनों पहले विचार विर्मश किया था, इस विषय पर सभी संसद सदस्यों को एक नोट अथवा निदेश परिचालित किये गये थे। हम इस बात पर अधिक बल देकर यह धारणा उत्पन्न नहीं कराना चाहते कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में संसद-सदस्यों को यह रोग अधिक होता है। हमने चार प्रमुख रोगों को चुना है तथा उन्हें रोकने के लिये विस्तृत आदेश दिये हैं। मैंने संसद-सदस्यों से स्वयं अनुरोध किया है कि वे दिल्ली आने पर और यहां से जाने पर समय-समय पर अपनी स्वास्थ्य परीक्षा कराते रहें। यदि मेरे अनुरोध को स्वीकार किया जाये तो हम इस प्रकार अधिक सावधानी बरत सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि जिन्हें यह रोग है उन्हें प्रश्न काल में यहां आने की अनुमति न दी जाए क्योंकि उस समय बहुत तनाव रहता है।

श्री के० मनोहरन : महोदय/बीमारी के नाम पर सदस्यों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उस समय तनाव ही तनाव रहता है, प्रश्न नहीं।

Dr. Laxminarain Pandey: There are a large number of cases of heart disease in our county and many persons have died of this disease. In certain cases this disease has not been identified. May I know whether any scheme to meet the shortage of specialists of heart disease is under consideration of the Government and whether Government propose to invite foreign specialist to prevent disease.

Shri Uma Shankar Dishkit : In our medical institute for post-graduate degree, there are ample opportunities to specialize in heart diseases and therefore, any special scheme is not required for this purpose. Any scheme can not produce first class specialist immediately. However our training institutes are provided with best arrangements and Indian physicians in allopathy and its branches are highly intellectual and they are famous in the world. Thus the question of inviting foreign specialist does not arise.

श्री दीनेन महाचार्य : कारोनरी रोग के उपचार के लिये प्रवन्ध करते समय क्या सरकार ने इस रोग के कारणों के बारे में अध्ययन किया है ? इस रोग का वास्तव में कारण क्या है तथा इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। क्या इस रोग को फैलने से रोकने के लिये कोई निरोधात्मक उपाय किये गये हैं ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं स्वयं कोई रोग विशेषज्ञ नहीं है। मैंने लगभग 1000 पृष्टों की एक बड़ी किताब पढ़ी है, पढ़ी नहीं वरन् इसे सरसरी निगाह से देखा है तथा उस पुस्तक का नाम "स्ट्रेस" है। इससे विदित होता है कि जीवन की आधुनिक परिस्थितियों में तनाव किस प्रकार बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि यदि व्यायाम और प्राणायाम की यौगिक क्रियाओं को किया जाये तो इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। मैं सभी संसद-सदस्यों के लिये व्यायाम और प्राणायाम क्रियाओं का प्रबन्ध कराने की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं। यदि वे क्रियाएं की जाएं तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह सुझाव बहुत अच्छा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करें। हम सभी इसके लिये तैयार हैं। मत्रियों को भी उनमें भाग लेना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस रोग का मूल कारण क्या है ? मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसका कोई अन्य कारण है तो मेरे लिये वह सदस्य हैं जो अभी बोलने जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwari : The Hon. Minister has just now suggested that all the members should do **vyayam**. May I know whether he is going to make arrangements for **vyayam** for all the members ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Perhaps hon. Member did not hear me. I have said that if hon. Members desire we would make arrangements for it. It will involve certain expenditure. If these arrangements are not..... then hon. members themselves would put question on that.

पश्चिम दिल्ली की शंकर गाडन कालोनी में कमियों का दूर किया जाना

*295. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी के कोलोनाइजर ने इस कालोनी में सेवाओं की कमी को दूर करने के लियें अपेक्षित धनराशि 1969–70 में जमा करा दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों से कमियों को दूर न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परीवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) तथा (ख) : जी, नहीं। यद्यपि निर्माण-कार्यों के करने के लिये शंकर-गार्डन कालोनी के निवासियों ने 1968 में 26,970 रुपये की राशि जमा कराई थी, परन्तु जब टेन्डर आर्मंत्रित किए गये तो यह मालूम हुआ कि कार्य की लागत 58,685 रुपये थी। दिल्ली नगर निगम ने, जिसने अभी यह कार्य करना है, निवासियों से शेष राशि जमा करने के लिये कहा है। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

श्रीमती सवित्री श्याम : मंत्री महोदय ने बताया है कि लगभग 26,000 रुपयों की राशि जमा कराई गई है। लगभग 58,000 रुपयों की लागत के आधार पर यदि शेष राशि जमा करादी जाती है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण कितने महीनों में कालोनी की असुविधाओं को दूर कर देगा ?

इसके अतिरिक्त, लगभग 58,000 रुपये का खर्च 1969 में निर्माण लागत के आधार पर था। अब निर्माण की लागत में वृद्धि हो गई है। इस बढ़े हुए खर्च को दिल्ली विकास प्राधिकरण बहन करेगा। अथवा प्लाटों के मालिक ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : यदि शेष राशि जमा करा दी जाती है तो मैं दिल्ली नगर निगम से शीघ्र कार्य आरम्भ करने का अनुरोध करूंगा। मैं तुरन्त यह नहीं बता सकता कि कार्य आरम्भ होने के पश्चात कितना समय लगेगा। प्रायः निर्माण कार्य में निर्धारित समय से अधिक ही समय लग जाता है। फिर भी मैं यह प्रयत्न करूंगा कि समय बरबाद नहीं किया जाए। अब चूंकि मुझे चुनौती मिल चुकी है, जहां तक मूल जमा राशि तथा वर्तमान राशि में अन्तर था सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में सावधानी बरतूंगा कि मांगी गई राशि अपेक्षित राशि से कम न हो।

श्रीमती सवित्री श्याम : कुछ प्लाट मालिकों के साथ 1969 में मकान बनाने की अनुमति मिल गई थी तथा उन्होंने मकान बना लिए हैं। किन्तु बाकी प्लाट मालिकों को मकान बनाने से, रोक दिया गया है। इसके क्या कारण हैं ? मुझे आशा है माननीय मंत्री इस मामले की जांच करेंगे

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं इसकी जांच करूंगा।

खाद्य तथा खाद्य उत्पादों की वसूली तथा भाण्डाकार सुविधाओं में सरकारी एजेंसियों की असफलता

*296. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 तथा 1971 की तुलना में वर्ष 1972 के दौरान खाद्य तथा खाद्य उत्पादों की वसूली तथा भण्डारण में कितने टन की कमी रही ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सरकार एजेन्सियां द्वारा अतिरिक्त माल उपर्युक्त समय में न खरीदे जाने तथा पर्याप्त भाण्डागार और परिवहन सुविधाओं के न होने के कारण लक्ष्य से अधिक उत्पादन वाले वर्षों के दौरान खाद्य, खाद्य उत्तपादों तथा वाणिज्यिक फसलों की बहुत बड़ी मात्रा में हानि हुई है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या अग्रिम कार्यवाही की है और करने का विचार है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकारी एजेंसियां खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, संचलन तथा भाण्डारण के लिए समय से व्यवस्था करती हैं। सरकार प्रबन्ध की कमी के कारण हुई किसी हानि से अवगत नहीं है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों और अन्य जिन्सों की अधिप्राप्ति भण्डारण और संचलन के लिए अग्रिम व्यवस्था, यथावत जारी रखी जायेगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रश्न का भाग (क) स्पष्ट नहीं था अतः यदि माननी सदस्य चाहें तो उसके बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : खाद्यान्नों का भण्डार करने के लिये देश में भाण्डागारों की क्षमता कितनी है तथा तेल जैसे तरल खाद्य पदार्थों को भण्डार करने के लिये टैंकियों की कितनी क्षमता है ? खत्तियों के लिये कितने केन्द्र हैं तथा खाद्य तेलों के लिये कितने टैंक फार्म हैं।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : खत्तियां (साइलो) बहुत सीमित हैं। केवल दो या तीन स्थानों पर खत्तियां बनाई गई हैं। हम अतिरिक्त खत्तियां बनाने की योजना बना रहे हैं।

जहां तक भण्डार की कुल क्षमता का प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, राज्य भाण्डागार निगम, राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों सहित कुल क्षमता लगभग 1.998 करोड़ टन की है ।

श्री डी० डी० देसाई : यह सर्वविदित है कि जिस प्रकार अब खाद्यान्न का भण्डार किया जाता है उससे खाद्यान्न को सम्भालने, लाने ले जाने तथा कीड़े मकोड़ों और चूहों आदि से भारी हानि होती है । एक प्रश्न यह भी था जिसका उत्तर मांगा गया था । खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिये क्या नए उपाय किये गये हैं । क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा बोरों को खोला जाए तथा उन्हें धूनी देकर शुद्ध कर दिया जाए ? अथवा उन्हें भाण्डागारों में उसी स्थिति में पड़े पड़े पुराने ढंग से धूनी दी जाती रहे ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : भाण्डागारों में धूनी दिया जाना आवश्यक है ।

उनका पहला प्रश्न हानि के बारे में था । जहां तक भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य ऐजेन्सियों द्वारा बनाए गए आधुनिक भण्डारों का प्रश्न है उनमें 0.5 प्रतिशत से कम खाद्यान्न नष्ट होता है । किन्तु जहां तक उन भाण्डागारों का सम्बन्ध है जिन्हें भारतीय खाद्य निगम ने किराये पर लिया है उनमें कुछ अधिक हानि होती है क्योंकि वे भाण्डागार ऐसे नहीं हैं जहां चूहे आदि या सीलन न पहुंच सके । आधुनिक किस्म के भाण्डागारों में कम हानि होती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में वे सफल हैं ।

श्री डी० डी० देसाई : वनस्पति तेल जैसे खाद्य तरल पदार्थों के लिये कितने टैंक फ़ार्म हैं ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : In one of his statements, hon. Minister stated that bumper crop was expected and that they were going to purchase 60 lakh tonnes of foodgrains. It has been observed that there are no proper arrangements to store foodgrains and to trasport them from one place to another, resulting in heavy loss. May I know the steps taken to fill foodgrains in bags properly and to ensure proper transportation in order to avoid heavy loss ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने मूल उत्तर में निवेदन किया है, इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है तथा अब भाण्डागारों में 0.5 प्रतिशत से कम खाद्यान्न नष्ट होता है । अन्य सुझावों पर सदा ध्यान दिया जा सकता है ।

भण्डार सुविधाओं के अभाव में खाद्यान्नों को क्षति तथा समस्या को हल करने के लिए की गई कार्यवाही

***297. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश में इस समय खाद्यान्नों का भण्डार रखने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोदामों के अभाव के कारण काफी मात्रा में खाद्यान्नों को या तो क्षति पहुंची है या वह नष्ट हो गये हैं ; और

(ग) खाद्यान्नों को स्टोर करने तथा उनको लाने-ले-जाने की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): **(क) और (ख)**: यद्यपि अधिप्राप्ति के व्यस्ततम मौसम के दौरान अतीत में कुछ राज्यों में भण्डारण सम्बन्धी सुविधाऐं बढ़ाने पर बल दिया जाता रहा है फिर भी पर्याप्त उपाय किए गए हैं और केन्द्रीय खाते में अधिप्राप्त खाद्यान्न भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त भण्डारण स्थान की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये विभिन्न उपायों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्राश कार्यक्रम के अधीन गोदामों का निर्माण कराना, विशिष्ट वर्षों के लिये उपयोग की गारंटी देकर प्राइवेट पार्टियों से गोदाम निर्माण करवाना, प्लिथों पर पोलीथीन की चादरों/तिरपालों से ढककर खाद्यान्नों का भण्डारण करना, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम राज्य भण्डागार निगमों जैसी विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए समन्वित प्रयत्न शामिल है।

खाद्यान्नों का संचलन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और रेलवे के परामर्श से समय समय पर संचलन योजनाएं तैयार की जाती हैं और उनकी कार्यान्विति पर कड़ी नजर रखी जाती है। हाल ही के महीनों में हुए संचलन के स्तर को कमी वाले क्षेत्रों में अनाजों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर काफी बड़ा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय हमें यह जानकारी दें कि गत वर्ष कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ।

दूसरे, खराब खाद्यान्न को किस प्रकार बेचा जाता है ?

क्या सरकार को यह आशंका है अथवा क्या उसे किसी ऐसे मामलों का पता चला है जिसमें अधिकारी जान बूझकर खाद्यान्न को खराब होने देते हैं जिससे रुपया कमाने के लिये वे इसको बेच सकें ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : भण्डार सम्बन्धी हानि, जैसा कि मैं बता चुका हूं, 0.5 प्रतिशत से कम है। भाण्डागार तथा मार्ग में गत तीन वर्षों में हुई हानि इस प्रकार है : 1968-69 में 0.96 प्रतिशत, 1969-70 में 0.92 प्रतिशत और 1970-71 में 0.92 प्रतिशत।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देश में उचित मूल्य की दुकानों में चीनी का समान विक्रय मूल्य

*281. **श्री राम प्रकाश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में "लैवी" चीनी का विक्रय मूल्य समान रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उचित मूल्य की दुकानों में चीनी का समान विक्रय मूल्य सुनिश्चित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : **(क) और (ख)** : देश भर में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से एक से मूल्य पर लैवी चीनी की बिक्री करने के लिए अक्टूबर, 1972 से एक योजना लागू की गई थी । 12 राज्य सरकारों ने इस बात की विशेषतया पुष्टि की है कि उन्होंने उपर्युक्त तारीख से योजना को कार्यान्वित कर दिया है, लेकिन हाल ही में केवल नागालैण्ड सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि दुर्गम स्थान होने के कारण इस योजना को नागालैण्ड में कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई में वृद्धि

*282. **मौलाना इसहाक सम्मली** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दूध की सप्लाई बढ़ाने की दिल्ली दुग्ध योजना की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन 55,000 व्यक्तियों को, जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, दुग्ध टोकन जारी करने में दिल्ली दुग्ध योजना को कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान डेरी योजना की तरल दूध संभालने की दैनिक क्षमता को 3 लाख लिटर से बढ़ाकर 3.75 लाख लिटर किया जा रहा है । विस्तार का यह कार्य काफी प्रगति कर चुका है और कर रहा है आगामी कुछ ही महीनों में यह पूरा हो जाएगा । दिल्ली में दैनिक 4 लाख लिटर दुग्ध संभालने की क्षमता का एक दूसरा डेरी संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है और यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) इस समय जिन व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं उनकी दूध की आवश्यकता जून, 1973 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ।

अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता

*283. **श्री नवल किशोर शर्मा** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) देश के अस्पतालों में रक्त की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या रक्त दान करने वाले व्यक्ति निर्धन तथा अस्वस्थ्य होते हैं जो अपने रक्त का विक्रय करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन अस्वस्थ लोगों का रक्त अन्य रोगियों के शरीर में चढ़ाते समय विभिन्न रोगों के कीटाणुओं से युक्त होता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों द्वारा रक्त विक्रय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) अस्पताल के प्रत्येक पलंग के लिए प्रति वर्ष कम से कम 7 यूनिट रक्त की आवश्यकता को लेकर 31-3-1970 को यह अनुमान लगाया गया था कि देश के अस्पतालों में रक्त की 500 सी० सी० की 20,88,128 बोतलें दरकार होंगी ।

(ख) व्यावसायिक रक्तदान आमतौर पर गरीब होते हैं । वैसे, अस्वस्थ व्यक्तियों का रक्त स्वीकार नहीं किया जाता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कोई भी ब्लड बैंक रक्त देने वाले व्यक्तियों की डाक्टरी जांच कराये बिना रक्त नहीं लेता । रोगोत्पत्ति की आशंका वाले व्यक्तियों से रक्त नहीं लिया जाता है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वैच्छिक रक्त दाताओं को प्रोत्साहन देने और व्यावसायिक रक्त दाताओं से धीरे-धीरे मुक्त होने के सभी सम्भव उपाय बरतें ।

भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिये समय बद्ध कार्यक्रम

*287. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से भूमि सुधारों के कार्यान्वियन के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(क) 23 जुलाई, 1972 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि सम्मेलन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समाविष्ट निष्कर्षों के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा सम्बंधी सभी संशोधित कानून 31 दिसम्बर, 1972 तक बना दिये जायें । आशा है राज्य सरकार भूमि सुधारों को प्रभावशाली ढंग से और शीघ्रता से कार्यान्वित करेंगी ।

(ख) राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) अधिकतम सीमा का स्तर :—सुनिश्चित सिंचाई तथा वर्ष में कम से कम दो फसलें देने वाली उत्तम किस्म की भूमि की अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ तक होनी चाहिये ।

गैर-सरकारी स्रोतों से सिंचित तथा वर्ष में कम से कम दो फसलें देने वाली भूमि को सरकारी स्रोतों से सिंचित उसी प्रकार की भूमि से 1.25 : 1 एकड़ के अनुपात में माना जाना चाहिए । किन्तु किसी भी दशा में गैर-सरकारी स्रोतों से सिंचित भूमि 18 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

बगीचों सहित अन्य सभी प्रकार की भूमि की अधिकतम सीमा 54 एकड़ होगी ।

(2) **लागू करने की इकाई** :—भूमि की अधिकतम सीमा पति, पत्नी और छोटे बच्चों के पांच सदस्यों वाले परिवार पर लागू होगी। परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये अधिकतम सीमा के पांचवे भाग की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि कुल भूमि अधिकतम सीमा के दुगुने से अधिक न हो। भूमि की अधिकतम सीमा के उद्देश्य से प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई माना जायेगा।

(3) **छूट देना** :—चाय, काफी, रबर, इलायची, और कोको के बागानी को अधिकतम सीमा से छूट मिलनी चाहिये।

भूदान यज्ञ समिति, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के अधिकार में विद्यमान भूमि को भी छूट मिलनी चाहिये।

(4) **मुआवजा** :—फालतू भूमि के लिये मुआवजा बाजार कीमत से कम दरों पर अदा किया जाना चाहिये जो कि नये आबंटियों की देने की क्षमता के अन्तर्गत हो जिसमें कि मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के भूमिहीन कृषि मजदूर होते हैं।

(5) **फालतू भूमि का वितरण** :—फालतू भूमि के वितरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(6) **पिछली तारीख से लागू करना** :—अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों को पिछली तारीख से लागू किया जाना चाहिये जो कि 24 जनवरी, 1971 से बाद की न हो।

मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति उत्तर के साथ संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–3896/72]

नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट

*288. **श्री सी० जनार्दनन** :

श्री वरके जार्ज :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य सरकार के कपूरथला प्लाट के उस शेष भाग को देने के लिए केन्द्र से बारबार अनुरोध किया है जो अब दिल्ली प्रशासन के कब्जे में है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्लाट को शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : लिटन रोड पर कपूरथला प्लाट नामक लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में से 2.164 एकड़ केरल सरकार को 1967 में दे दिया गया था। केरल सरकार शेष भूमि देने के लिए आग्रह कर रही है। यह भूमि दिल्ली प्रशासन की सुरक्षा पुलिस लाइन्ज के दखल में है। भारत सरकार द्वारा यह भूमि सुरक्षा पुलिस द्वारा खाली किए जाने पर केरल की राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय किया गया है : दिल्ली प्रशासन से प्लाट को यथा-संभव शीघ्र खाली करवाने का अनुरोध किया गया है।

SCHEME TO ENCOURAGE AYURVEDIC SYSTEM OF MEDICINE

*291. **Shri Phool Chand Verma**

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:

(a) Whether Government have under codsideration any Scheme to encourage the Ayurvedic System of medicine; and

(b) if so, the main features thereof?

Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shanker Dikshit)

(a) and (b) : The Government of India have already undertaken a number of schemes for the development of Ayurveda. The main features of these schemes are indicated below :—

I. Post-graduate Education :

The Government of India is giving cent-per-cent assistance to the Banaras Hindu University, Varanasi and the Gujarat Ayurved University, Jamnagar, for Post-graduate Training and Research in Ayurveda. Steps have also been taken to upgrade departments for post-graduate training and research in Ayurveda in the various States.

II. Under-graduate Education :

Grants-in-aid are being given to the Under-graduate Colleges of Ayurveda run by Voluntary Organisations with a view to provide additional facilities like construction of building for the colleges, hostel, laboratory, pharmacy, herb-garden and essential equipment in order to improve the standards of such colleges.

III. Central Council of Indian Medicines :

The Central Council of Indian Medicine which has been constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970, would evolve minimum standards of education in Indian Medicine and maintain an All India Register of practioners who possess any of the recognised qualification in Indian Systems of Medicine.

IV. Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy :

An autonomous Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has been established by the Government of India to initiate aid, develop and coordinate scientific research on different aspects, fundamental and applied, of the Indian System of Medicine and Homoeopathy and Yoga. This is the only organisation in the country performing these functions in respect of these systems of medicine. The Council has established various types of research units, Institutes and enquiries.

V. All India Institute of Ayurveda :

It has also been agreed in principle to establish an All India Institute of Ayurveda. Details of the scheme are being worked out.

नगरपालिका प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए केन्द्रों की स्थापना करना

*294. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरपालिका प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए तमिलनाडु, केरल और मैसूर की राजधानियों में केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(ख) ऐसे केन्द्र केवल बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और लखनऊ में ही स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) इस समय नगरपालिका प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए तमिलनाडु, केरल और मैसूर की राजधानियों में अलग-अलग केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। नगरपालिका प्रशासन में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की योजना की पांचवी योजना में शामिल करने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार कर योजना आयोग को भेज दिया गया है। इस पत्र में देश के भिन्न-भिन्न भागों में चार अन्य केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की गयी है।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और लखनऊ में केन्द्रों की स्थापना इस लिए की गयी थी कि वे क्षेत्रीय आधार पर आस-पास के राज्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करें।

अन्तर्देशीय समुदी परामर्शदाता संगठन के लंदन में हुए परिषद सत्र में भारत का भाग लेना

*298. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 7 नवम्बर, 1972 को लंदन में हुए अन्तर्देशीय समुद्री परामर्शदाता संगठन की परिषद के सत्र में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के सत्र में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) भारत ने इस सत्र में कया योगदान दिया और इस बारे में अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

ससंदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभापटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

तकनीकी सहयोग समिति और परिषद् ने दूसरी बातों के साथ साथ निम्नलिखित मदों पर भी चर्चा की।

1. पूर्व अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका में प्रादेशिक समुद्री प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना :

हमने प्रस्ताव का समर्थन किया और वर्तमान संस्थाओं में उपकरण की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया । इस बात को स्वीकार कर लिया गया और इससे प्रशिक्षण केन्द्रों में हमारे उपकरणों को आधुनिकतम बनाने में सहायता मिलेगी ।

2. पूर्वी भूमध्य सागरीय समुद्रीप्रदूषण निगरानी और सूचना केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव :

हमारे प्रतिनिधि मण्डल द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि परियोजना की निगरानी के अलावा तेल के कारण हुए प्रदूषण को साफ करने के लिए उपकरण की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

3. विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय भर्ती और विशेषज्ञों का चुनाव :

तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों और विशेषकर समुद्री प्रशिक्षण के क्षेत्र में रिक्त स्थानों के भरने के लिए भारतीय विशेषज्ञों की उपलब्धता पर हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने विशेष बल दिया ।

4. बंगलादेश की इमको की सदस्यता :

यू० के० ने प्रस्ताव किया कि महासचिव को चाहिए कि वे बंगला देश को इमको में शामिल होने के लिये विशेष आमंत्रण देने की पहल करें। रूस और हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया । यह सूचित किया गया कि बंगला देश का शीघ्र ही इमकों की सदस्यता के लिए निवेदन करने का इरादा है । अतएव इस प्रश्न पर आगे और कार्रवाई नहीं की गई ।

5. अलजीरियाई प्रस्ताव, जिसमें इमकों से दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी निवेदन किया गया है कि वह पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों को सभी प्रकार का सहयोग देना बन्द कर दें :

प्रस्ताव पर गुप्त मतदान किया गया । प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया क्योंकि इस के पक्ष में 4 और विरोध में 12 वोट पड़े जबकि एक सदस्य ने मतदान में भाग नहीं लिया ।

केरल के लिए अकालराहत योजनाएं

*299. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने केरल के सूखा ग्रस्त तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कौन-कौन सी अकाल राहत योजनाएं मंजर की हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुल मिलाकर इस मौसम में राज्य भर में पर्याप्त वर्षा हुई है । इसलिए फिलहाल कोई सूखे की स्थिति नहीं है ।

वस्तुत: राज्य के कई भाग, विशेषकर क्विलन जिला, मई, 1972 में बाढ़ से प्रभावित हुए थे । केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर बाढ़-राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा के रूप में 126.74 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी ।

यह बताया गया है कि अक्तूबर, 1972 के अंत में त्रिवेन्द्रम जिले में बाढ़ आयी । केन्द्रीय सरकार ने दूसरा दल गठित किया है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में की गई सिफारिशें

*300. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **शिक्षा** और **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नई दिल्ली में हाल में आयोजित बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो०एस० नुरूल हसन) : केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 18–19 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई अपनी 36वीं बैठक में "पांचवी पंच वर्षीय योजना (1974–79) में शिक्षा" पर एक मसौदा अनुमोदित किया है । इस की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं––

(1) शिक्षा संबंधी प्रणाली में परिवर्तन

(2) स्तरों में सुधार

(3) विशेष रूप से सामाजिक-दलित वर्गों के लिये पूर्व-स्कूल कार्यक्रम व्यापक रूप से शुरू करना ।

(4) 6–11 वर्ष के आयु वर्ग के लिये 1975–76 तक तथा 6–14 आयुवर्ग के लिय 1980–81 तक सर्व व्यापी प्राथमिकता शिक्षा की व्यवस्था ।

(5) सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में, स्कूल तथा कालेज कक्षाओं की एक समान पद्धति अर्थात् 10+2+3 का अपनाया जाना ।

(6) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण ।

(7) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नीति का विकास करना, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथा खास-तौर से समाज के अति दलित वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल तथा विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके ।

(8) 14–25 वर्ष के आयु-वर्ग के लोगों के लिये युवक आन्दोलन शुरु करना ।

(9) कालेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा का पुनर्गठन ।

(10) तकनीकी शिक्षा का विकास ।

(11) राष्ट्रीय समाजसेवा का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना ।

(12) विस्तार तथा कोटि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना ।

अखिल भारतीय नेत्र हीन सहायता सोसायटी नई दिल्ली के लेखे की जांच

2792. **श्री अम्देश** : क्या स्वास्थ्य और **परिवार नियोजन मंत्री** 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के वित्त सचिव ने 4-8-1969 की अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता सोसाइटी, दिल्ली के लेखों की जांच कराई थी और पाया था कि (1) श्री कुमार पाल उक्त सोसाइटी के निदेशक के रूप में तथा डा० भगवान दास स्मारक न्यास के जनरल सेक्रेटरी के रूप में दोनों संस्थाओं से अलग-अलग वेतन तथा भत्ते वसूल कर रहे हैं ; (2) संस्था की पुस्तकों में कोई सामान्य निधि विद्यमान नहीं है और संस्था के पास कोई धन उपलब्ध नहीं था हांलाकि तुलनपत्र में 31 मार्च, 1968 को 67,829.82 रुपये की राशि दिखाई गई थी ;

(ख) क्या उक्त दोनों रजिस्टर्ड तथा सरकार से सहायता प्राप्त नियमों से अलग-अलग वेतन तथा भत्ते लेना और सामान्य निधि के 67,829.82 रुपये के पुर्वनियोजन दण्डात्मक अपराध है, और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) (क) से (ग) : जी हां। दिल्ली प्रशासन ने अपने स्थानीय निधि लेखों के परीक्षक से आल इण्डिया ब्लाइण्ड रिलीफ सोसाइटी, नई दिल्ली के 1967-68 के लेखों की जांच करायी थी। उक्त परीक्षक की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं —

"दिल्ली प्रशासन डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट को सहायक अनुदान दे रहा है। डा० कुमार पाल दोनों संस्थाओं से अलग-अलग वेतन ले रहे हैं अर्थात् आल इण्डिया ब्लाइण्ड रिलीफ सोसाइटी से निदेशक के रूप में और भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव के रूप में"।

"तुलन-पत्र में 'सामान्य निधि' शीर्ष के अन्तर्गत किराये की 10,000-/ रुपये की रकम तथा उपस्कर और फर्नीचर के किराए-खरीद की 2,000 रुपये की रकम तथा इतनी ही रकम दान के रूप में सोसाइटी के लेखों में उनके नामे डालना सही नहीं था। यह तो मात्र कागजी-कार्यवाही है जिससे व्यर्थ में आय और व्यय के आंकड़ों में वृद्धि होती है। वास्तव में इस संस्था के वहियों में तथाकथित "सामान्य-निधि" कोई शीर्ष है ही नहीं। संस्था के पास कोई धन भी नहीं था, हालांकि मार्च, 1968 को तुलन-पत्र में 67,829.92 रुपये की रकम दिखाई गई थी।"

दिल्ली प्रशासन ने बतलाया है कि डा० कुमार पाल द्वारा दोनों संस्थाओं से वेतन और भत्ते लेने का अर्थ दुर्विनियोजन नहीं है। वैसे लेखे के दृष्टिकोंण से सामान्य निधि का सृजन अनियमित था। किन्तु इसे कोई दाण्डिक अपराध नहीं समझा गया है। प्रबन्धकों के विरुद्ध सही माने में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इस प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

15 से 59 वर्ष के लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी परियोजना

2793. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या 15 से 59 वर्ष तक की आयु के काम करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार प्रदान करने के लिए चालू वर्ष में देश के कुछ चुने गये ब्लाकों में एक मार्गदर्शी परियोजना चलाना स्वीकार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार मुख्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) : प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना चालू वर्ष में 15 राज्यों के 15 चुने खण्डों में आरंभ की गई है। चुने खंडों और उन जिलों जिनमें ये स्थित हैं, के नामों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। इस परियोजना का लक्ष्य 15–59 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिसे रोजगार की आवश्यकता है, को उपयुक्त शाररीरिक-श्रम का रोजगार उपलब्ध कराता है। प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना चुने खण्डों में प्रायोगात्मक आधार पर पूर्ण रोजगार उपलब्धक करने का एक प्रयास है। जब यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में पूरी तरह कार्यान्वित की जाएगी, तब इस उद्यम की लागत और चुने खण्डों में बेरोजगारी के स्वरूप एवं परिमाण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। प्रथम वर्ष में औसतन 10 लाख रुपये प्रति खण्ड व्यय किए जाने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े और प्राप्त किए गए अनुभव से पांचवी योजना के लिए उपयुक्त ग्राम रोजगार नीतियां तैयार करने में सहायता मिलेगी। प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना तीन वर्षीय परियोजना है। तीसरे वर्ष में सभी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। परियोजना का सारा परिव्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। इस परियोजना का लक्ष्य, रोजगार प्रदान करने के अलावा, परियोजना में काम में लगाए गए कम से कम कुछ मजदूरों को नई कुशलताएं सिखाना भी है। इस परियोजना के फलस्वरूप स्थायी स्वरूप की परिसंपत्तियां भी पैदा होंगी।

प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना संबंधी एक अखिल भारतीय वर्कशाप जून, 1972 में मैसूर में आयोजित किया गया था। इसमें परियोजना के सिद्धान्तों और परियोजना प्रलेखों में दी गई विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट किया गया। राज्य सरकारो से अनुरोध किया गया कि वे बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण करें और निर्माण कार्य के कार्यक्रम के साथ ही रोजगार बजट तैयार करें। विभिन्न राज्यों में रोजगार बजट और निर्माण कार्य का कार्यक्रम तैयार करने का काम विभिन्न अवस्थाओं में है। परियोजनाओं में काम ढंढ़ने वाले मजदूरों को रजिस्टर करने का कार्य या तो पूरा हो गया है अथवा हो रहा है।

ग्राम रोजगार की प्रायोगिक गहन परियोजनाओं के लिए चुने गए जिलों/खण्डों की सूची

राज्य	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1. आंध्र प्रदेश	शादनगर	महबूब नगर
2. असम	पंचिम नलबाड़ी	कामरूप
3. बिहार	मुसाहरी	मुजफ्फरपुर
4. गुजरात	तलाला	जूनागढ़
5. हिमाचल प्रदेश	सदर	बिलासपुर
6. जम्मू तथा काश्मीर	केल्लैर	अनन्तनाग
7. केरल	त्रितला	पालघाट
8. मध्य प्रदेश	अलिराजपुर जनजातीय विकास खण्ड	झाबुआ
9. महाराष्ट्र	करंजा	वार्धा
10. मैसूर	हरिहर	चित्रदुर्गा
11. उड़ीसा	अस्फा	गंजाम
12. राजस्थान	बुखिया	बंसवाड़ा
13. तमिल नाडु	मंगलूर	साउथ आरकोट
14. उत्तर प्रदेश	बंसदिह	बल्लिया
15. पश्चिम बंगाल	नयाग्राम	मिदनापुर

SURVEY OF UNDERGROUND WATER IN HOSHANGABAD AND EAST NIMAR, M.P.

2794. SHRI G.C. DIXIT :

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any surveys have been conducted to explore the quantity of underground water in Hoshangabad and East Nimar Districts in Madhya Pradesh particularly in Burhanpur City and Tehsil;

(b) whether Government have received a report of this survey and if so, the relevant details thereof; and

(c) the extent to which the suggestions made in the survey report by the Geological Survey of India have been accepted and the extent to which they have been implemented in regard to digging wells and sinking tubewells for irrigation and other purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : (a) Central Ground Water Board and the erstwhile Ground Water Wing of the Geological Survey of India (now merged with the Central Ground Water Board) have undertaken systematic geohydrological surveys and exploration for groundwater in the district of Hoshangabad, Madhya Pradesh for the appraisal of groundwater conditions and scope for its development. Similar surveys have been carried out by the erstwhile Ground Water Wing of the Geological Survey of India in parts of East Nimar district of Madhya Pradesh. Reconnaissance hydrogeological survey has also been carried out in Burhanpur city and Tehsil.

(b) Yes, the survey reports have been received from time to time. The reports give in general the geological framework in which the groundwater occurs in a given area, depth zone and disposition of aquifer horizons and yield characteristics of the individual tube wells and open wells.

The report in respect of Burhanpur City and Tehsil is being finalised. The survey indicates that in four areas of district East Nimar there is scope for groundwater development by open-wells as well as dug-cum-bore wells.

(c) Suggestions given by the erstwhile Ground Water Wing of the Geological Survey of India in these reports have been made of use by the State authorities for the formulation and implementation of various groundwater developmental programmes (tube wells construction schemes) supplementing the irrigational facilities.

पांचवी योजना के दौरान बन्य-जीवन के विकास के लिए योजना

2795. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवी योजना के दौरान बन्य-जीवन के विकास के लिये एक योजना बनाई है तथा उसके लिये 6 करोड़ रुपये की धन राशि प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार तथा राज्यवार विकास का कार्यक्रम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : चीतों के संरक्षण की एक योजना "प्रोजिक्ट टाइगर" पर भारत सरकार विचार कर रही है और देश के कुछ सुसंहत और विकास की क्षमता रखने वाले क्षेत्रों को इस परियोजना में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है। 1-4-1973 से 6 वर्ष की अवधि तक इस योजना पर 5 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है ।

दिल्ली में स्कूलों का खोला जाना

2796. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयदेव पार्क, मदन पार्क, चुन्नामल पार्क, मनोहर पार्क, अशोक पार्क, मेन तथा एक्सटेंशन, फूल बाग, गोल्डन पार्क तथा भगवान दास नगर, दिल्ली 35 में कोई मिडिल/हायर सैकेण्ड्री स्कूल नहीं है जिस कारण उस क्षेत्र में रहने वले लगभग 20,000 लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) इस क्षेत्र के निवासी गत तीन वर्षों से निरन्तर इस बारे में मांग कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सरकार का विचार इस कमी को कब तक दूर कर देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) : इस समय इस क्षेत्र में कोई भी मिडिल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं है, किन्तु इस क्षेत्र के बच्चों को पड़ौस के स्कूलों में दाखिल किया जा रहा है । हालांकि इस क्षेत्र में मिडिल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने की मांग है, तथापि इस बात को देखते हुए कि पड़ौस के विद्यमान स्कूलों द्वारा इस क्षेत्र की आवश्यकताएं इस समय पूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं, दिल्ली प्रशासन को ऐसा नहीं लगता कि कोई नया स्कूल खोलना आवश्यक है ।

दिल्ली की कुछ बस्तियों में दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय

2797. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली 35 में मदन पार्क, चुन्नामल पार्क, मनोहर पार्क, अशोक पार्क, मेन और एक्स्टेंशन, फूल बाग, गोल्डन पार्क, जयदेव पार्क, और भगवान दास नगर बस्तियों में दिल्ली नगर

निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं हैं और इसके परिणाम स्वरूप इन बस्तियों में रहने वाले लगभग 20,000 लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इस असुविधा को दूर करने के लिए सरकार का कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) तथा (ख): दिल्ली की मदन पार्क, चुन्नामल पार्क, मनोहर पार्क, अशोक पार्क, मेन और एक्सटेंशन, फूल बाग, गोल्डन पार्क, जयदेव पार्क और भगवानदास नगर बस्तियों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का कोई भी औषधालय नहीं है। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का औषधालय उसी इलाके/बस्ती में खोला जाता है जहां एक साथ बहुत बड़ी संख्या में अर्थात् केन्द्रीय सरकार के 2,000 से 2,500 कर्मचारी हैं। इन बस्तियों में केन्द्रीय सरकार के केवल 36 कर्मचारी ही रह रहे हैं, वहां पर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय को खोलने का प्रश्न नहीं उठता है।

जहां तक दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के औषधालय की सूचना का सम्बन्ध है इसे एकत्र कर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में रोहतक रोड स्थित गोल्डन पार्क बस्ती को नियमित करना

2798. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक रोड, दिल्ली–35 स्थित गोल्डन पार्क नामक बस्ती मास्टरप्लान के आरम्भ से पूर्व वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई थी ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक उक्त बस्ती को नियमित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार उक्त कार्य को कब तक पूरा कर देने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :

(क) जी, नहीं। यह 1–9–62 के पश्चात अस्तित्व में आई।

(ख) तथा (ग) : यह बस्ती नियमित किए जाने की पात्र नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मास्टर-प्लान के अनुसार इस का भूमि-उपयोग "औद्योगिक" है।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के लिए केरल विश्वविद्यालय संघ की योजना

2799. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय संघ ने त्रिवेन्द्रम में आयोजित होने वाले अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के लिये कोई योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है, तथा क्या उसके लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी हां ।

(ख) स्वतंत्रता के 25वें वर्ष की स्मृति में जयंती समारोहों के भाग के रूप में सारे भारत के 25 विश्वविद्यालयों से 400 विद्यार्थियों के लिए उत्सव आयोजित किए जाने का विचार था। इसमें मुख्य रुप से संगीत, नृत्य और नाटक तथा सैर-सपाटा शामिल किया गया था । इसके लिए 50,000 रुपये का विशेष अनुदान मांगा गया था ।

(ग) उत्सव के बजाय राष्ट्रीय अन्तर्विश्वविद्यालय सेवा शिविर स्वीकृत किया गया है । केरल के अतिथेयी विश्वविद्यालय को आकस्मिक खर्चा वहन करने के लिए 20,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है । भाग लेने वाले विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उनके पास पहले से उपलब्ध निधि में से अपने विद्यार्थियों और अध्यापकों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते तथा भोजन संबंधी खर्चे का भुगतान करेंगे । इस शिविर में, सामूहिक विचार-विमर्श और सेमिनारों तथा कार्य परियोजनाओं के रुप में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम को प्रगति, अन्तर्विश्वविद्यालय कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। सांयकालों में सांस्कृतिक और बौद्धिक वाद-विवाद और युवक उत्सव के रुप में विचार-विमर्श किये जाएंगे । इस प्रकार के शिविर राष्ट्रीय एकीकरण का प्रवर्धन भी करते हैं और इसका एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का शैक्षिक महत्व भी है ।

FINANCIAL ASSISTANCE TO M.P. UNDER INTEGRATED LIBRARY SCHEME

2800. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have demanded financial assistance from the Central Government under the Integrated Library scheme during the financial year 1972-73; and

(b) the action taken by Government in this regard.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D.P. YADAV) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

CENTRAL GOVERNMENT GRANT TO M.P. FOR NARI NIKETANS

2801. Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of grants given by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh for each of the 'Nari Niketans' (Mahila Basti Kendras)

funcioning in the State during the financial years 1970-71 and 1971-72 separately;

(b) the amount of grant to be provided to the State Government under this head during the financial year 1972-73 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D.P. YADAV) : (a) No grants are given by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh for Nari Niketans (Mahila Basti Kendras) in that State.

(b) Does not arise.

ALLEGED SALE OF CHILDREN BY A STARVING ADIVASI

2802. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Hindustan' dated the 31st August, 1972 that "a starving and unemployed Adivasi couple sold two of their children at Rs. 110";

(b) whether Government have enquired into the facts at their level; and

(c) the authenticity of the news-item published and Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D.P. YADAV) : (a to c).

Such a report did appear in the issue of the Hindi daily 'Hindustan' dated 31-8-72. The Government of Andhra Pradesh have been asked to send a report on the case.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

2803. श्री अम्बेश :

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित करने में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार टाइप I और टाइप II के सरकारी क्वाटरों के आवंटन के लिए उपरोक्त कर्मचारियों की सूची बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रतिक्रिया अपनाई है ;

(ख) सरकार के ध्यान में लाई गई अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों को किराये पर गैर-सरकारी आवास प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए टाइप II से ऊंची श्रेणी के क्वार्टरों में भी आरक्षण करने और उपरोक्त 5 प्रतिशत आरक्षण में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों से उनके लिये सामान्य पूल में सुरक्षित 5 प्रतिशत कोटे में से टाईप–I तथा टाईप–II के मकानों के अलाटमेंट के लिये अलग आवेदनपत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए उनकी प्राथमिकता की तारीख के आधार पर अलग प्रतीक्षा-सूचियां बनाई जाती हैं तथा प्रतीक्षा सूची में उनके स्थान के अनुसार आवंटन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के वे कर्मचारी जो काफी वरिष्ठ हैं, सामान्य पूल के कोटे में से भी अपनी बारी आने पर मकान के आवंटन के पात्र हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि टाईप–I तथा II में 5 प्रतिशत सुरक्षित कोटे के साथ इन कर्मचारियों की परितुष्टि अन्य कर्मचारियों जैसी है : दूसरे टाइपों में परितुष्टि की प्रतिशतता अधिक है और इसलिये, विशेष आरक्षण आवश्यक नहीं समझा गया ।

दिल्ली परिवहन निगम और ग़रसरकारी संचालकों के पास बसों की संख्या तथा इनमें भीड़-भाड़

2804. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर में दिल्ली परिवहन निगम तथा गैर-सरकारी संचालकों की कुल कितनी बसें चल रही है, उनमें कुल कितने व्यक्ति बैठ कर यात्रा कर सकते हैं तथा प्रत्येक गाड़ी प्रतिदिन औसतन कितने चक्कर लगाती है ; और

(ख) बसों में अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):

(क) अक्तूबर, 1972 के महीने में दिल्ली परिवहन निगम ने नित्य औसतन 1213 बसें चलाई जिनमें अपने परिचालन के अन्तर्गत 178 प्राईवेट बसें शामिल हैं; इन बसों की सवारियां ले जाने की क्षमता खड़ी सवारियां सहित 67 है और प्रत्येक बस के फेरों की औसतन संख्या लगभग 12 थी इसके अलावा इसमें 61 यात्री गाड़ियां (बसें) और 65 मिनी बसें प्राईवेट चालकों द्वारा दिल्ली में चलाई जा रही हैं। इन बसों की औसतन बैठने की क्षमता क्रमशः 54 और 25 है। प्रत्येक बस प्रतिदिन 7 वापिसी फेरें लगाती है ।

(ख) बसों में बहुत भीड़ न हो इसके लिये निगम अपने बेड़े को बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहा है। जहां तक प्राईवेट बसों का सम्बन्ध है, दिल्ली परिवहन निदेशालय का परिवर्तन विभाग और यातायात पुलिस समय समय पर जांच करती है तथा दोषी चालकों को सजा देती है ।

सैनिक अधिकारियों को आवंटित भूमि की अधिकतम सीमा कानून से मुक्त करना

2805. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार सैनिक अधिकारियों तथा अन्य सैनिक पदाधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में आवंटित भूमि को अधिकतम सीमा कानून से मुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । इस वर्ष 23 जुलाई को आयोजित, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर बनाये गये राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तो में यह सिफारिश की गई है कि शौर्य कार्य के लिये उपहार के रूप में दी जानें वाली भूमि के लिये वर्तमान छूट समाप्त कर दी जाये ।

वर्ष 1971–72 में भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि तथा उसके कारण

2806. **श्री मातण्ड सिंह :**

श्री वर्के जार्ज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में भारतीय खाद्य निगम को "पारगमन के दौरान हानि" तथा "भण्डार में हुई क्षति" मदों के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितनी हानि हुई तथा इस हानि को कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस हानि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) :

(क) भारतीय खाद्य निगम को 1971–72 में पारगमन के दौरान हानि और भण्डारण में हुई क्षति मदों के अन्तर्गत राज्यवार हुई हानि के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पारगमन और भण्डारण के दौरान हानि को कम से कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) बोरियों को ठीक तरह पैक करने और साफ साफ निशान लगाने की दिशा में विशेष ध्यान देना ; प्लेटफार्मो और शैडों में खाद्यान्नों की चोरी रोकने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बोरियों को वैगन के दरवाज़े से कुछ दूरी पर रखा जाता है ।

(2) विभिन्न लदान/उतरान और तौल केन्द्रों पर अचानक जांच करने के लिए सतर्कता स्कवाइड की स्थापना ।

(3) रेलवे के साथ निकट सम्पर्क बना कर असम्बद्ध गुम वैगनों का पता लगाने के लिए तुरन्त अनुवर्ती कार्यवाही करना ।

(4) खाद्यान्नों को यथा सम्भव ढके हुए वैगनों में भेजने की व्यवस्था करना । जब खुले वैगनों में खाद्यान्नों का संचलन अपरिहार्य हो जाता है तब बोरियों का लदान पिरामिड रूप में किया जाता है और बोरियों को तिरपालों से अच्छी तरह ढक दिया जता है ताकि वर्षा का पानी बिना कोई हानि पहुंचाए उनके ऊपर से वह जाए । खुले वैगनों को रेलवे सुरक्षा दल की देख-रेख में ब्लाक रैकों में भेजा जाता है और रास्ते में रेलवे यार्डों में रैको की जांच पड़ताल की जाती है । जब कभी खाद्यान्नों को सड़क मार्ग से भेजाना होता है तब बोरियों को तिरपालों से अच्छी तरह ढक दिया जता है और उनकी पर्याप्त हिफाजत की जाती है ।

(5) रेल द्वारा संचलन योजनाबद्ध किया जा रहा है ताकि मार्ग में गाड़ी न बदलनी पड़े (ब्राड गेज से मीटर गेज और मीटर गेज से ब्राड गेज) जिससे खाद्यान्नो को सम्भालने में यथा संभव कम से कम हानि हो ।

(6) भारत सरकार ने अधिप्राप्ति और सरकारी वितरण की प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करनें के लिये देश में भण्डारण सुविधाओं का विकास करने के लिए विधिवत योजना तैयार की है । जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सुलभ की जा रही है । चूहों और नमी से सुरक्षित गोदाम, जिनमें स्टाकों का निरीक्षण और निर्दूषण करने के लिए पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था होती है, सुलभ किए जा रहे हैं । खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण करने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रदर्शन किए जा रहे हैं । खाद्य विभाग ने देशव्यापी अन्न सुरक्षा अभि यान शुरू किया है जिसके अन्तर्गत भण्डारण और कीटे नियंत्रण के वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण प्रदर्शनों और प्रचार कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) पारिगमन में क्षति और भण्डारण में हुई हानि की जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है और उस मामले पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

ग्रामीणो को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करने की योजना

2807. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सीधे-सादे ग्रामीणों को 'आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने की एक नई परियोजना आरम्भ करने की योजना बनाई है , और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) ग्रामीणों के लिये सभी चिकित्सा पद्धतियों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय नें ग्रामीण क्षेत्रों की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना तैयार की थी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ इस पर विचार-विमर्श हुआ था । राज्य सरकारों की इच्छानुसार प्रत्येक राज्य में उपलब्ध स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप योजना को दुबारा तैयार किया जा रहा है ।

कृषि मत्स्य पालत तथा पशु-चिकित्सा विषयों का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों को छात्र वृत्तियां

2808. **श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय में एक छात्र को बी० एस्० सी० (कृषि), बी०बी०एस०सी० अथवा बी०एफ० एस० सी० की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्री-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के पश्चात् पांच वर्ष तक अध्ययन करना पड़ता है तथा 61 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं ;

(ख) क्या मैसूर राज्य में चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग विषयों के पाठ्यक्रमों के मामले में एक छात्र को अपने प्री-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के बाद क्रमशः साढ़ेपॉच वर्ष तथा 5 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ता है तथा परीक्षा में केवल पास होने के लिए ही 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पालन विषयों के पाठ्यक्रम भी चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की अपेक्षा क्लिष्ट तथा कठिन है ; और

(घ) क्या परीक्षा में प्रथम बार असफल होने वाले कृषि, पशुचिकित्सा तथा मत्स्यपालन विषयों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को मट्रिक के पश्चात् छात्रवृत्तियां देना जारी रखा जायेगा जैसा कि चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय हेवल, बंगलौर से सूचना मांगी गई है । यह प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ASSISTANCE FOR IRRIGATION SCHEMES IN MADHYA PRADESH

2809. **SHRI DHAN SHAH PRADHAN : SHRI MARTAND SINGH :** Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether in view the drought conditions in Madhya Pradesh, any funds have been provided by the Central Government during the current year for undertaking irrigation schemes in that State; and

(b) If so, the District-wise break-up of the schemes in the State and the time by which the work on the schemes is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) To meet the situation arising from the drought conditions in Madhya Pradesh, the Government of India have accorded administrative approval for a loan assistance of Rs. 5·53 crores for implementation of minor irrigation programmes in the States.

(b) A statement indicating the district-wise break-up of the targets for various minor irrigation schemes is enclosed. [Placed in Library Please see No. L.T. 3897/72]. The work in respect of all minor irrigation schemes shown in the enclosed statement is expected to be completed by the end of December, 1972.

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के परिसर में स्थित एक नवनिर्मित भवन की क्षति

2810. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1972 में पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के परिसर में स्थित एक नवनिर्मित भवन को गम्भीर क्षति पहुंची थी,

(ख) यदि हां, तो क्या क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और उन के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, और

(ग) शरारती व्यक्तियों के नाम क्या हैं और भवन को किस सीमा तक क्षति पहुंची है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : पंजाब विश्वविद्यालय तथा चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो पंजाब इंजीनियरी कालेज से छात्रों की भीड़ जिस में बाद में कुछ अन्य स्थानीय कालेजों के छात्र भी शामिल हो गए थे चलकर 25 अक्तूबर, 1972 को विश्वविद्यालय के परिसर में घुस गई। उन्होंने नव निर्मित छात्र केन्द्र तथा कुछ अन्य इमारतों की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। इस घटना में विश्वविद्यालय परिसर का कोई छात्र शामिल नहीं है

कुल क्षति का अनुमान लगभग 18,000 रूपये है। अभी तक शरारती व्यक्तियों का पता नहीं लग सका है।

त्रिपुरा के आदिवासियों द्वारा भारतीय वन-अधिनियम का उल्लंघन

2811. **श्री दशरथ देव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से अब तक त्रिपुरा के आदिवासियों के विरुद्ध वर्तमान भारतीय वन अधिनियम के उपबन्धों का कथित उल्लंघन करने के कारण कितने मुकद्दमे चलाये गये ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में अपराधियों पर जुर्माना करके अथवा जेल भेज कर दण्डित किया गया ; और

(ग) कितने मामले अभी तक न्यायालायों में निलम्बित पड़े हैं और उन मामलों के निपटाने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) वांछित सूचना त्रिपुरा राज्य से एकत्रित की जा रही है। यह यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

कुछ सहकारी कताई मिलो के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

2812. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के लिये कुछ सहकारी कताई मिलों को चुना है जिसके अन्तर्गत वे अपने आस पड़ोस में कपास की अपेक्षित किस्म तथा मात्रा में खेती का पुनरीक्षण तथा नियन्त्रण करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बाते क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ सहकारी कताई मिलों के लिये यह योजना स्वीकृत की गई है । प्रत्येक मिल को सघन खेती के लिये 2,000 हैक्टर क्षेत्र आवंटित किया गया है । भारत सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कताई मिलों की निम्नलिखित आर्थिक सहायता दे रही है :–

1. वनस्पति रक्षण के लिये रासायनिक पदार्थों तथा उपकरणों की लागत पर 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता ;

2. यूरिया की लागत पर 100 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत क्षेत्र पर यूरिया के पर्णीय छिड़काव की लागत का 50 प्रतिशत ।

सहकारी कताई मिलें इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिये पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगी ।

INSTRUCTIONS TO STATES TO OBSERVE AUSTERITY

2813. Shri M.S. Purty

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of India have issued some directions to the States about the maximum number of invitees at official lunches, functions, social gatherings and marriages for observing austerity; and

(b) if so, the main points there of and the names of the States which have implemented the said directions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the instructions issued to the State Governments/Union Territories the maximum number of persons (including the host or hosts) who can be served with foodstuffs made from cereals and pulses and all sweets, has been restricted to 25 at ordinary parties and 100 at marriages and funerals. These restrictions are not to apply to:

(i) parties etc. at the headquarters of diplomatic or Government Missions of foreign countries;

(ii) proprietor etc. of residential establishments, institutional establishment or catering establishments serving food to consumers or residents in the course of regular business and not in connection with any party, entertainment, etc., and

(iii) the distribution of food containing prohibited foodstuffs by way of 'bhog' or 'prasad' or as part of a recognised religious ceremony in any temple, mosque, gurdwara, church or place of religious worship.

The State Governments etc. may grant exemptions in certain cases for the reasons to be recorded in writing. They can also authorise officers to enter and search the premises and seize any articles in respect of which they have reasons to believe that contravention of the order has been/is being committed.

The following State Governments/Union Territories have so far reported implementation of these instructions:

1. Andhra Pradesh 2. Arunachal Pradesh 3. Bihar 4. Gujarat 5. Haryana 6. Kerala 7. M.P. 8. Maharashtra 9. Mysore 10. Orissa 11. Punjab 12. Rajasthan 13. U.P. 14. West Bengal 15. Chandigarh 16. Delhi 17. Goa 18. Laccadive Minicoy & Amindivi Islands 19. Pondicherry.

त्रिपुरा में झुमिया आदिवासियों का पुनर्वास

2814. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में झुमिया अदिवासियों के पुनर्वास के लिये कितनी मार्गदर्शी परियोजनायें बनाई गयी हैं; और

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि उपलब्ध होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) त्रिपुरा में झुमिया तथा भूमिहीन आदिवासियों को बसाने के लिए 'अमरपुर मार्गदर्शी परियोजना, नामक केवल एक ही मार्गदर्शी परियोजना है ।

(ख) चतुर्थ योजना के दौरान इस परियोजना के लिए 30 लाख रूपये की धनराशि का आवंटन किया है । इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र से बाहर झुमिया और भूमिहीन आदिवासियों को बसाने के लिए 70 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है ।

बेरोज़गारी दूर करने संबंधी "द्रुत" कार्यक्रम

2815. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों में से, बेरोजगारी दूर करने संबंधी द्रुत कार्यक्रम में अब तक प्राप्त की गई सफलता का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम मूल्यांकन क्या है ; और

(ग) चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में इस बारे में और क्या उपाय किये जाने हैं और उस वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य ग्रामरोजगार की त्वरित योजना (ग्रा० रोज० त्व० यो०) से है । यह योजना तीन वर्ष के लिए पहली अप्रैल, 1971 को आरम्भ की गई थी । इस योजना के दो उद्देश्य हैं –(i) अनिवार्यातः श्रम-प्रदान परियोजनाओं के कार्यान्वियन के माध्यम से देश में

सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमन्द लोगों के लिए सीधे रोजगार पैदा करना, और (ii) स्थायी स्वरूप की सामूहिक परिसम्पत्तियां पैदा करना। चूंकि योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी की दर अधिक से अधिक एक सौ रुपया प्रतिमास है, अतः यह योजना मुख्यतः अकुशल और अशिक्षित ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए है। फिर भी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को इस योजना में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाता है।

इस योजना का निरन्तर पुनर्विलोकन इसके लिए मांगी गई मासिक तथा अन्य प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1971–72 के लिए उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 35 करोड़ रुपये के संशोधित बजट प्रावधान के मुकाबले में 31.26 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इससे 814.05 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। यह समझा जाता है कि योजना के प्रथम वर्ष में ही यह प्रगति काफी संतोषजनक रही है, विशेषरूप से यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इस योजना में 50 करोड़ रुपये के व्यय से दस महीने की पूरी कार्य-अवधि में 875 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की गई थी, परन्तु इस वर्ष की कार्य-अवधि छः महीने ही रही थी, क्योंकि पहले छः महीने कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं तैयार करने और अपेक्षित प्रशासनिक तथा अन्य प्रबन्ध करने में लगे थे और साथ ही बरसात भी काफी देर तक रही थी।

1972–73 के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के मुकाबले में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 17.13 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इससे 474.74 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। आशा है कि 1972–73 के लिए दी गई 50 करोड़ रुपये की राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा।

(ग) 1973–74 के लिए निर्धारित लक्ष्य लगभग उतना ही होगा जितना कि पहले दो वर्षों के लिए था, अर्थात् 50 करोड़ रुपये के व्यय से दस महीने की पूरी कार्य-अवधि में 875 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा करना। आशा है कि इन लक्ष्यों की पूरी तरह से प्राप्ति कर ली जाएगी।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार को वित्तीय सहायता

2816. श्री सुखदेव प्रसाद बर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या अपने राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बिहार सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी हां। इस वर्ष बेमौसमी मानसून के कारण खरीफ उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिये बिहार सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 17.17 करोड़ रुपये की कुल लागत की लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 17.17 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। ये कार्यक्रम चालू वर्ष के दौरान ही पूरे किये जाने हैं जिससे कि रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई की जा सके। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक और कीटनाशी जैसे कृषि आदानों के क्रय और वितरण के लिये राज्य सरकार को 7·0 करोड़ रुपये का एक अल्पकालीन ऋण भी दे दिया गया है।

GRANTS FROM THE CENTRE TO STATES FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

2817. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA :

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some State Governments have demanded varying amounts from the Central Government during the year 1971-72 for development of argiculture;

(b) whether the Central Government have not taken a final decision so far in this regard; and

(c) if so, the State-wise details of the total amount demanded from the Centre and the time by which this demand would be met ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c) For the development of agriculture, the States and Union Territories make proposals in their Annual Plans which are considered and discussed jointly by the Ministry of Agriculture and the Planning Commission with State representatives and the outlays finally decided upon against the same are intimated to the States. The enclosed statement indicates the outlays proposed by the various States and Union Territories for agriculture sector programmes in their Annual Plans for 1971-72 and the outlays approved by Planning Commission. The Central assistance for Plan programmes is given in terms of block loans and grants for all sectors and is not related to specific groups of schemes or individual schemes. The Ministry of Agriculture also sanctions short term loans to State Governments for agricultural inputs. During 1971-72, a total short term loan of Rs. 75 crores was released to various State Governments for this purpose.

Subsequently to plan discussions sometimes States make request for additional Central assistance for special schemes which cannot be accommodated within their approved outlays. The position in regard to such demands made during 1971-72 is indicated below :—

(i) Government of West Bengal made a request for an outlay of Rs. 3·0 crores for certain minor irrigation schemes. On the recommendation of the Ministry of Agriculture and Planning Commission, the Finance Ministry sanctioned Rs. 1·5 crores.

(ii) Government of West Bengal made a request for a special grant of Rs. 1·0 crores for acquisition of 4,776 acres in the North Salt Lake Area for development of fisheries. The proposal has been examined in consultation with Planning Commission and the question of Centre's contribution in the form of equity share capital in the State Fisheries Development Corporation is under discussion with the State Government.

(iii) Government of Kerala requested that a Milk Conservation Project at Trichur involving an outlay of Rs. 1·0 croes over five years, might be taken up as a Centrally sponsored project. The State Government was advised to consider the possibility of taking this project in the State sector within the Fourth Plan ceiling and to the extent necessary making further provision in the States's Fifth Plan.

(iv) In June, 1971, Government of Kerala requested for a special grant of Rs. 2 crores for construction of fishermen housing colonies. Since considerable unutilised provision under the Fisheries sub-head was available in the State Plan, the State Government was advised to find funds therefrom by adjustment. The programme for construction of houses for fishermen is in progress in the State and 5,000 houses are proposed to be constructed in 1973-74.

STATEMENT

ANNUAL PLAN (1971-72)—AGRICULTURE SECTOR*

(Rs. in crores)

S. No.	Name of States/Union Territories	Proposed by State Govts./ Union Territories	Approved by Planning Commission
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh ..	12·67	11·52
2	Assam ..	8·74	8·09
3	Bihar	16·51	16·07
4	Gujarat	12·64	12·86
5	Haryana	5·58	6·58
6	Jammu & Kashmir ..	6·83	5·31
7	Kerala	10·68	11·08
8	Madhya Pradesh ..	20·14	20·14
9	Maharashtra ..	32·60	32·56
10	Mysore	16·02	15·58
11	Nagaland ..	1·66	1·00
12	Orissa	8·75	8·72
13	Punjab	9·93	10·59

ANNUAL PLAN (1971-72)—AGRICULTURE SECTOR*—*contd.*

1	2	3	4
14	Rajasthan	6·31	5·74
15	Tamil Nadu ..	16·40	14·41
16	Uttar Pradesh	43·79	41·75
17	West Bengal	10·34	9·76
18	Himachal Pradesh	4·98	5·02
19	Meghalaya	1·90	1·31
20	Manipur	0·61	0·57
21	Tripura	2·03	1·64
22	Andaman & Nicobar Islands ..	0·28	0·26
23	Chandigarh	0·19	0·12
24	Dadra and Nagar Haveli	0·20	0·15
25	Delhi	0·74	0·60
26	Goa, Daman and Diu	1·97	1·82
27	Laccadive and Minicoy Island	0·32	0·23
28	Arunachal Pradesh	1·26	0·79
29	Pondicherry	0·56	0·62
	Total : States and Union Territories ..	254·63	244·89

*Agriculture Sector comprises of Agriculture Production, Minor Irrigation, Soil Conservation, Area Development, Animal Husbandry, Dairying and Milk Supply, Forest, Fisheries, Warehousing and Marketing programmes.

पश्चिम बंगाल में स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए खर्च की गई राशि

2818. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों में स्कुलों को दर्जा वढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि दी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)

स्कूलों का दर्जा बढ़ाने अर्थात् प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में अथवा माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

लारेन्स रोड वेलफेयर एसोसियेशन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को ज्ञापन

2819. श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक ज्ञापन दिया है जिसमें लागत मूल्य में कटौती करने और अन्य फ्लैट की व्यवस्था करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या उक्त एसोसिएशन ने एक निष्पक्ष जांच की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : एसोसिएशन ने ज्ञापन में मामले की किसी जांच की विशेष तौर से मांग नहीं की है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का दर्जा

2820. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के दर्जे के बारे में कोई मतभेद है तथा क्या प्राधिकारी-गण परिषद् के दर्जे के बारे में परस्पर विरोधी वक्तव्य देते रहे हैं ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् जांच समिति को परिषद् के अपिपुर दर्जे की जानकारी है ;

(ग) यह मतभेद कब तथा कैसे समाप्त किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उन कर्मचारियों को पर्याप्त क्षत्ति पूर्ति देने का है जो परिषद के दर्जे में बार बार परिवर्तन किये जाने के कारण निरन्तर सन्तप्त रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) से (घ) : अधिकारियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हैसियत के सम्बन्ध में कोई विरोधी वक्तव्य नहीं दिये हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अभिप्राय दो अलग अलग निकाए है-अर्थात (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत संस्था के रूप में पंजीकृत की गयी है तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सचिवालय, जो कि इस संस्था का संचालन करता है मूलतः इसे भारत सरकार के नियमित विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 15 जनवरी, 1939 से इसे कृषि विभाग के संलग्न कार्यलय के रूप में बदल दिया गया । जहां भी और जब भी आवश्यकता हुई है अधिकारियों ने उपरोक्त स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है ।

पुनर्गठन योजना के अंग के ही रूप में यह निर्णय किया गया था कि कृषि विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय को नियत तिथि से पूर्णतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्था द्वारा नियंत्रित कार्यालय के रूप में बदल दिया जाये और इसका वित्तीय व्यय भी इस संस्था द्वारा ही वहन किया जाये । सरकार इस बात की जांच कर रही है कि परिषद् के कर्मचारियों के हितों तथा सेवा की शर्तों की किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है, ताकि उनका यह भ्रम दूर किया जा सके कि उनकी सेवा की शर्तें आदि, अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की अवधि से लेकर आज तक के इसके इतिहास के सभी तथ्य (परिषद के पुनर्गठन सहित) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं ।

शहरी भूमि के मूल्यों को नीचे लाने के लिये उपाय

2821. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी भूमि के मूल्यों को नीचे लाने के लिये किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) तथा (ख) :

मेरे मंत्रालय द्वारा 1959 में आरंभ की गई भूमि अर्जन तथा विकास योजना राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । इस में भवन निर्माताओं को विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों को उचित दर पर विकसित प्लाट देने के लिये भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन और विकास की व्यवस्था है । इस योजना की मुख्य विशेषताएं संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

मेरे मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1972 में बुलाये गये एक सेमिनार ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि सभी नगरीय/नगरीकरण-योग्य भूमि का समाजीकरण किया जाना चाहिए । जुलाई, 1972 में हुए राज्यों के आवास मंत्रियों आदि के सम्मेलन ने इस नीति का समर्थन किया । यह पेचीदा विषय होने के कारण ऐसी नीति के कार्यक्षेत्र का तथा उसे कार्यान्वित करने के तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है ।

शहरी भूमि के मूल्यों के बारे में विचार गोष्ठी

2822. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहरी भूमि के मूल्यों को नीचे लाने हेतु उपायों के बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी की कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन्हें स्वीकार करेंगी, और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) तथा (ख) : आवास और नगर विकास के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति के विकास पर अप्रैल, 1972 में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक गोष्ठी ने यह सिफारिश की है कि भूमि का समाजीकरण किया जाना चाहिये, ताकि निजी लाभ के लिये भूमि की कीमतों पर सौदेबाजी का प्रभाव न पड़े तथा नगरीकरण के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि का लाभ एक व्यक्ति को न मिलकर समाज को मिले ।

(ग) ऐसी नीति के उद्देश्य तथा इसे कार्यान्वित करने के तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में 11–वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति पर केन्द्रीय व्यय:

2823. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जनवरी, 1973 से 1957 में आरम्भ की गई 11 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने तथा 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम को पुन: आरम्भ करने का निश्चय किया है ।

(ख) उक्त पुनरावृति तथा इस के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर अनुमानत: कितना व्यय होगा;

(ग) क्या इस व्यय को केन्द्र सरकार वहन करेगी; और

(घ) पश्चिम बंगाल में 11 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली क्यों आरम्भ की गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) पता चला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जनवरी, 1974 से 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम को पुन: लागू करने का निर्णय किया है ।

(ख) पश्चिम बंगाल ने यह अनुमान लगाया है कि इस परिवर्तन से प्रति वर्ष 2 करोड़ रु० आवर्ती और 10 करोड़ रुपये अनावर्ती खर्चा होगा ।

(ग) भारत सरकार को, इस प्रयोजन के लिए सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) 11 वर्षीय स्कूल योजना, जुलाई, 1954 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो डे-आयोग के नाम से विख्यात है, और बाद में प्राय: शिक्षा संबंधी सभी समितियों और आयोगों तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में शुरू कर दी गई थी ।

सिंदिया स्टीम नैवीगेशन कंपनी लिमिटेड के 'एम० वी० जालाजाद' पर अग्निकांड की जांच

2824. **श्री वरके जार्ज :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में प्रिन्सेस डाक पर 14 अक्तूबर, 1972 को सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के 'एम० वी० जालाजाद' पर अग्निकांड के फलस्वरूप हुई क्षति के बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) 'एम० वी० जालाजाद' में आग लगने की दुर्घटना के कारणों की प्रारम्भिक जांच चल रही है और उसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रवैये पर 'संस्थान' के वैज्ञानिकों में रोष

2825. **श्री राम कंवर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 सितम्बर, 1972 के साप्ताहिक 'मार्च आफ दि नेशन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि जांच को विफल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रवैये पर संस्थान के अनेक वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों में रोष पाया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार ने रिपोर्ट की सावधानी से जांच की है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) :

(क) और (ख) : सरकार को 16 सितम्बर, 1972 के साप्ताहिक 'मार्च आफ दि नेशन' में प्रकाशित हुई उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे। ये आरोप झूठे और निराधार हैं। महानिदेशक ने कभी भी किसी भी अधिकारी को न तो धमकी दी है और न ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति को अपनी स्वतन्त्र और निष्पक्ष राय देने से रोका है। इसके विपरीत जब यहां निदेशक को पता चला कि परिषद् के अनेक कर्मचारियों ने समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है तो उन्होंने संस्थानों के समस्त निदेशकों को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि समिति को अपेक्षित उत्तर भेजे जाते हैं।

इस रिपोर्ट में संसद सदस्यों ने जिस कार्यवाही का उल्लेख किया है, सरकार को उसकी जानकारी नहीं है।

यह रिपोर्ट ठीक नहीं है कि नये निदेशक डा० ए० वी० जोशी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिसर से अनुपस्थित हैं। वे परिसर में ही रह रहे हैं। महानिदेशक भारत सरकार के

जनरल पूल से आवास का आवंटन प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करते रहे हैं। आशा है कि बहुत शीघ्र ही उन्हें कोई आवास प्राप्त हो जाएगा और वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के परिसर से चले जायेंगे ।

यह आरोप निराधार है कि महानिदेशक जांच-समिति के कार्यों में किसी प्रकार से हस्ताक्षेप कर रहा है। ये गम्भीर आरोप एक ऐसे विख्यात वैज्ञानिक के विरुद्ध लगाये गये हैं जिसने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में महान कार्य किया है ।

संसद भवन स्थित दिल्ली दुग्ध योजना काउंटर से घी के वितरण के बारे में शिकायतें

2826. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संसद भवन स्थित दिल्ली दुग्ध योजना काउन्टर की सेवायें सन्तोषजनक नहीं हैं ;

(ख) क्या उन के मंत्रालय को घी के वितरण के बारे में तथा घी आदि लेने के लिये संसद सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से आने का आग्रह किये जाने के संबंध में संसद-सदस्यों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं:—

(ग) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; तथा कितनी शिकायतों के उतर दिये गये ; और

(घ) इस प्रबन्ध को किसी अन्य डिपो पर स्थानान्तरित करने में सरकार को क्या कठिनाई अनुभव हो रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) : संसद भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के काउन्टर पर सेवायें सामान्यत: सन्तोषजनक रही हैं। तथापि प्रबन्धक (विक्रय) के विरुद्ध कथित अशिष्टत तथा मनमाने ढंग से घी के वितरण के आरोप के विषय में संसद सदस्यों से तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इन शिकायतों की जांच पड़ताल की गयी और यह पता चला कि 1972 में अगस्त के महीने और सितम्बर के शुरु में मौसम की वजह से दिल्ली दुग्ध योजना को पर्याप्त दूग्ध न मिल सकने के कारण वास्तव में घी की कमी थी। पहले के प्रबन्धक (विक्रय) की अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक नया प्रबन्धक नियुक्त कर दिया गया है।

अस्पृश्यता निवारण

2827. **श्री राम भगत पास्वान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय-सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामले दर्ज करने का निदेश दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख) : संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों/संघों शासित क्षेत्र प्रशासनों के राज्य पालों/मुख्य मन्त्रियों को सम्बोधित पत्र दिनांक 4 फरवरी 1972, जिस में उन से अस्पृश्यता के मामलों में जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिय तुरन्त और कारगर कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है, की एक प्रति लिपि संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3898/72] प्रधान मंत्री ने भी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है, जिस में उन से कहा गया है कि जब कभी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों के विरुद्ध अत्यचार का कोई मामला होता है तो विशेष रुचि ली जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा तुरन्त जांचें की जाती हैं।

छोटा नागपुर में कृषि विकास

2828. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर क्षेत्र की सिंचाई के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है ; और

(ख) इस क्षेत्र के कृषि विकास के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिये केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग निम्नलिखित बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर विचार कर रहा है :—

1. बायां बांकी जलाशय, जिला पलामू
2. मेला जलाशय, जिला पलामू
3. डांड्रो जलाशय, जिला पलामू
4. चिर्का जलाशय, जिला पलामू
5. सिकतिया बांध, संथाल परगना
6. बिंडर जलाशय, जिला रांची

छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु कोई भी लघु-सिंचाई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) इस क्षेत्र में कृषि विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं—

1. छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में 40 लाख रुपये की लघु सिंचाई योजनाओं सहित एक आदिवासी विकास परियोजना मंजूर करना।

2. राज्य के छोटा नागपुर और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1,000 बड़े व्यास वाले कुओं के निर्माण के लिये एक योजना मंजूर करना।

3. इस क्षेत्र के रांची जिले में 1,500 खुदाई के कुओं, 100 पम्पसैटों और 100 सामुदायिक कुओं के लिये एक करोड़ रुपये की लागत की सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक परियोजना शुरु करना।

4 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पलामू जिले में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 95.50 लाख रुपये मंजूर करना ।

दुग्ध के उत्पादों के आर्थिक पहलू

2829. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद संयंत्रों में दुग्ध उत्पाद बनाने के आर्थिक पहलू तथा दुग्ध उत्पादों के मूल्य के ढांचे पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी नहीं । भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है । सरकारी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद संयंत्रों में दुग्ध-पदार्थ तैयार करने के आर्थिक पहलू पर विचार करने का उत्तरदायित्व उन सम्बद्ध राज्य सरकारों का है जिनके राज्यों में संयंत्र लगे हुये हैं ।

जहां तक दिल्ली दुग्ध योजना (जो एक मात्र केन्द्रीय परियोजना है) का सम्बन्ध है, दुग्ध पदार्थों के लाभप्रद विपणन के लिये आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थों के उत्पादन की लागत का विश्लेषण निरीक्षण किया जाता है ।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा-सम्बन्धी उपायों को स्थगित करना

2830. **श्री मधु दण्डवते :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के लिए प्रस्तावित उपायों को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं । शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा पर संसद में एक विधेयक शीघ्र ही पेश करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्य निषेध नीति का उद्धार बनाया जाना

2831. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल में दिल्ली में शराब की कितनी दुकानें खोली गई हैं ; और

(ख) मद्य निषेध की नीति में यह उदारता देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य में किस हद तक सहायक है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में वर्ष 1972–73 के दौरान देशी शराब की चार दुकानें खोली गई हैं।

(ख) मद्य निषेध नीति में कोई उदारता नहीं की गई है। शराब के व्यसनियों को उचित मूल्य पर अपेक्षित मात्रा में शराब की प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए आबकारी प्रबन्धों को केवल तर्क संगत कर दिया गया है ताकि शराब के व्यसनी अवैध शराब पीने के लिये प्रेरित न हों और अवैध शराब पीने से शराब के जहर से अंधेपन और पैरालीसिस जैसे घातक रोगों से पीड़ित न हों।

स्वतंत्रता के रजत जयंती वर्ष में भारत भवनों की स्थापना

2832. श्री के० लकप्पा, श्री पुरुषोत्तम काकोडकार :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वतंत्रता के रजत जयंती वर्ष में "भारत भवनों" की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को अपने अपने राज्य के बारे में गांधी जयन्ती सप्ताह में "भारत भवनों" के निर्माण के लिए कार्यवाही आरम्भ करने तथा प्रादेशिक भाषाओं में चुनीदा पुस्तकों ग्रामोफोन रिकार्डों, टैप रिकार्डिंग फोटोग्राफ तथा फिल्मों के संग्रह का प्रबन्ध करने को कहा है, और

(ग) इन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) : भारत की स्वतंत्रता रजत जयंती (25वीं वर्ष गांठ) को ध्यान में रखते हुए राज्य-सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों की राजधानियों में भारत भवनों की स्थापना की जाए जिनका उद्देश्य लोगों के सामने देश की संस्कृति के विभिन्नता में एकता को लगातार प्रस्तुत करना होगा।

भारत भवनों के क्रिया कलाप के दो भाग हैं। पहले भाग में विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों तथा साहित्य, सहित पुस्तकालय, तथा अभिलेख, चित्र और देश के विभिन्न क्षेत्रों के फोटो-ग्राफ होंगे। दूसरे भाग के कार्य ऐसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की देखभाल करना है, जिनसे देश की संस्कृति की विभिन्नता में एकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्षित करना होगा। इन कार्यक्रमों में लैकचर, सेमिनार, सं०, गोष्ठियां, फिल्म शो तथा विचार-विनिमय आदि शामिल होंगे।

भारत भवनों के पास अन्ततः अपनी इमारतें होना आवश्यक है; परन्तु आरम्भ में इनके क्रिया कलाप या तो रवीन्द्र भवनों में नियोजित किए जायेंगे जो राज्य की राजधानियों में अथवा अन्य किसी उपलब्ध स्थान पर उपलब्ध हैं।

राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि वे भारत भवनों के उद्घाटन की तारीख या तो 14 नवम्बर अथवा 2 अक्टूबर 1972 अथवा 26 जनवरी नियत करने की सम्भावना पर विचार करें।

इन सुझावों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है।

उत्तरी राज्यों में काम कर रही साहयक नर्सों तथा दाइयों की रहने की परिस्थितियां

2833. **श्री बयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उत्तरी राज्यों में काम कर रही लगभग 26,000 युवा सहायक नर्सों तथा दाइयों की रहने की दयनीय परिस्थितियों तथा उनके अपमान के बारे में 8 सितम्बर, 1972 के "मल्बाला मनोरमा" में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

SHADE AND INSCRIPTIONS FOR THE STATUE OF LORD BUDDHA IN BUDDHA JAYANTI PARK, NEW DELHI

2834. **Shri Kushok Bakula**

Will the **Minister of Works and Housing** be pleased to state :

(*a*) whether no shade has been provided over the statue of Lord Buddha in Buddha Jayanti Park, New Delhi nor inspiring and pious thought-provoking ideas inscribed on all the four sides of the statue; and

(*b*) the steps proposed to be taken to make available the above material in order to make it worth its name and to make it more intelligible and attractive?.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) :

(*a*) It is a fact that no shade has been provided over the statue of Lord Buddha. There are no inscriptions on the four sides of the statue except one line below the statue.

(*b*) This matter has not so far been examined.

कानपुर की एक फ्लोर मिल द्वारा धन का गबन

2835. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 1972 के कानपुर के "दिनक जागरण" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जो कानपुर की एक फ्लोर मिल में एक लाख रुपये से अधिक के अपवंचन के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सम्बन्धित मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस मामले की जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था की पशुपालन के मध्य से रोजगार की योजना :

2836. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में पूंजी निवेश की तुलना में बहुत कम पूंजी से पशुपालन को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अतिरिक्त रोजगार प्रदान के लिए राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था द्वारा किये अध्ययन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित कार्यक्रमों में पशुपालन के लिए किन स्थानों को शामिल किया गया है और इन कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण परिस्थितियों में डेरी फार्मिंग के आर्थिक पहलू के सम्बन्ध में हाल ही में अध्ययन शुरू किया है । अध्ययन के प्रारम्भिक परिणाम आशाजनक हैं और अध्ययन का कार्य जारी है ।

(ख) अध्ययन पूरा होने पर उसके परिणामों पर विचार किया जाएगा ।

(ग) चौथी पंच वर्षीय योजना में पशुपालन कार्यक्रमों का उद्देश्य दूध, दुग्ध पदार्थों, मांस और अंडों जैसे पोषक पदार्थों की सप्लाई को बढ़ाना और ऊन जैसी वाणिज्यिक महत्व के कुछ पशु-उत्पादों के उत्पादन को बढाना है । पशुपालन से छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है अतः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास कार्यक्रमों में पशुपालन को काफी महत्व दिया गया है । चौथी योजना में मुख्य पशुधन उत्पादों की सप्लाई को बढाने के लिए कई उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । ये कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रजनन, बेहतर आहार तथा प्रबन्ध, प्रभावी रोग नियंत्रण तथा उपयुक्त विपणन सुविधाओं पर निर्भर करते हैं । निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम शुरू किये गये हैं :–

1. आदर्श ग्राम योजना
2. सघन पशु विकास परियोजना
3. चारा-दाना विकास कार्यक्रम
4. सघन अंडा तथा कुक्कुट उत्पादन-एवं विपणन केन्द्र
5. संकर प्रजनन कार्यक्रम
6. भेड तथा ऊन विस्तार केन्द्र
7. भेड की ऊन उतारने, ऊन की श्रेणीकरण तथा विपणन के केन्द्र
8. पशु चेचक उन्मूलन कार्यक्रम
9. आपरेशन फ्लड परियोजना

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी, पांचवीं योजना बनाने हेतु, नियुक्त हुए पशु पालन, डेरी उद्योग और दूध की सप्लाई सम्बन्धी कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना की अवधि में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए वृहत पशुपालन-विकास कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की है ।

HOUSE EARMARKED AS RESIDENCE OF PRIME MINISTER

2837. Shri Shankar Dayal Singh

Will the **Minister of Works and Housing** be pleased to state :

(*a*) whether any other house is being earmarked as residence of the Prime Minister; and

(*b*) whether inconvenience is not being caused on account of the present residence of the Prime Minister being inadequate?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) :

(*a*) and (*b*) : No, Sir.

रूस और अमरीका से हैलीकाप्टरों की खरीद :

2839. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूस तथा संयुक्त राज्य अमरीका से हैलीकाप्टरों की खरीद के बारे में 15 सितम्बर, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में तटीय राजपथ का पूरा किया जाना :

2841. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र की लम्बाई लगभग 1600 किलोमीटर है और रक्षा तथा निर्यात् के कार्य में शीघ्रता लाने के लिये इस राजपथ को पूरा करना आवश्यक है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस राजपथ का कार्य पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) से (ग) सम्भवतया, माननीय सदस्य गुजरात तट के साथ साथ जाने वाला तटीय राजमार्ग का उल्लेख कर रहे हैं। यह राज्य राजमार्ग है और गुजरात सरकार इसके विकास से मुख्यत: संबंधित है। इस सड़क के विकास के लिये कोई रक्षा योजना नहीं है। परन्तु इस क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में इस सड़क के विकास के लिये राज्य सरकार की सहायता करने के लिये भारत सरकार

ने इस सड़क के निम्नलिखित निर्माण कार्य जिसमें लुप्त कड़ियां और कतिपय पुल शामिल हैं ; की पूरी लागत वहन करने के लिये राज्य सरकार को 1 . 43 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है :—

कार्य का नाम	लम्बाई मीलों में या पुलों की संख्या	लागत (रुपये लाखों में)
1. धूवारन–उमेटा (लुप्त खण्ड)	25	50.00
2. मियानी–कुरंगा (लुप्त खण्ड)	23	50.00
	पोरवन्दर–ओखा खण्ड	
1. भोगत पर पुल 2. नवदाना पर पुल 3. खारी पर पुल 4. कालीपत पर पुल 5. नेतार क्रीक पर नदी पथ के स्थान पर पुल 6. विश्ववदा क्रीक पर पुल 7. किन्नूरी क्रीक पर पुल	7 पुल	43.00
	कुल	143.00

2 इस के इलावा, बड़ोदा-भावनगर खण्ड के भाग (भावनगर-ववालियारी-22 मील) का विकास राज्य के केन्द्रीय सड़क निधि नियतन लेखे से पहले ही प्रगति पर हैं ।

काश्मीर में पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क बनाना :

2842. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशु सम्बन्धी भारतीय बोर्ड ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि हंगलू बारासिंहों के लिए शरणस्थल और मरक हिरणों के लिए एक प्रजनन क्षेत्र बनाने के लिए काश्मीर में पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क बनाये जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस सुझाव पर इस बीच विचार किया है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । 14 सितम्बर, 1972 को जम्मू और कश्मीर के दाचिगम आश्रयस्थल, में हुई अपनी 9वीं बैठक में वन्य पशु सम्बन्धी भारतीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकार द्वारा उपरी दकसुम आश्रय-स्थल, वाधवन और किश्तवाड़ के क्षेत्रों को जो परिवेश की दृष्टि से आदर्श स्थान हैं, पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाना चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया है कि दकसुम-वाधवन क्षेत्र में इस प्रकार

की पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क मरक हिरण की प्राय: समाप्त हो रही नस्ल के लिये एक अच्छी प्रजनन क्षेत्र सिद्ध हो सकता है ।

(ख) और (ग) सिफारिश की गई थी कि चुनीदा राष्ट्रीय पार्कों और आश्रयस्थलों के लिये वित्तीय सहायता देने के लिए कृषि मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई योजना को प्रस्तावित दाचिगम आश्रयस्थल में भी लागू किया जाए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार को पर्यटन विभाग ने भी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है । भारत सरकार ने इस मामले में जम्मू और कश्मीर सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है । इस मामले पर सक्रीय रूप से विचार किया जा रहा है ।

Import of Date Oil

2843. Shri Shrikrishna Agrawal :

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Government have considered the proposal to import date oil to be used in Vanaspati on an experimental basis; and

(*b*) if so, the name of the country from which it would be imported and the amount of foreign exchange required for the purpose.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) :

(*a*) & (*b*) : The reference to date oil apparently relates to palm oil. 5,000 tonnes of palm oil, valued at Rs. 84·5 lakhs has recently been imported from Malaysia for use in vanaspati on an experimental basis.

खाद्यान में राज्य सहायता

2844. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में खाद्यान्न में कितनी राजसहायता दी जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : चालू वर्ष में भारतीय खाद्य निगम को देय राजसहायता के रूप में 1972-73 के बजट अनुमान में 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । निगम को दी गई राजसहायता जम्मू तथा कश्मीर सहित विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय भण्डार से सप्लाई की गई सभी सप्लाई के बारे में है जो कि निगम को पड़ी खाद्यान्न की इक्नामिक लागत और सरकार द्वारा इन खाद्यान्नों के लिए निर्धारित कम निकासी निगर्म मूल्य के अन्तर की द्योतक है । भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के डिपों अथवा राज्य के बाहर के रेल केन्द्रों से जम्मू तथा कश्मीर सरकार को सप्लाई किए गए चावल और गेहूं की ढुलाई, सम्हाल आदि में हुए खर्चों को भी देती रही है । वर्ष 1971-72 के लिए राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में 1.78 करोड़ रुपये की मांग की है ।

पटना से इलाहाबाद तक गंगा नदी में स्टीमर मार्ग :

2845. कुमारी कमलाकुमारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी में पटना से इलाहाबाद तक स्टीमर सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) और (ख) गंगा नदी में पटना और चुनार के बीच एक प्रयोगात्मक एवं सम्वर्धनात्मक माल सेवा का परिचालन किया जा रहा है। चुनार के आगे इस सेवा का और विस्तार वाणिज्यिक सक्षमता एवं तकनीकी शक्यता स्थापित होने पर निर्भर करेगा।

देहातों में अनधिकृत रिहायशी स्थानों को मान्यता देना

2846. **श्री बी० वी० नायक : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार द्वारा देहातों में अनधिकृत रिहायशी स्थानों को अधिकृत ठहराया जायेगा :

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारों को मान्यता देने में राज्य को कितनी धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देहाती अनधिकृत वासी, मजबूरी के कारण नये स्थानों पर नहीं जाना चाहते और उन्हीं स्थानों पर रहना चाहते हैं जहां वे रह रहे हैं, क्या ग्रामीण आवास योजना में, जिसके अन्तर्गत गृह-निर्माण के स्थान देने की भी व्यवस्था है, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को उन स्थलों का, जहां उनके वर्तमान मकान/झोंपड़ियां हैं, वास-भूमि सम्बन्धी अधिकार देने के लिए (जहां यह पहले नहीं बनाया गया है) उपयुक्त कानून बनाएं। वासभूमि के इस अधिकार को देने के परिणाम स्वरूप भूमि के मालिक को देय मुआवजे का प्रश्न, यदि कोई हो, एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकारों ने विचार करना है।

(ग) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की स्कीम के अनुसार सरकारी अथवा निजी भूमि के दखलकार परिवारों को वास-भूमि का अधिकार दिया जाता है तो इन परिवारों को नये स्थलों पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, परिवारों का आकार बढ़ जाने के कारण जिन भूमिहीन मजदूरों को, उनके दखल की भूमि पर स्थान नहीं दिया जा सकता, उन्हें योजना के अन्तर्गत नये स्थलों पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

छोटी देशीय किश्तियों का आधुनिकीकरण करने और गुजारे के साधन के रुप में किश्ती का उपयोग करने की योजना

2847. **श्री बी० वी० नायक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक टन से कम वजन वाली देहातों में चलाई जाने वाली किश्तियों के अधुनिकीकरण करने की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) क्या बहुत से लोग इस प्रकार की किश्तियां चला कर अपना गुजारा करते हैं ; और

(ग) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो अपने गुजारे के लिए एक टन से अधिक वजन वाली किश्तियां चलाते हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता): (क) देहातों में चलाई जाने वाली छोटी नौकाओं का विषय मुख्यत: राज्य सरकार से सम्बन्धित

है। अतः भारत सरकार के पास देहातों में चलाई जाने वाली छोटी नौकाओं का अनधुनिकीकरण करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) मांगी गई सूचना एकत्रित करने में बहुत श्रम और समय लगेगा, अत सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त करनी पड़ेगी जिन्हें फिर स्थानीय अधिकरणों से एकत्रित करनी पड़ेगी ।

खाद्य जोनों संबधी नीति

2848. **श्री बी० बी० नायक:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनाज के लिए भिन्न-भिन्न मूल्यों वाले खाद्य जोनों की नीति राष्ट्रीय एकता में सहायक सिद्ध होती है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस देश को गैर-भाषायी खाद्य जनों में विभक्त करना क्यों सम्भव नहीं है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : गेहूं और मोटे अनाजों की मुख्य किस्मों के अधिप्राप्ति मूल्य देश भर में एक-जैसे हैं ; केवल धान के अधिप्राप्ति मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। विभिन्न राज्यों में धान के भिन्न-भिन्न अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने का कारण यह है कि विभिन्न राज्यों में धान की किस्मों में अन्तर उनकी उत्पादन की लागत में अन्तर और चावल के समूचे अन्तः फसल प्रतिमान में अन्तर होता है । सरकार इन अन्तर्राज्यीय अन्तर को समाप्त करने के लिये यथा व्यवहार्य प्रयत्न कर रही है ।

विक्रय अधिशेष को खरीदने में अधिप्राप्ति एजेंसियों की सहायता करने की दृष्टि से विभिन्न खाद्य क्षेत्र बनाए गए हैं ।इस प्रकार अधिप्राप्त खाद्यान्न बाद में सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाते हैं । ये क्षेत्र व्यापारियों को कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा करने और स्टाक को रोक कर स्थिति का शोषण करने से रोकते हैं । यह स्पष्ट है कि खाद्य क्षेत्रों का गठन भाषा आदि के आधार पर नहीं किया जा सकता है ।

भारत में पोलियो वैक्सीन का उत्पादन

2849. **श्री राम प्रकाश : श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पोलियो वैक्सीन का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ; और

(ख) भारत पोलियो वैक्सीन के उत्पादन में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किसकु) :(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पास्च्यूर संस्थान कुनूर नीलगिरी में स्थित एकक में ट्राइवैलैण्ट–पोलियो वैक्सीन की लगभग एक लाख मात्राओं का उत्पादन किया जाता है ।

(ख) उपभोग की चालू दर को देखते हुए यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में पोलियो वैक्सीन की मांग को स्थानीय उत्पादन से पूरा किया जा सकता है ।

20 वर्षीय सड़क विकास योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण और सड़क विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति

2850. **श्री इसहाक सम्भली : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 वर्षीय सड़क विकास योजना के वर्ष 1961 में लागू होने के उपरान्त से अब तक सड़क निर्माण और सड़क विकास के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) 20 वर्षीय सड़क विकास योजना को पूरा करने के लिए आगामी 9 वर्षों में कितने मील नई सड़क का निर्माण किया जायेगा ;

(ग) क्या 20 वर्षीय विकास योजना में निर्धारित लक्ष्य निश्चित अवधि में प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) से (घ) : 20 वर्ष की अवधि अर्थात् 1961–81 के दौरान सुझाए गए सड़क विकास पर 20 वर्षीय योजना (1961–81) मुख्य इन्जीनियरों की केवल एक रिपोर्ट है और उपलब्ध साधनों और अन्य तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माणार्थ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के स्थूल मार्गदर्शन की व्यवस्था करने का इसका अभिप्राय था । उपर्युक्त 20 वर्षीय योजना में 1981 तक 4,44,800 किलोमीटर की (राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, बड़ी जिला सड़कों और अन्य जिला सड़कों और वर्गीकृत ग्राम सड़कों) जैसी अतिरिक्त सड़कों के निर्माण करने का विचार था । 31–3–1971 तक, 3,80,900 किलोमीटर की सड़कें, जिनमें दूसरी सड़कों के साथ साथ सी०डी० और एन०ई०एस० कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित 1,72,600 किलोमीटर की सड़कें शामिल थीं, जोड़ी गई थीं । परन्तु अवरोध (सी० डी० तथा एन० ई० एस०) सड़कों का वर्ग–दोनों पुरानी और नवनिर्मित सड़कें, बहुधा निचले दर्जे की सड़के हैं और उपर्युक्त 20 वर्षीय योजना में अनुमानित विशिष्टताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इनके दर्जे को बढ़ाने की जरुरत होगी । यह बताना समयपूर्व होगा कि उपर्युक्त 20 वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की, निर्दिष्ट अवधि तक, पूर्ति की सम्भावना किस सीमा तक होगी, क्योंकि यह, आगामी योजना सम्बन्धी नियम सहित विभिन्न तत्वों पर आधारित है।

सरकारी बस्तियों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों का उपलब्ध न होना

2851. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी बस्तियों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियां प्रायः उपलब्ध नहीं होती हैं और रोगियों को औषधियां लेने के लिये 3–4 दिन से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) इस बुराई को समाप्त करने और रोगियों को औषधियां शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा रोगियों के लिये जो औषधियां लिखी जाती हैं, साधारणतया उन्हें लगभग उसी दिन ही तत्काल औषधालयों से दे दिया जाता है। वैसे, जब कभी औषधालय में कोई औषधि उपलब्ध नहीं रहती या वह केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की फार्मूलरी में नहीं होती है तो उसे अधिकृत कैमिस्टों या खुले बाजार से भी खरीद कर देने का प्रबन्ध किया जाता है और अगले कार्य-दिवस में उसे रोगी को उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को दवाईओं की शीघ्र आपूर्ति करने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना चिकित्सा-सामग्री भण्डार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) यदि एकाएक कोई औषधि समाप्त हो जाय तो औषधालयों को उसे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार से "दस्ती मांग पत्र" द्वारा लाने की अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार वे हफ्ते में दो बार औषधि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस के बाबजूद भी यदि कोई संकटकालीन स्थिति हो जाए तो वे दूसरे कार्य-दिवसों में भी उसे ले सकते हैं। यह व्यवस्था विभिन्न औषधालयों को उनके नियमित और पूरक मांग-पत्र पर दवाईयां सप्लाई करने के अलावा है।

(ii) यदि चिकित्सा सामग्री भण्डार में कोई औषधि उपलब्ध न हो, तो उसकी सूचना "दैनिक चिकित्सा सामग्री सूचना बुलेटिन" के माध्यम से औषधालयों को प्रतिदिन दे दी जाती है। उस दशा में वे क्रमश: अपने-अपने क्षेत्रों के अधिकृत स्थानीय कमिस्टों को मांग-पत्र भेजते हैं और 24 घंटों के अन्दर-अन्दर उन्हें औषधियां सप्लाई कर दी जाती हैं।

कोणार्क मन्दिर में फ्लड-लाइट लगाने के लिये कार्य

2852. **श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उड़ीसा में कोर्णाक मंदिर में फ्लड लाइट लगाने का काम एक ठेकेदार को सौंप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना, चालू वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व ही पूरी हो जाने की संभावना है।

बिहार में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों का खपाया जाना

2855. **श्री एम० कतायुत :**

श्री भोला मांझी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की विभागीय परिषद के चेयरमैन ने बिहार राज्य के राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को खपाने के लिये बिहार राज्य पर जोर देने का आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या चेयरमैन ने इस समस्या का समाधान करने के लिये मंत्रालय के अधिकारी को राज्य की राजधानी भेजने का भी आश्वासन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी०यादव) : (क) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की विभागीय परिषद् की 26 सितम्बर, 1972 को हुई बैठक में, सरकारी पक्ष ने कहा था कि जबकि उनको राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के ऐसे अनुदेशकों की इस मांग से पूरी-पूरी सहानुभूति है कि अपने-अपने राज्यों से दूर तैनात अनुदेशकों की अपने राज्यों में वापिस तैनाती होनी चाहिए, किन्तु ऐसा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से और उनकी सहमति से ही किया जा सकता है। सरकारी पक्ष में यह भी आश्वासन दिया कि शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, एक राज्य से दूसरे राज्य के, जो संबंधित अनुदेशक का अपने राज्य हो राज्य प्रत्यार्वन के ऐसे मामलों पर राज्य सरकारों को राजी करने का अपने प्रभाव का प्रयोग करना जारी रखेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री ने बिहार के प्रमुख मंत्री को 19 अगस्त, 1972 को पत्र लिखा था, जिसमें राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के 58 अनुदेशक को जो बिहार के साधारणतया निवासी हैं और जिन्हें उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिये कार्य करने के लिए भर्त्ती किया गया है, उन्हें बिहार के स्कूलों में खपाने के लिये अनुरोध किया गया है। बिहार के शिक्षा आयुक्त को 25 सितम्बर 1972 और 14 नवम्वर, 1972 को भी इसके बारे में याद दिलाया गया था। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है ।

भारतीय नौवहन निगम के चैयरमैन का नौवहन निगम की प्रगति पर वित्तीय नीति के प्रभाव सबन्धी मत

2857. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के चैयरमैन ने शंका व्यक्त की थी कि हमारी वित्तीय नीति के कारण भारतीय नौवहन निगम की प्रगति रुक सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम का कार्य कैसा था ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष ने केवल उन प्रोत्साहनों को वापिस लेने/कम करने का उल्लेख किया था जो अभी तक भारतीय नौवहन कम्पनियों को उपलब्ध थे। उन्होंने यह भय प्रकट नहीं किया था कि हमारी वित्तीय नीति भारतीय नौवहन निगम के विकास में रुकावट पैदा करेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों मै भारतीय नौवहन निगम के कार्यकलापों में निरन्तर सुधार हुआ है। इसका निबल लाभ 1969–70 में 551.48 लाख रुपये से बढ़कर 1971–72 में 807.02 लाख रुपये हो गया।

औषधियों और मादक पदार्थों का छात्रों द्वारा प्रयोग

2858. **श्री चिन्तामणि पाणि ग्रही :**

श्री ईश्वर चौधरी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों द्वारा औषधियां और मादक पदार्थों के बढते हुए प्रयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इन के वितरण को नियमित करने के बारे में उपाय बताने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारियों से नशीली दवाईओं की बिक्री पर विशेष रूप से अध्यापन संस्थाओं, तथा विश्वविद्यालय प्रांगनों के आसपास सतत नजर रखने के लिये कह दिया गया है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि छात्रों द्वारा औषधियों और नशीली दवाओं के प्रयोग की छुटपुट घटनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं।

(ख) और (ग) : जहां तक इन मादक पदार्थों और नशीली औषधियों के चिकित्सीय प्रयोग का संबंध है, इन मादक पदार्थों के आयात, वितरण और बिक्री के नियंत्रण को और कड़ा बनाने के लिए औषध सलाहकार समिति की उप-समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। उनकी रिपोर्ट पर औषध सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि

2859. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 1961–71 में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और वर्ष 1961 तथा वर्ष 1971 की जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 1951–61 में 24.17 प्रतिशत से बढ़कर 1961–71 में 28.67 प्रतिशत हो गई।

(ख) और (ग) जनसंख्या में वृद्धि जन्म, मृत्यु और प्रवासन दरों का शुद्ध परिणाम होती है। जनगणना अधिकारियों को अभी 1961–71 की दशा वृद्धि की दरों का हिसाब लगाना है। इन आंकड़ों के अभाव में जनसंख्या की दर में होने वाली वृद्धि के ठीक-ठीक कारणों का बताना संभव नहीं है। राज्य की जनसंख्या 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 32,372,408 और 41,654,119 थी।

यद्यपि जनसंख्या वृद्धि की दर के ठीक ठीक कारण ज्ञात नहीं हैं, फिर भी जन्म दर पर नियन्त्रण रखने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति को तेज करने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। इनको संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम से और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों को तेज़ करने के लिये उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं।

1. वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित आधारभूत ढांचा पूरा पूरा काम करने लगे इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

2. प्रसवोत्तर कार्यक्रम और सघन जिला कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। महिला नसबन्दी और निरोध जैसी विधियों को जिन को लोग अधिक मात्रा में अपना रहे हैं, सभी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

3. जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य कार्यक्रम का सभी स्तरों पर एकीकरण किया जा रहा है। बच्चों की तन्दरुस्ती के लिये रोगमुक्ति और रोग बचाऊ योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है।

4. प्रेरणा देने की एक नई कार्य नीति, जिस में नये नारे भी शामिल हैं, तैयार कर ली गई है जिसका उद्देश्य बच्चे की तन्दरुस्ती और बच्चे के कल्याण को देखना है और अलग अलग लोगों और विशेष वर्गों की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है।

5. सुधरी गर्भनिरोधी तकनीक, जिस में स्वदेशी विधियां और उपाय भी शामिल हैं, तैयार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

6. मध्य प्रदेश सहित जहां इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है, राज्यों में परिवार नियोजन के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

7. अधिक अच्छे चयन, सुधरी हुई अनुवर्ती देखभाल द्वारा और इन विधियों के सम्बन्ध में लोगों में व्याप्त भय और संशयों को दूर करके, गर्भाशयी गर्भनिरांधक और नसबन्दी सेवाओं को सुधारा जा रहा है।

8. बड़े पैमाने पर वृहद नसबन्दी शिविरों के द्वारा इस कार्य को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है।

9. परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये अधिक गहन और सुधरे हुये प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

10. उन दम्पतियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जो परिवार नियोजन की विधियों को मानते तो हैं परन्तु उन को अभी तक अपनाया नहीं है।

वर्ष 1971–72 में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम पर किये गये अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति

2860. श्री सी० जनार्दनन :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1971–72 में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम पर राज्य द्वारा किये गये 17.65 लाख रुपए के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने चालू वर्ष में द्रुत कार्यक्रम के लिए 41 लाख रुपए की अतिरिक्त धन राशि देने का भी अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार ने 1971–72 में उसे दी गई प्रशासनिक मंजूरी से अधिक जो व्यय किया है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है । इसके अलावा, चालू वर्ष के लिए मांगी गई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों को बजट में किया गया सारा परिव्यय आबंटित किया जा चुका है । किसी के आबंटन में वृद्धि करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसी दूसरे के आबंटन में कटौती न की जाए ।

बेपुर पत्तन के विकास के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन

2861. श्री सी० जनार्दनन :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बेपुर पत्तन के विकास के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

ससंदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) जहाजों को 4.5 मीटर तक खींचने के लिए मौजूदा योजना वाणिज्यिक बन्दरगाह के लिए है । इसमें शामिल मुख्य कार्य ये हैं—

(1) बाहरी फुंच जलमार्ग तथा आन्तरिक थाले का निकर्षण

(2) उपयुक्त बन्दरगाह जलयान की व्यवस्था

(3) मूरिंग पोतों के लिए नदी बांध बायों की व्यवस्था

(4) दिक्चालन साधनों की व्यवस्था

(ग) विकास सलाहकार (पत्तन) ने परियोजना रिपोर्ट तकनीकी तौर पर पास कर दी है तथा वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए दी गई है । वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन किये जाने के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी ।

केरल स्थित नीन्डकारा मत्स्य बंदरगाह के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

2862. श्री सी० जनार्दनन :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नौन्डकारा मत्स्य बंदरगाह के बारे में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने 7.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नीन्डकारा में एक मत्स्य बन्दरगाह की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। परियोजना के अनुमान के भाग (क) में बन्दरगाह और जल प्रदाय, बिजली, भूमि अधिग्रहण, कीचड़ निकालने, घाट, जेटी, सड़कों और पार्किंग क्षेत्रों, जल-निकासी, बांधों में परिवर्तन आदि की सामान्य सुविधायें और भाग (ख) में भवन, बर्फ बनाने के संयंत्र, डिब्बा-बन्दी, परिवहन और मरम्मत की सुविधायें आदि शामिल थीं। बन्दरगाह की योजना में 300 यंत्र-चालित नौकाओं और 60 मछुआ-जहाजों के लिए सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था थी।

(ग) और (घ) : मत्स्य बन्दरगाहों के निवेषपूर्व सर्वेक्षण की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजना, जोकि देश में सामान्य बन्दरगाह-स्थलों के बारे में अन्वेषण कर रही है और चनींदा स्थलों के लिये योजनायें और अनुमान तैयार कर रही हैं, हिदायत दी गई थी कि वह केरल में जिन बन्दरगाह स्थलों की जांच-पड़ताल की जानी है उनमें नीन्डकारा को शामिल करके केरल सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है और उनकी बन्दरगाह से सम्बन्धित इंजीनियरी और आर्थिक व्यवस्था–सम्बन्धी रिपोर्ट इस मास खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से प्राप्त होने की संभावना है।

केरल गैर-सरकारी वन (विधायन तथा सौपना) अधिनियम की संविधान की अनुसूची में शामिल करना

2863. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री वरके जाज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि न्यायालय में केरल गैर-सरकारी वन (विधायन तथा सौपना) अधिनियम को चुनौती दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को केरल विधान सभा में 24 मई, 1972 को पारित यह संकल्प प्राप्त हो गया है जिसमें भारत सरकार से भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में उक्त अधिनियम को सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने विधान को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शीन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) न्यायालय के निर्णय का पता चलने के बाद इस अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के सुझाव की जांच की जाएगी।

NUMBER OF LANDLESS AGRICULTURISTS

2864. **SHRI M. S. PURTY.**

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether the number of landless people has increased or decreased from 1971 onwards, year-wise; and

(*b*) the extent to which the number decreased during the last three years in the States, Statewise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE) : (*a*) and (*b*) : The most up-to-date data that are available are the results of the 1971 decennial census. In this 1971 Census there has been no computation of purely landless agricultural persons. It went mainly by the criterion of the main economic activity for the classification of the people. Accordingly, people who have been shown as agricultural workers also include those who have small pieces of land, but who do not subsist primarily on such land, but mainly on their earnings from their labour on other people's farms. The number of such agricultural workers has been found in the computation as 4·7 million.

GRANT OF LOAN BY GOVERNMENT AND OTHER AGENCIES FOR CONSTRUCTION OF HOUSES OF S.C./S.T.

2865. SHRI M. S. PURTY :

Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(*a*) the number of houses constructed in rural areas for Scheduled Castes: and Scheduled Tribes with the assistance given by the Central and State Governments during each of the last three years; and

(*b*) the number of houses constructed for them in the Urban areas with the loans and other financial assistance given by the Central Government, State Governments and Life Insurance Corporation during each of the last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE. (SHRI D. P. YADAV) : (*a*) & (*b*) The information is being collected from the State Governments and the Union Territory Administrations and will be placed on the Table of the House.

PURCHASE OF CARGO SHIPS FROM RUSSIA

2866. SHRI M. S. PURTY :

SHRI BAKSI NAYAK :

Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to state :

(*a*) whether India propose to purchase some cargo ships from Russia;

(*b*) If so, the number thereof and the expenditure likely to be incurred thereon; and

(*c*) the time by which these ships are likely to be received?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : (*a*) to (*c*) : On 20th July, 1971, the Shipping Corporation of India placed an order for four cargo vessels, on a shipyard in U.S.S.R., at a price of Rs. 4·50 crores each. These vessels are due to be delivered between September and December, 1973.

क्षेत्र कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) की अपर्याप्त संख्या के कारण परिवार नियोजन की धीमी प्रगति

2867. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) की अपर्याप्त संख्या के कारण परिवार नियोजन की प्रगति धीमी पड़ गई है ; और

(ख) इस दिशा में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम का अपनाया जाना जनांधिकीय, सामाजिक-आर्थिक कारणों के साथ साथ कार्यक्रम निष्पादन पर निर्भर करता है । कुछ राज्यों में अंशत: क्षेत्रीय स्टाफ की कमी के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति धीमी रही है । कार्मिकों की कमी को पूरा करने और प्रशिक्षण द्वारा स्टाफ के कार्य में सुधार लाने के लिये कदम उठाये गए हैं ।

डाक्टरों और परा चिकित्सीय कार्मिकों जैसे महिला स्वास्थ्य वीक्षिकाओं और सहायक नर्स यात्रियों, की कमी को पूरा करने के लिये देश में चिकित्सा कालेजों की और महिला स्वास्थ्य वीक्षिकाओं और सहायक नर्स यात्रियों के प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या और वर्तमान संस्थानों में प्रवेश की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अलाभकारी क्षेत्रों में चिकित्सीय और परा चिकित्सीय स्टाफ को प्रेरित करने के लिये कार्य, आवास और अन्य सुविधाओं की अच्छी स्थिति के लिए उचित व्यवस्थायें की जा रहीं हैं ।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों को तेज करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रकार के कदम संलग्न विवरण में दिये जा रहे हैं ।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम से और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों को तेज करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं ।

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित आधारभूत ढ़ांचा पूरा पूरा काम करने लगे, इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

2. प्रसवोत्तर कार्यक्रम और सघन जिला कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । महिला नसबन्दी और निरोध जैसी विधियों को जिन को लोग अधिक मात्रा में अपना रहे हैं, पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

3. जच्चा बच्चा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य कार्यक्रम का सभी स्तरों पर एकीकरण किया जा रहा है । बच्चों की तन्दुरुस्ती के लिये रोगमुक्ति और रोग बचाऊ योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है ।

4. प्रेरणा देने की एक नई कार्य नीति, जिस में नये नारे भी शामिल हैं, तैयार कर ली गई है जिसका उद्देश्य बच्चे की तन्दरुस्ती और बच्चे के कल्याण को देखना है और अलग अलग लोगों और विशेष वर्गों की ओर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

5. सुधरी गर्भ निरोध तकनीक, जिस में स्वदेशी विधियां और उपाय भी शामिल है, तैयार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है ।

6. जिन राज्यों में इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है, वहां परिवार नियोजन के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

7. अधिक अच्छे चयन, सुधरी हुई अनुवर्ती देखभाल द्वारा और इन विधियों के सम्बन्ध में लोगों में व्याप्त भय और संशयों को दूर करके, गर्भाशयी गर्भनिरोधक और नसबन्दी सेवाओं को सुधारा जा रहा है ।

8. बड़े पैमाने पर वृहद् नसबन्दी शिविरों के द्वारा इस कार्य को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है ।

9. परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये अधिक और सुधरे हुए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है ।

10. उन दम्पतियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जो परिवार नियोजन की विधियों को मानते तो हैं परन्तु उन को अभी तक अपनाया नहीं है ।

ARRANGEMENTS FOR MAKING THE DIALECTS OF VARIOUS TRIBES AS MEDIUM OF INSTRUCTION

2869 : SHRI DHAN SHAH PRADHAN :

Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

The arrangements made to make the dialects spoken (their mother tongue) by the various tribes of India as medium of instructions?

THE DEPUTY MINISTER OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D.P. YADAV) : Facilities have been provided for instruction in the following tribal languages by the State Governments concerned, mostly at the primary stage : Mikir, Garo, Khasi, Lushai, Bodo, Manipuri, Karen, Nicobarese, Tripuri, Mizo Santali, Ao, Angami, Lotha, Sema, Konayak and Gondi.

For developing the tribal dialects with a view to adopting them as media of instruction for the speakers of these dialects at the appropriate stages, production of text-books has been taken up by the Central and State Governments in Ao, Angami, Lotha, Sema, Konyak, Chokri, Chang, Sangtam Phom, Yimchunger, Kuki, Mengma, Khennengam, Khezha, Monpa (Tawang) Monpa (Bomdila), Dafla, Apatani, Galon, Aadi, Iidu, Digaru, Miju, Sinfo, Wanchu, Maria, Haibi, Korkus Bhili, Kudukh, Gondi, Santali, Kharia, Kurukh, Methei, Thadpu-Kuki Shina, Balti, Malto, Tripuri, Deskhat, Ladakhi, Mundari, Kuvi, Khond and Juang.

Of these, preliminary teaching material has already been prepared in, Monpa Tawang, Monpa Bomdila, Dafla, Apatani, Galong, Aadi, Iidu, Digaru Miji, Sinfo, Wanchu, Maria, Hambi, Korku, Bhili, Kudukh, Gondi, Santali, Kharia and Kurukh.

EVICTION OF HARIJANS, ADIVASIS AND AGRICULTURAL LABOUR IN HUJOO TEHSIL

2870. SHRI DHAN SHAH PRADHAN :

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether reports have been received that Harijans, Adivasis and agricultural labourers of Hujoo Tehsil of Rewa district who were living there for several generations, have been evicted from there under Section 248 of the Land Tenancy Act; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE) : (a) & (b) Necessary information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House when received.

बन्धक बालमजदूर

2871. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बंधक बालमजदूर प्रणाली अभी भी चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और राज्य में उक्त प्रणाली के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : बहुत सी समितियों ने उड़ीसा में गीटी या ऋण बंधक प्रणाली के विद्यमान होने की रिपोर्ट की है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कर्जदार जब तक उसका कर्ज अदा न किया जाए अपने आपको सेवा के लिए बंधक रखता है। आदिवासियों की सरलता और अमानता का फायदा उठाते हुए साहूकार इस प्रकार से लेखे बनाते हैं जिस से आदिवासी और कुछ मामलों में उनके बच्चे और नजदीकी रिश्तेदार कई सालों तक बंधक हो जाते हैं। उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा ऋण बंधक विनियम, 1948, उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्र) ऋण राहत विनियम, 1972 तथा उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्र) साहूकार विनियम, 1967 बना कर इस प्रथा को रोकने की चेष्ठा की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आदिवासियों को सूद-रहित ऋण दे रही है ताकि वे अपने पुराने कर्जों को अदा कर सकें।

दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में जालसाजी

2872. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के पब्लिक स्कूलों में कुछ अद्भुत जालसाजी हो रही है तथा स्कूलों के प्रशासन में कदाचार जारी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु पत्तन विकास के लिए योजनाएं

2873. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लघु पत्तन विकास योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राज्य सरकारों को मार्च, 1971 के अन्त तक 280.92 लाख रुपयों की ऋण सहायता दी गई थी ; और

(ख) इन योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को ऋण सहायता देने के उद्देश्य से वर्ष 1971-72 के पुनरीक्षित प्राक्कलन और 1972-73 के बजट प्राक्कल में केवल 1.50 लाख रुपयों की राशि की व्यवस्था करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सम्भवतः प्रश्न चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष अर्थात् 1969-70 और 1970-71 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में सम्मिलित छोटे पत्तनों के विकास के लिये समुद्री राज्य सरकारों को दिये गये ऋण से सम्बन्धित है। इन दो वर्षों के दौरान 300.92 लाख रुपये के कुल ऋण दिये गये जसा कि संलग्न विवरण में योजनावार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) 1971-72 के पुनरीक्षित अनुमानों (अब पूरी तौर से विमोचित की गई है) और 1972-73 के अनुमानों में व्यवस्था की गई राशि प्रत्येक वर्ष में 150 लाख रुपये की है न कि 1.5 लाख रुपये की।

विवरण

(रुपये लाखों में)

योजना	1969-70	1970-71
काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश)	–	20.00
कड्डलोर (तमिल नाडू)	–	50.18
बेंपोर (केरल)	18.82	–
कारवाड़ (मैसूर)	–	00.20
भिरियावे (महाराष्ट्र)	24.86	50.00
पोरबन्दर (गुजरात)	57.24	79.62
योग	100.92	200.00
कुल योग		300.92

राज्यों में सड़क विकास कार्यों का अनुमोदन

2874. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कतिपय राज्यों के मामलों में ऐसे किन सड़क विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है, जिनको 1973-74 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में केन्द्रीय सड़क निधि की प्रत्याशित आय में से सहायता दी जायेगी ;

(ख) सरकार के विचाराधीन कौन से प्रस्ताव हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किन राज्यों से प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मैहता) :

(क) और (ख) विवरण संलग्न हैं (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-3899/72)

(ग) प्रस्तावों की पूरे तौर से या आंशिक रूप से अन्डमान और निकोबार, चडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा से प्रतीक्षा है ।

गैर विद्यार्थी युवा वर्ग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यय किया गया धन

2875. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर विद्यार्थी युवा वर्ग हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चौथी योजना की अवधि में निर्धारित 500 लाख रुपयों में से अब तक कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने खेल के मैदान और कार्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाने वाली प्रस्तावित सात मुख्य योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इन योजनाओं को आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) खर्च के लिए अब तक 17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । व्यय के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संगठनों ने खेल-मैदानों के विकास के लिए अभी तक किसी सहायता का लाभ नहीं उठाया है । कार्य केन्द्रों की स्थापना की योजना के अधीन, गैर-विद्यार्थी युवकों से संबंधित स्वत: रोजगार के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए कलकत्ता में एक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ग) कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(1) 170 जिलों के शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों का विकास ।

(2) स्कूलों से बाहर के युवकों को विभिन्न व्यावसायिक कलाओं में प्रशिक्षण देने तथा स्वत: रोजगार के प्रयत्नों को उन्नति देने के लिए 20 कार्य केन्द्रों की स्थापना ।

(3) महानगरों को छोड़कर अन्य जिला मुख्यालयों में नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना।

(4) युवक नेताओ का प्रशिक्षण।

उपर्युक्त चार योजनाओं के अलावा, सरकार ने साहसिक कार्य सुविधाओं, कैम्पिंग, स्वागत केन्द्र आदि से संबंधित तीन और योजनाएं भी तैयार की हैं, किन्तु साधनों की कमी के कारण उन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

गैर-सरकारी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए विकास और सुधार पर बचत

2876. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विकास और सुधार की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में 35 लाख रुपये व्यय न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) वर्ष 1972-73 में इस योजना के अन्तर्गत धन की कोई व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) इस योजना के 1971-72 वर्ष की बजट व्यवस्था में 25.00 लाख रुपये की बजट थी। यह बचत भवनों के निर्माण पर होने वाले खर्चे में धीमी गति तथा केन्द्रीय सहायता की अनुमोदित पद्धति के अनुसार अपने अनुरूपी अंशदान की व्यवस्था करने में गैर-सरकारी संस्थानों की असमर्थता और उपकरणों की उपलब्धता के कारण थी।

(ख) इस योजना के लिए 1972-73 वर्ष के बजट में 45.00 लाख रुपये की व्यवस्था विद्यमान है।

DEVELOPMENT OF INDIA GATE CROSSING, NEW DELHI

2877. SHRI HUKAM CHAND KACHAWAI : SHRI NARENDRA SINGH :

Will the **Minister of Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme to redevelop the India Gate crossing; and

(b) if so, the estimated expenditure to be incurred thereon and the time by which the project is likely to be completed ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : (a) Yes, Sir.

(b) The estimated expenditure to be incurred on the scheme is Rs. 33·82 lakhs, and it is expected to be completed by March, 1973.

नई दिल्ली की लोदी कालोनी में टाइप तीन चार के क्वाटरों के सामने के बरामदे में शीशेदार खिड़की लगाना

2878. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की लोदी कालोनी में टाइप तीन और चार के क्वाटरों के सामने के बरामदों में शीशेदार खिड़कियां लगाने का कार्य बन्द कर दिया गया है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) लोदी कालोनी के टाइप तीन और चार के क्वाटरों के अलाटियों से शीशेदार खिड़कियां लगाये जाने के लिए कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या अलाटियों और उनके परिवारों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रतिन्बध को हटाने तथा बरामदों में शीशेदार खिड़की लगाने की अनुमति देने पर विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) किफायत के तौर पर 18-11-71 को यह निर्णय किया गया था कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छोटे निर्माण-कार्यों तथा भवनों में परिवर्तनों परिवर्धनों पर कोई व्यय नहीं किया जायगा ।

(ख) लोधी कालोनी के टाईप III तथा टाइप IV हैं। के अलाटियों से 18-11-71 के पश्चात् क्रमश: 17 तथा 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) ऐसे निर्माण कार्यों पर लगे वर्तमान प्रतिन्बधों में ढील दिए जाने के बाद ही केवल बरामदों में शीशे लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

खुरवाले पशुओं का आयात

2879. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खुरवाले पशुओं की संख्या कितनी है तथा उनको पालने पर खर्च क्या होता है तथा उनसे क्या आय होती है ;

(ख) क्या सरकार ने अधिक दूध देने वाली इजराइल-फ्रीजियन नस्ल की गायों के बारे में अध्ययन किया है तथा क्या इस सम्बन्ध में सरकार इजरायली पशु, सांड, कृत्रिम गर्भाधान तथा विशेषज्ञ मंगाने के लिये प्रोत्साहन देगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो खुरवाले पशुओं के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सन् 1966 की पशु गणना के अनुसार पशुओं तथा भैसों की संख्या क्रमश: 1760.6 लाख और 529.2 लाख है । उनके रख-रखाव की लागत तथा उनसे मिलने वाला लाभ में उनकी नस्ल, आयु, लिंग, दुग्धस्रवण की अवधि, उत्पादन स्तर, कृषि मौसमी परिस्थितियों, पशु आहार तथा चारे के मूल्य और उनकी विपणन सुविधाओं के आधार पर काफी अन्तर रहता है । 1963-66 की अवधि में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा हरियाणा के हिसार जिले में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न प्रकार के पशुओं के रख-रखाव की औसतन लागत निम्न प्रकार है :

पशुओं का वर्गीकरण		लागत (पैसे-प्रतिदिन)
पशु	दुधारु गाय	158
	बैल	194
	तरुण पशु नर	64
	तरुण पशु मादा	55
भैंस	दुधारू भैंस	305
	तरुण भैंस (नर)	42
	तरुण भैंस (मादा)	72

विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में कोई वस्तुपरक सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) भारतीय परिस्थितियों में इजरायली-फ्रीजियन गायों की उपयुक्ता के सम्बन्ध में भारत में कोई विधिवत अध्ययन नहीं किया गया है । इनके आयात की समस्त प्रार्थनाओं पर उनके औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है, अतः इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न पर कोई आम निर्णय नहीं लिया जा सकता ।

(ग) पशु प्रजनन नीति :

(1) प्रसिद्ध प्रजनन क्षेत्रों में चुनींदा अथवा मान्य दुधारू, द्वि उद्देशीय अथवा पशुओं की कुछ महत्वपूर्ण भारवाही नस्लों का प्रजनन ।

(2) भारवाही पशुओं अथवा इस प्रकार के पशुओं के प्रजनन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन पर अधिक बल देना और वर्तमान भारवाही अथवा इस प्रकार की नस्लों के स्थान पर द्वि उद्देश्यीय नस्लों का प्रचलन ।

(3) जिन क्षेत्रों में पशु किसी विशिष्ट नस्ल के अन्तर्गत नहीं आते और कम उत्पादन के साथ-साथ उनकी प्रायः कोई विशिष्टितायें नहीं होती वहां उन्हें मान्य द्वि उद्देशीय अथवा डेरी नस्लों के साथ वर्गीकृत करना ।

(4) पर्वतीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों में जहां पर अत्यधिक दुधारू पशुओं के पालन तथा उनको रखने की प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था है और दूध की सुनिश्चित आपूर्ति बनाये रखने के लिये शहरी क्षेत्रों तथा औद्योगिक नगरों के आस पास विदेशी नस्ल के पशुओं की सहायता से शंकर-प्रजनन ।

(5) प्रजनन क्षेत्रों में चुनींदा प्रजनन द्वारा भैंसों का सुधार और अन्य क्षेत्रों में जहां कि भैंसों का पूरा प्रचलन आरम्भ हो गया है उन्हें मान्य नस्लों के साथ वर्गीकृत करना ।

इस प्रकार नयी पशु प्रजनन नीति में मुख्यतः शंकर-प्रजनन पर बल दिया गया है । इस नीति की कार्यान्विति के लिये बहुद्देशीय, द्विपक्षीय और विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न देशों से विदेशी पशुओं तथा जमाये हुये वीर्य का आयात किया जा रहा है। सभी सम्बन्धित तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ।

मंत्रियों के लिए आवास तथा फर्नीचर का परिमाण

2880. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय कर दिया है कि मंत्रियों को सीधी-सादी इमारतों में ठहरना चाहिए, न कि बिलासिता पूर्ण बंगलों में जैसा कि वे इस समय करते हैं ;

(ख) क्या मंत्रियों के निवास के लिये एक बहु-मंजिली इमारत का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) क्या मंत्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध फरनीचर के परिमाण में भी कमी करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :

(क) तथा (ख) : नई दिल्ली की तैयार की जा रही संशोधित प्लान के अनुसार मंत्रियों तथा सचिवों को सीधा-साधा वास देने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) जी, नहीं । फर्नीचर तथा बिजली के उपकरणों की कीमतें बढ़ जाने के कारण लगभग एक दशक पहले निर्धारित की गई अधिकतम रकम से अब तक खरीदे जा सकने वाले फर्नीचर और बिजली के उपकरणों के मदों की संख्या पहले ही कम हो गई है ।

बड़े पत्तनों के विकास के लिय योजना

2881. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पत्तनों के विकास के लिए भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इन पत्तनों के विकास के लिये कुछ कितना और धन आवंटित किया गया है; और

(ग) विकास कार्य की समाप्ति के उपरान्त इन पत्तनों में माल चढ़ाने तथा उतारने की क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री श्री राज बहादुर :

(क) जी हां । देश के बड़े पत्तनों के विकास के लिये उत्तरोत्तर पंच वर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं द्वारा भारत सरकार योजनाएं बना रही है ।

(ख) चालू वर्ष (1972-73) के दौरान बड़े पत्तनों के विकास के लिये 70.77 करोड़ रूपये और निम्नलिखित चार बड़े पत्तन संबंधी प्रयोजनाओं के विकासार्थ 12.59 करोड़ रूपये का कुल नियतन किया गया है । (i) मंगलौर बन्दरगाह प्रायोजना, (ii) तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना, (iii) कलकत्ता पत्तन के डुवाव को बढाने के लिये भागीरथी हुगली नदी में नदी प्रशिक्षण कार्य, (iv) बड़े बड़े पत्तन की निकर्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय निकर्षक निकाय की स्थापना ।

(ग) चौथी योजना कार्यक्रम के पूरा होने पर (1969–70) में बड़े पत्तनों की घराउठाई क्षमता 690 लाख टन से बढ़कर लगभग 1100 लाख टन होने की आशा है ।

राष्ट्रीय परिवहन पद्धति का नवीकरण

2882. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी० गगांदेव :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश की राष्ट्रीय परिवहन पद्धति का नवीकरण करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह बात महसूस की है कि तेजी से विकसित होती हुई अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेल, सड़क, समुद्र तथा अन्तर्जलीय परिवहन के सभी साधनों के संवर्धन तथा विकास की काफी आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय परिवहन पद्धति के नवीकरण के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) :

(क) से (ग) : सरकार की यह नीति है कि परिवहन के विभिन्न साधनों का संपूरक सेवाओं के रूप में इस अनुपात तथा संमिश्रण से विकास किया जाय कि किफायत की कम से कम लागतों पर समाज की कुल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। परिवहन के विशेष साधनों के लिये उपभोक्ताओं की अभिमान्यता का भी जहां तक हो सके, उपरलिखित नीति के दायरे के अन्दर अन्दर ध्यान रखा जाता है। देश में राष्ट्रीय परिवहन पद्धति के विभिन्न खंडों का विकास पंचवर्षीय योजनाओं का एक अंग समझा जाता है। परिवहन नीति के मुख्य बातों पर परिवहन नीति तथा समन्वय समिति (1966) की सिफारिशों का पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परिवहन विकास कें लिये कार्यक्रम बनाने में ध्यान रखा जाता है। अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिवहन के सभी साधनों अर्थात् रेल, सड़क, समुद्र, अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा पाईपलाइनों के विकासार्थ, पर्याप्त गुंजाइश और आवश्यकता है। परन्तु, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जहां तक हो सके परिवहन पद्धति की एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे के पूरक और समर्थन करते हुए विभिन्न भागों सहित देखा जाता है। परिवहन के भिन्न साधनों के विकास के बारे में और जहां तक कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में परिवहन नीति की पुनः अनुस्थापना करना आवश्यक हो, जानकारी उस समय तक उपलब्ध हो जायेगी जब तक कि कार्यक्रम विस्तार से बना लिये जायेंगे और योजना प्रलेख में सम्मिलित कर लिये जाये।

अधिक दूरी की अन्तर्राज्जीय यातायात की सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों में समझोता

2883. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक दूरी तक जाने वाली अन्तर्राज्यीय यातायात को सूविधाजनक बनाने क लिये आठ राज्यों के बीच किसी समझोते पर हस्ताक्षर हुये हैं, और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बाते क्या हैं, और

(ग) उक्त आठ राज्यों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) और (ख) जी, हां। पंजाब, हरियाणा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र और दिल्ली के 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माल गाड़ियों के परिचालन के लिए 22-9-72 को एक विशेष पारिस्परिक समझोते (वेस्टर्न जोन परमिट स्कीम) पर हस्ताक्षर किये गये।

योजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं :—

(1) इस के अन्तर्गत जलने वाली माल गाड़ियां किसी भी प्रतिभागी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बिना प्रतिहस्ताक्षर लिये एवं सकल कर के आधार पर राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर चलाई जा सकती हैं।

(2) प्रारम्भ में यह 1 जनवरी, 1973 से 31 मार्च, 1975 तक चल सकेगी।

(3) प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता राज्य द्वारा जारी किये गये सयुक्त परमिटों की संख्या 200 होगी ।

(4) एक परिचालक की परिचालनार्थ कम से कम चार राज्यों को चुनने की अनुमति होगी अर्थात् गृह राज्य और तीन अन्य राज्य; और

(5) एक परिचालक गृह राज्य को सामान्य करों का पूर्ण रूप से भुगतान करेगा (अर्थात् मोटर गाड़ी कर और माल कर) और इस के अतिरिक्त उन हस्ताक्षरकर्त्ता राज्यों को, जिन्हें परिचालक के लिये चुना गया है, 700 रू० प्रति वर्ष प्रति गाड़ी का एक संयुकत कर भी देगा । प्रारम्भ में अन्य राज्यों की ओर से बैंक ड्राफ्ट द्वारा सभी कर गृह राज्य द्वारा एकत्रित किये जायेंगे ।

नगरीय क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

2884. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सभी महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्रों को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम क अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसमें किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है ;

(ख) क्या भारत में मलेरिया तेजी से फैल रहा है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिये युद्ध स्तर पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निमार्ण और आवास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) जी, हां । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा रोधी गहन कार्य सम्बन्धी योजना में, 40,000 और इससे अधिक आवादी वाले—ए—स्टेफेन्सी समस्यामूलक नगरों को शामिल करने का विचार है । उन नगरों के नाम जिनको 1972–73 तक इस योजना में शामिल कर लिया गया है और जिन्हें 1973–74 में शामिल करने का विचार है संलग्न सूचियों में दिए गये हैं ।(ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3400–72).

(ख) और (ग) : निस्सन्देह : विगत तीन वर्षों में कुछ राज्यों में मलेरिया के मामलों में थोड़ी सी वृद्धि हूई है । किन्तु इस बात को जान लेना होगा कि 19 वर्षों तक कार्यक्रम के निरन्तर चलने के बाद वर्तमान चरण द्वारा महामारी की दृष्टि से देश के सर्वाधिक मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों की समस्या को सुलझाया जा रहा है । मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में आक्रामक चरण वाले एककों की संख्या अधिकतम है । 1971 में देश में पता लगाए गये कुल रोग सापेक्षी मामलों का लगभग 85 प्रतिशत इन राज्यों में है ।

मलेरिया के मामलों का नियंत्रण करने के लिये निम्नलिखित उपाय वरते जा रहे हैं :

1. घरों के अन्दर संघन रूप से कीटनाशी दवा का छिड़काव ;

2. जिन इलाकों में वेकटर मच्छर डी० डी० टी० के प्रति सहिष्णु हो गये हैं, वहां की० एच० सी० और मलेथियन जैसी अन्य कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है ;

3. लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देकर उन्हें छिड़काव कार्य करवाने और कीटनाशी दवा छिड़काने के बाद गारे से दीवारों की पुताई न करने के लिये सहमत कराया जा रहा है। जन-जातियों के ग्राम नेताओं से भी सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ;

4. जिन क्षेत्रों में बार बार संक्रमण होता है, उनमें विशेष अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं ;

5. प्रोढ़ मच्छरों के विनाश के लिये अल्टा लो वाल्यूम-विधि द्वारा प्रयोग भी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा कपास के उत्पादन में वृद्धि की योजना

2885. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री राम भगत पस्वान :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने लगभग एक लाख एकड़ भूमि में कपास की उपज में वृद्धि सम्बन्धी कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या अधिक उपज वाले बीजों तथा खाद जैसे अन्य पदार्थ देकर सहकारी स्पिनिंग मिलों के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) से (ग) तक : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1972–73 के दौरान 16 सहकारी कताई मिलों के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 32,000 हेक्टर (लगभग 80,000 एकड़) क्षेत्र में कपास की बुवाई करने के लिये एक योजना पेश की थी। इस योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मिल को सघन खेती के किये 2,000 हेक्टर क्षेत्र आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से भारत सरकार कताई मिलों को निम्न प्रकार की आर्थिक सहायता देती है।

1. वनस्पति रक्षण सम्बन्धी रसायनों और उपकरणों की लागत पर 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता।

2. यूरिया की 100 प्रतिशत लागत और 10 प्रतिशत क्षेत्र में यूरिया के पपीय छिड़काव की 50 प्रतिशत लागत।

कार्यक्रम की देखभाल के लिये सहकारी कताई मिलों पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगी।

M/B(N)18LSS—8(a)

पश्चिम दिल्ली की शंकर लाईन कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण कार्यों का स्थगित किया जाना

2886. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी में भवन निर्माण कार्य स्थगित कर दिया है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसका उस कालोनी के प्लाटधारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उस स्वीकृत कालोनी में पुन : निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित):

(क) वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी दिल्ली द्वारा रोक आदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी नें निर्माण गतिविधियां निलंबित कर दी गई हैं ।

(ख) तथा (ग) : मामला न्यायाधीन है । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण रोक-आदेश के वापस लिए जाने के लिए मुकदमा लड़ रहा है ।

नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल को अनुदान

2887. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल को गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितनी धनराशि, अनुदान के रूप में दी ;

(ख) क्या इस अस्पताल की विवाहित नर्सों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करके उन्हें देने के लिए इस अनुदान में से कोई धनराशि निर्धारित की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो विवाहित नर्सों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू):

(क) चूंकि विलिंग्डन अस्पताल केन्द्र द्वारा चलाया जाता है, अत : इसे अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, विलिंग्डन अस्पताल की व्यवस्था और सुधार के लिये प्रतिवर्ष बजट का प्रावधान किया जाता है । गत तीन वर्षों में नान-प्लान के अन्तर्गत विलिंग्डन अस्पताल का राजस्व व्यय इस प्रकार रहा :—

	रुपये
1969–70	86,15,808.00
1970–71	93,77,817.00
1971–72	91,39,599.00

(ख) जी, नहीं।

(ग) विलिंग्डन अस्पताल के कर्मचारियों के लिये, जिसमें विवाहित नर्सें भी सम्मिलित हैं, लगभग 264 क्वार्टरों को खरीदने का विचार है।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना और मध्य आय-वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत केरल में बनाये गये मकान

2888. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत जिलेवार पृथक-पृथक कुल कितने -कितने मकान बनाए गए हैं और

(ख) उक्त प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) केरल सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार केरल में सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत अब तक बनाए गये मकानों की कुल संख्या क्रमश : 1153 तथा 1342 है। जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) चूंकि एक परिवार को एक मकान दिया जाता है, इसलिये लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या बनाए गये मकानों की संख्या के बराबर होगी। लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या परिवार के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होगी।

फरोकएर्णकुलम राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास

2889. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एन० श्री कान्तन नायर :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (फरोक-कोचीन) के विकास के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अब स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के फरीकेचलसरूरी-त्रिचर भाग के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा व्यय किया गया धन वापिस करने का राज्य सरकार ने निर्णय इस कारण किया था कि एर्णकुलम फरोक तटीय सड़क परियोजना की स्वीकृति देने में विलम्ब न हो; और

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम तटीय सड़क औद्योगिक तथा आर्थिक महत्व को देखते हुये सरकार का विचार पांचवी योजना की अवधि के दौरान एर्नाकुलम तट सड़क का निर्माण करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) और (ख) : फरोक और एर्नाकुलम (कोचीन) दो राष्ट्रीय राज मार्गों अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 17 (फरोक और त्रिचूर के बीच) और राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 47 (त्रिचूर और एर्नाकुलम के बीच) से जुड़े हुए हैं। फरोक और एर्नाकुलम के बीच एक तटीय सड़क के विकास के लिए कई स्थानों से मांग आई है। इन में फरोक और त्रिचूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग स० 17 पुन : संरेखन

और तट के साथ-साथ त्रिचूर के समीप से एर्नाकुलम के पास तक तथा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के समानान्तर एकदम नई सड़क की व्यवस्था शामिल है। प्रस्ताव की जांच की गई और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि कुछ जानकारी, ब्यौरे तथा अतिरिक्त लागत के आंकड़े एकत्रित कर के मामले की ओर समीक्षा करे। ये अब प्राप्त हो गये हैं और इनकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । जिसके पश्चात प्रस्ताव के वित्तीय पहलू की भी जांच की जानी है। निर्णय करना केवल तकनीकी .समीक्षा के परिणाम पता लगने के बाद ही संभव हो सकेगा कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय वित्तीय सहायता से फरोक और त्रिचूर के बीच मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के पुन : संरेखन हेतु तथा त्रिचूर और एर्नाकुलम के बीच मौजूदा राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 47 के समानान्तर एक अतिरिक्त नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के प्रस्ताव पर सहमत है या नहीं और फिर प्रस्ताव पर कार्यवाही चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अथवा उसके बाद की जाये। धन की उपलब्धता के साथ-साथ किसी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु निर्धारित कसोटी के अनुसार और पूरे देश से प्राप्त विभिन्न प्रस्ताव भी ऐसी बातें हैं जिन पर सम्पूर्ण समीक्षा के भाग के रूप में विचार करना पड़ेगा।

(ख) राज्य सरकार की व्यय की प्रतिपूर्ति की पेशकश एक मात्र इसलिए थी कि वह चाहती थी कि मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के उस भाग जिस पर केन्द्रीय सरकार ने पहले ही पूंजी लगा रखी है के पुर्नसंरेखन और नई सड़क बनाने के बारे में विचार किया जाये।

केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर उप मार्ग बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण

2890. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर उप-मार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, की पूरी लागत की केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को अब स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अनुमानों को शीघ्र मंजूर करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) और (ख) : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की पूरी लागत और उपमार्गों जो नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर पड़ते हैं की लागत केन्द्रीय सरकार वहन करती है, परन्तु, केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार जब ऐसे नये उपमार्गनगर पालिका क्षेत्रों से गुजरते हैं तो उपमार्ग जो स्थानीय यातायात के लिए होते हैं में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो तरफ बनाये जाने वाले समानान्तर सेवाई सड़कों के लिए आवश्यक चौड़ाई के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत राज्य सरकारों को देनी होती है। केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि उपमार्गों के मामलों में भी केन्द्रीय सरकार निर्माण के लागत के अतिरिक्त समानान्तर सेवाई सड़कों के लिए आवश्यक भूमि की लागत भी वहन करे। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच करने के लिए,केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले उप-मार्गों की कतिपय विस्तृत सूचना उनसे मांगी गई थी। यह सूचना अब मिल गई है और तकनीकी संवीक्षाधीन है जिसके बाद प्रस्ताव के वित्तीय पहलू की जांच की जायेगी। धन की उपलब्धता दूसरा मूल कारक है जिसपर सारी समीक्षा

के भाग के रूप में विचार करना होगा । चूंकि केरल सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार की मौजूदा आम नीति जो सारे देश पर लागू होती है से विचलन करने के लिए है अत : निर्णय करने में कुछ समय लगेगा । इस समय नगरपालिका सीमाओं में और या उपमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण अनुमान सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा नीती के अनुसार मंजूर किये जा रहे हैं ।

सरकारी समारोहों पर अतिथि नियंत्रण आदेश लागू करना

2891. श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राज्यों ने अतिथि नियंत्रण आदेश लागू किये हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या अतिथि नियंत्रण आदेश सरकारी समारोहों पर लागू नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में भी मितव्ययिता संबंधी कार्यवाही करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) अतिथि नियन्त्रण आदेश 21 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोआ, लकादीव, मिनीकाय तथा अमीनदीव द्वीपसमूह और पांडिचेरी ।

केन्द्र द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी उपायों को कड़ाई से लागू करने के लिए अगस्त, 1972 में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए निदेशों के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर और त्रिपुरा को छोड़कर, उपर्युक्त सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि उन्होंने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं ।

(ख) यह सरकारी समारोहों पर भी लागू होता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई० आई० टी० दिल्ली में प्रोफेसरों की वरीयता का क्रम

2892. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० आई० टी० दिल्ली के प्रोफेसरों की वरीयता का क्रम क्या है;

(ख) क्रमानुसार सर्वोच्च दस प्रोफेसरों के गत तीन वर्षों में प्रकाशित शोध-पत्रों के शीर्षक क्या हैं और उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिनमें वे प्रकाशित हुए थे; और

(ग) ऐसे पी० एच० डी० शोध-प्रबन्धों (थीसिस) की संख्या और शीर्षक क्या हैं जिनका उपरोक्त प्रोफेसरों में से प्रत्येक द्वारा आई० आई० टी० दिल्ली में अपने कार्यकाल के दौरान सफलता-पूर्वक पर्यवेक्षण किया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क) प्रोफेसरों के नाम उनकी नियुक्तियों को तारीखों के क्रम से अनुबंध-1 में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3901/72]

(ख) सूचना अनुबन्ध-2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-3901/72]

(ग) सूचना अनुबंध-3 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3901/72].

उर्वरकों की विक्री में चोर बाजारी

2893. **श्री जी० वाई० कृष्नन :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर चोरबाजारी होने के कारण किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक प्राप्त नहीं हो रहा :

(ख) क्या सरकार का विचार इन मूल्यों में कमी तथा चोरबाजारी की समस्या को हल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) देश में उर्वरकों की कमी का लाभ उठाने वाले और चोर वाजारी में लगे हुए वेईमान व्यापारियों के कुछ मामले सामने आये हैं :

(ख) और (ग) : फिलहाल उर्वरकों की कीमतों में कमी करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथापि चोर वाजारी की वारदातों को रोकने के लिए राज्य सरकार इन के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करती हैं।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में फसल उगाने तथा पेय जल पर खर्च

2894. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्रों में फसल उगाने तथा पेय जल के लिए मशीनें लगाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की है तथा प्रत्येक राज्य की जनता को उनसे अब तक कितना लाभ हुआ है : और

(ख) ऐसी मशीनें लगाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) और (ख) : इस मंत्रालय में यह आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है कि सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्रों में फसले उगाने और पेय जल की व्यवस्था करने के लिए मशीने लगाने पर कितना खर्च किया और उससे प्रत्येक राज्य की जनता को कितना लाभ हुआ है। यह सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार तथा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में महिलाओं के साथ भेदभाव किये जाने की जांच करने के लिए समिति

2895. श्री मुख्तियार सिंह मल्लिक :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने रोजगार तथा पारिश्रमिक के संवन्ध में महिलाओं के साथ भेद-भाव की सम्स्या की जांच करने के लिए हाल में एक समिति बनाई है, और यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

(ख) उसके निदेश पद क्या हैं, और

(ग) समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) :

(क) और (ख) : जी, नहीं। सरकार ने अलवत्ता भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्वद्ध एक समिति 22 सितम्बर, 1970 को स्थापित की थी, जिसके निदेश पदों के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ नौकरी पेशा स्त्रियों की समस्याओं का एक सर्वेक्षण, जिसमें उनके प्रति रोजगार और परि-श्रमिक में भेदभाव करना शामिल है, हैं। समिति की संरचना तथा उसके निदेश पद अनुवंध में दिए गए हैं।

(ग) समिति ने उसे गठित किए जाने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

विवरण

भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्वद्ध समिति।

संरचना

समिति की अध्यक्षा तथा सदस्य निम्नलिखित अनुसार है :—

1.	श्रीमती फूलरेणु गुह	अध्यक्ष
2.	श्रीमती नीरा डोगरा	सदस्या
3.	श्रीमती लीला दुवे	सदस्या
4.	श्रीमती उर्मिला हकसर	सदस्या
5.	श्रीमती सकीना ए० हसन	सदस्या
6.	श्रीमती मनीवेन कारा	सदस्या
7.	श्री विक्रम चंद महाजन, संसद सदस्य	सदस्य
8.	डा० (श्रीमती) वीणा मजुमदार	सदस्या
9.	श्रीमती के० लक्ष्मी रधुरमैया	सदस्या
10.	श्रीमती माया रे, संसद सदस्या	सदस्या
11.	श्रीमती लोतिका सरकार	सदस्या
12.	श्रीमती सावित्री श्याम, संसद सदस्या	सदस्या
13.	श्रीमती शकुंतला मसानी	सदस्य-सचिव।

समिति का निम्नलिखित निदेश पदों के साथ गठन किया गया है :—

(1) स्त्रियों की सामाजिक हैसियत, उनकी शिक्षा तथा रोजगार पर प्रभाव डालने वाले संविधानिक, कानूनी तथा प्रशासनिक उपबंधों की जांच करना।

(2) पिछले दो दशकों में भारत में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र में, स्त्रियों की हैसियत पर इन उपबन्धों का प्रभाव आंकना तथा अधिक कारगर कार्यक्रमों का सुझाव देना।

(3) स्त्रियों में शिक्षा के विकास पर विचार करना और कुछ क्षेत्रों में धीमी प्रगिति के लिए उत्तरदायी बातों का निर्धारण करना। तथा उपचारी उपायों का सुझाव देना।

(4) नौकरी पेशा स्त्रियों की समस्याओं का, जिनमें रोजगार में भेदभाव और पारिश्रमिक भी शामिल है, सर्वेक्षण करना।

(5) बदलते हुए सामाजिक ढांचे में पत्नियों और माताओं के रूप में स्त्रियों की हैसियत की तथा उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में उनकी समस्याओं की जांच करना।

(6) जनसंख्या नीतियों और परिवार नियोजन कार्यक्रमों में स्त्रियों की हैसियत पर प्रभावों के सम्बध में सर्वेक्षण या केस अध्ययन करना।

(7) अन्य ऐसे उपायों का सुझाव देना जिनसे राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियाँ पूरा और उचित भाग ले सकें।

मैसूर सरकार की ओर से गेहूं के अतिरिक्त कोटे के लिए अनुरोध

2896. श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र से राज्य के कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति मास 30,000 टन अतिरिक्त गेहूं भेजने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेव पी० शिन्दे) :

(क) और (ख) : मैसूर सरकार ने नवम्बर के लिए आवंटित 25,000 मी० टन गेहूं के अलावा प्रति माह 25,000 मी० टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया था। गेहूं की कुल मांग और सप्लाई स्थिति के अनुसार राज्य सरकार की उचित मांगों को पूरा किया जाएगा।

मिट्टी का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए धन का आवंटन और उन्हें राज्यों को सप्लाई करना

2897. श्री डी० पी० चन्द्र गौडा :

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में मिट्टी का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु 40 लाख रुपयों की मंजूरी दी है :

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को मिट्टी का परिक्षण करने वाली 34 चल प्रयोगशालाओं की सप्लाई करने के लिए भी योजनायें तैयार की थीं : और

(ग) यदि हां, तो, राज्यवार, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) उर्वरक संवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना की अवधि में मिट्टी का परिक्षण करने वाली 70 प्रयोगशालाओं को सुझाव बनाने का प्रस्ताव है । इन प्रयोगशालाओं की मिट्टी परिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिये उपेक्षित अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था करके इन प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाया जाना है । मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने के लिए इन प्रयोगशालाओं को एक जीप भी दी जाएगी । इन 70 प्रयोगशालाओं में से 20 को सुसज्जित किया जायेगा ताकि वे जिन्क, ताम्बा, मैंगनीज आदि सूक्षम, पोषक तत्वों की कमियों के परीक्षण का कार्य शुरू कर सकें । मिट्टी का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को सशक्त करने के सम्बन्ध में राज्यवार व्योरा अनुबन्ध में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3902/72]

चौथी योजनावधि में एक अलग केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 34 चलती-फिरती मृदा परिक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की गई थी जो राज्य सरकारों और संघ शासित राज्यों को अलाट करने के लिये तैयार की गई थी । इन 34 प्रयोगशालाओं मे से 28 राज्य सरकारों को आवंटित की जा चुकी हैं । शेष 6 प्रयोगशालायें तैयार होते ही आवंटित कर दी जायगी । राज्यवार आवंटन अनुवन्ध में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 3902/72]

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 और 1954 का अधिनियम

2898. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता ने सरकार से मांग की है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 और 1954 के अधिनियम को स्पष्टत: परिभाषित करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) जी हां ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों का समय पर संशोधन किया गया है और जब कभी सरकार द्वारा उनमें संशोधन हुआ है उनको संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया है । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में और आवश्यक संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिये मैसूर को वित्तीय सहायता

2899. श्री डी० वी० चन्द्रगौड़ा :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार मैसूर राज्य में लगभग 24 प्रतिशत गांव की सड़क से नहीं जुड़े हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर सरकार ने एक बड़ा ग्रामीण सड़क कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र ने राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) से (ग) : सम्भवतया माननीय सदस्य, मैसूर सरकार के समाकलित और व्यापक ग्रामीण संचार कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं जो कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में शुरू किया गया बताया जाता है । इस कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार ने गांवों की उपगम्यता का सर्वेक्षण किया जिससे ज्ञात हुआ है कि राज्य के आबादी वाले कुल ग्रामों का लगभग 24 प्रतिशत अभी भी किसी सड़क द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है । उन सड़कों के निर्माणार्थ जिन पर रोड़ी या कंकड़ नहीं डाला गया था, कार्यक्रम के पहले चरण के, तीन वर्षों की अवधि में राज्य सरकार द्वारा लगभग 17–18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पूरे करने की योजना है । चूंकि ग्रामीण सड़कें, मुख्यत: राज्य का विषय है और राज्य के क्रिया कलापों के क्षेत्रों में आती है । अतएव मैसूर सरकार उपर्युक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन से मुख्यत: सम्बन्धित है ।

नगरीय जनसंख्या

2900. श्री राजदेव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस से सिद्ध होता है कि रोजगार की तलाश में नवयुवक नगरों में चले आते हैं; और उन के परिवार ग्रामों में रह जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्क) :

(क) 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 10 करोड़ 91 लाख है ।

(ख) जी हां। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्रमश: 51.3 और 53.8 है।

(ग) देहातों से शहरों में स्थानांतरण के आंकड़े तथा स्थानांतरण का प्रयोजन अभी उपलब्ध नहीं है।

पांचवी योजना के दौरान गांवों में सड़कों के लिये प्राथमिकता

2901. श्री राजदेव सिंह :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1000 तथा उससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से मिलाने के लिये सरकार पांचवीं योजना में सड़क निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता देगी,

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विभिन्न राज्य सड़क निर्माण निधियों की अधिकांश राशि अन्य कार्यों तथा महानगरों तथा बड़े शहरों को मिलाने वाली सड़कें बनाने पर खर्च कर रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण सड़क निधि निर्धारित करना बांछनीय समझती है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) से (ग) : ग्रामीण सड़कें मुख्य रूप से राज्य के क्रियाकलापों के क्षेत्र में आती हैं और किसी विशेष आकार के ग्रामों तक पक्के मार्गों द्वारा पहुंच की व्यवस्था करने का प्रश्न पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आकार और क्षेत्र के अन्तिम निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है, जोकि इस समय तैयार की जा रही है। परन्तु जैसा कि योजना आयोग के प्रलेख पांचवीं पंचवर्षीय योजना के उपागम की ओर में बताया गया है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सड़कों को काफी प्राथमिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सड़कों के लिये राज्य योजना आवंटन की कम से कम 25 प्रतिशत के समान राशि की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है। ग्रामीण सड़कों पर समस्त व्यय इसी आधार पर किया जा रहा है।

भारतीय डैरी निगम बड़ौदा के माध्यम से विदेशी पशुओं का आयात

2902: श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

श्री एन० रामचन्द्रन कडनापली :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ौदा स्थित भारतीय डैरी कारपोरेशन के द्वारा विदेशी पशुओं का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना की अवधि में अनुमानित कितने पशुओं का आयात करना है और उस में से कितने देश में पहुंच गये हैं ;

(ग) जर्सी नस्ल के 22 सांड और फ्रीसियन नस्ल के दो सांड देने के लिये केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि नही, तो क्या केरल राज्य के बार-बार अनुरोधों को देखते हुए उसे जर्सी नस्ल के और अधिक ओसरों को देने हेतु अस्थायी निर्णय पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली बार भारतीय डैरी निगम के माध्यम से 744 पशुओं का आयात किया जा रहा है । आशा है कि ये पशु मार्च 1973 या उसके बाद शीघ्र ही भारत पहुंच जाएंगे । आगामी वित्तीय वर्ष के आयात कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है ।

(ग) और (घ) :

भारतीय डेरी निगम के माध्यम से आयात किये जाने वाले 744 विदेशी पशुओं में से 24 पशु (4 जर्सी सांड़ तथा 20 जर्सी ओसर) केरल सरकार को देने का निश्चय किया गया है।

पांचवी योजना के दौरान मैसूर में तम्बाकू की खेती के लिए भूमि

2903. **श्री पम्पन गौडा :**

श्री धर्मराव अपजलपुरकर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में इस समय कितनी हैक्टेयर भूमि में तम्बाकू उगाया जाता है; और

(ख) क्या मैसूर सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक भूमि में तम्बाकू की काश्त का प्रस्ताव किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) मैसूर राज्य में 1971–72 में 39,600 हैक्टेयर भूमि में तम्बाकू उगाया गया था ।

(ख) पांचवीं योजना के लिये मैसूर सरकार के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

सेन्ट जार्ज हास्पिटल, बम्बई में दूषित जल को पीकर पीलिया रोग होना

2904. **श्री पम्पन गौडा :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सैंटजार्ज अस्पताल में कार्य करने वाले बहुत से कर्मचारियों को, जिन में डाक्टर और नर्सें भी शामिल हैं, अस्पताल के टैंक का दूषित जल पी कर पीलिया रोग हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री ए० के० किस्क):

(क) जी हां ।

(ख) सूचना मिली है कि सितम्बर 1972 में 13 डाक्टरों, 70 नर्सों, 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अन्य 5 व्यक्तियों को संक्रमी यकृत-शोथ हो गया था । अब इस संक्रमण पर पूर्णत: काबू पा लिया गया है । पीलिये के आखिरी मरीज़ को 19–11–72 को छुट्टी दे दी गई ।

कानपुर में औद्योगिक आवास योजना

2905. श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3000 रक्षा कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कब्जे को, जिन्होंने कानपुर में विभिन्न मजदूर बस्तियों में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकानों पर कब्जा कर रखा है, नियमित बनाने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकार को इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं कि वह केन्द्रीय सरकार के इन कर्मचारियों से मकान खाली न करायें अथवा उनसे क्षति का मुआवजा न वसूल करें ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) तथा (ख)

राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । उन्होंने सूचित किया है कि शीघ्र निर्णय लेने के लिये वे सभी प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ग) राज्य सरकार को पहले ही यह सलाह दी जा चुकी है कि अन्तिम निर्णय होने तक वर्तमान दखलकारों को उनके मकानों से न हटाया जाए अथवा उनसे दण्डात्मक प्रभारों की वसूली न की जाए ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी का वितरण अपने अधिकार में लेना

2906. श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सम्पूर्ण चीनी के वितरण को सरकार द्वारा अपने अधिकार लेने के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) चीनी की आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति, जिसको चीनी के उत्पादन में दीर्घ–कालिक आधार पर वृद्धि करने के हित में बनाया गया है, फिलहाल सरकार द्वारा चीनी के समूचे वितरण को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती है ।

महानगरों में गंदी बस्तियां हटाने के लिए योजनाकारों का दौरा

2907. श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, दिल्ली और कानपुर, महानगरों में गंदी बस्तियां हटाने के लिये नगर योजनाकारों का एक दल योजना बनाने के लिये वहां भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दक्षित) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बारे में समिति का प्रतिवेदन

2908. श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दिवंगत डा० विनोद एच० शाह की आत्महत्या के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):

(क) सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश डा० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई थी । इसे अन्य बातों के साथ-साथ डा० वी० एच० शाह द्वारा आत्महत्या करने से पहले उनके द्वारा अपने पत्र में लिखी गयी बातों और घटनाओं की जांच-पड़ताल का काम सौंपा गया था । इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) यह सम्भावना है कि रिपोर्ट 1972 के अन्त तक या 1973 के आरम्भ में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मंत्रियों के बंगलों पर व्यय

2909. श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार, प्रत्येक केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के आवासीय बंगलों को सुसज्जित, पुन:सुसज्जित तथा उन की देखरेख करने पर कितना वार्षिक व्यय आया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अमरीकी संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता

2910. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अमरीकी संस्थान और प्रतिष्ठान ने गत तीन वर्षों में भारत में प्रत्येक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान को उद्देश्यवार कुल कितनी सहायता दी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने अमरीकी प्रोफेसरों और प्राध्यापकों ने भारत में शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया था ; और

(ग) क्या इन प्रोफेसरों और प्राध्यापकों ने उन संस्थानों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के समक्ष भाषण दिये थे, जहां कि इन्होंने दौरा किया था, यदि हां, तो उन्होंने किन विषयों पर भाषण दिये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हरित क्रांति में छिपा खतरा

2911. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका की नेशनल एकेडेमी आफ सांइस में हाल में प्रकाशित उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह चेतावनी दी गई है कि "हरित क्रांति की सफलता में खतरा छिपा है " और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां । इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट समाचार के रूप में एक स्थानीय दैनिक पत्र में प्रकाशित हुई है ।

(ख) कृषि विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि किसी क्षेत्र में अनेक प्रकार की किस्में उगाने के बजाय यदि समान अनुवंशिकी तथा एक ही किस्म को एक संहत क्षेत्र में उगाया जाये तो उस समस्त क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की महामारी या कीटों के फैलने का अधिक खतरा रहता है । विभिन्न अनुवंशिकी की तथा विभिन्न किस्में अपनाने से किसी एक ही प्रकार की महामारी का खतरा कम हो जाता है । इस पहलू की ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ध्यान दे रही है और वैकल्पिक अधिक उत्पादनशील किस्मों का विकास करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि किसी विस्तृत संहत क्षेत्र में कोई एक ही किस्म न उगाई जाये ।

25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्वतंत्रता के रजत ज्यन्ती वर्ष में सरकारी आवास का आवंटन

2912. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 8 मई, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं और जिनके पास सरकारी आवास नहीं है, स्वतंत्रता के रजत जयन्ती समारोह के रूप में सरकारी आवास देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये बड़ी संख्या में सैक्टर 12 आर० के० पुरम में बनाये गये टाइप चार के क्वार्टरों तथा गोल मार्किट, नई दिल्ली म बनाये गये टाइप तीन के क्वार्टरों का तुरन्त आवंटन के न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकरदीक्षित) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) सेक्टर XII, आर० के० पुरम में पूरे हो चुके टाइप IV के 96 क्वार्टरों को कार्य-प्रणाली के अनुसार आवंटित किया जा रहा है । गोल मार्किट के समीप पूरे हो चुके टाइप III के 64 क्वार्टरों को बिक्री द्वारा विलिंगडन हस्पताल को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को खपाना

2913. श्री चन्द्र शेखर सिंह :

श्री झारखण्डे राय :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय अनुशासन योजना का विकेन्द्रीकरण करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय विद्यालयों में काम करने वाले प्रशिक्षकों को क्रमश: उन्हीं स्कूलों में खपाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों की अखिल भारतीय वरीयता का उल्लंघन नहीं होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन के 1-7-1972 से बंद हो जाने के कारण तथा अनुदेशात्मक कर्मचारियों को जहां वे सेवा कर रहे हैं थे, उन्हीं राज्यों को सरकारों तथा/अथवा संगठनों को स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप रा० से० यो० के अनुदेशकों को अखिल भारतीय वरिष्ठता को अब कोई वैधता नहीं है ।

खुले बाजार में तथा उचित मल्य की दुकानों में चीनी के मूल्यों में अन्तर के कारण

2914. श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी का मूल्य जो खुले बाजार में गत वर्ष दो रुपये प्रति किलोग्राम से कम था, बढ़कर लगभग चार रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने के क्या कारण हैं जबकि न तो गन्ने का मूल्य दुगुना हुआ है और न बोनस ही दुगुना हुआ है ;

(ख) क्या चीनी को नियंत्रण क्षेत्र में दो रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है और यदि हां, तो चीनी को खुले बाजार में बेचने पर दुगुने मुनाफे की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) चीनी के सारे उत्पादन को अपने नियंत्रण में लेने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार में बिक्री कब तक इस समय के नियंत्रण मूल्यों के बराबर होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि उसके उत्पादन की लागत में वृद्धि के सीधे अनुपात में नहीं होती है लेकिन यह वृद्धि मांग और सप्लाई के संदर्भ में होती है ।

तथापि, इस वृद्धि के लिये जिम्मेदार मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :–

(1) द्रुत शहरीकरण के परिणामस्वरूप चीनी की मांग में वृद्धि होना जबकि पिछले 2 वर्षों में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है ।

(2) गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर आधारित नियंत्रित मूल्य पर चीनी के अधिकांश भाग की मांग, जिससे उद्योग का चीनी के उत्पादन की अपनी वास्तविक लागत के अन्तर को चीनी की खुली बिक्री से पूरा करना ;

(3) कमी की मनोवृति का व्यापारी समुदाय द्वारा नाजायज लाभ उठाना जिसके परिणामस्वरूप बाजार में वृद्धि की प्रवृत्ति पैदा होना ।

(ख) जी हां, इसके अलावा कि दिसम्बर, 1972 से लेवी चीनी का एक सा निर्गम मूल्य 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है । आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के अधीन जिसको अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने, चीनी कारखानों को गन्ने का प्रतिभोगी मूल्य देने में समर्थ बनाने, उनको खुली बिक्री हेतु छोड़ी गई 30 प्रतिशत चीनी से अधिक वसूली द्वारा लेवी चीनी की बिक्री से हुई हानि को पूरा करने हेतु सुविधा देने के लिये बनाया गया है ; भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कारणों के परिणामस्वरूप खुले बाजार में बिकने वाली चीनी अधिक मूल्य पर बेची जाती है ।

(ग) नई नीति के कार्यान्वयन से चीनी के उत्पादन में सुधार होने के फलस्वरूप नियंत्रित और खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों के अन्तर में कमी आएगी ।

वनस्पति के मूल्य को फसल के ढांचे के अनुसार विनियमित करने का प्रस्ताव

2915. **श्री एस० सी० सामन्त :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब गत फसल में उत्पादित मूंगफली एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जा चुकी थी तो व्यापारियों को मौसम के मध्य में अथवा मौसमों के बीच की अवधि में मूंगफली के तेल के मूल्यों में घटाबढ़ी क्यों करने दी जाती है जिसके कारण वनस्पति के मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और उससे उपभोक्ताओं को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वनस्पति के मूल्यों को प्रत्येक वर्ष फसल के ढांचे के अनुसार न कि वर्ष में अनेक बार, निश्चित करना सुनिश्चित करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) वनस्पति के बनाने में प्रयुक्त होने वाले मूंगफली और अन्य वनस्पति तेलों के मूल्य न केवल व्यस्ततम विपणन मौसम के दौरान संगत तिलहनों के बाजार मूल्य से शासित होते हैं बल्कि समय समय पर चल रही मांग और पूर्ति स्थिति, आने वाले वर्ष में फसल की सम्भावनाओं, प्रत्याशित आयात, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, बाजार भावनाओं आदि जैसे अन्य विभिन्न तथ्यों से भी प्रभावित होते हैं ।

(ख) वनस्पति के मूल्यों को अब की अपेक्षा अधिकतर अवधि के लिये स्थिर रखने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है ।

अनाथ बच्चों तथा महिलाओं का पुनर्वास

2916. **श्री के० मालन्ना :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक बच्चों तथा महिलाओं के पुनर्वास के लिये एक नई योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना के प्रथम चरण में कितनी बालकुटी तथा कितने महिला सदन खोलने का विचार है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) से (ग) : निराश्रित बच्चों और स्त्रियों के पुनर्वास के लिये चतुर्थ योजना में दो अलग योजनाएं शामिल कर ली गई हैं । बच्चों के लिये 2 करोड़ रुपए की तथा स्त्रियों के लिये 1 करोड़ रुपये की चतुर्थ योजना व्यवस्था है ;

निराश्रित बच्चों और स्त्रियों के पुनर्वास संबंधी सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये पंचम योजना के लिये अलग प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

खाद्यान्नों के खराब होने के कारण तथा 1972 में उनका निपटारा

2917. श्री के० मालन्ना : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खराब हुए खाद्यान्नों की बहुत बड़ी मात्रा का निपटारा किया गया है यदि हां, तो उनकी मात्रा तथा मूल्य क्या है ;

(ख) खाद्यान्नों के खराब होने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ; और

(ग) खराब खाद्यान्नों को फिर से मानवी उपयोग के प्रयोग में लाने से दूर रखने के लिये क्या निगरानी बरती जाती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनवरी से सितम्बर, 1972 तक की अवधि के दौरान 10,030 मी० टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को मानव उपभोग के अयोग्य घोषित किया गया था और उनका निपटान किया गया था। उनका मूल्य लगाया जा रहा है।

(ख) क्षति के कारण इस प्रकार हैं :–

(1) आयातित खाद्यान्नों के मामले में समुद्री-यात्रा में जहाज के खावों में पानी का जाना ;

(2) देश में अधिप्राप्त खाद्यान्नों का ढुलाई के दौरान बेमौसमी वर्षा का होना; और

(3) किराये के संचयन गोदामों में पानी के रिसने और पानी भरने।

इस क्षति के लिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, अथवा नहीं है, के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को अलग रखा जाता है और पृथक दूर शैडों में रखा जाता है अथवा इन के चट्ठे स्वस्थ खाद्यान्नों से अलग लगाए जाते हैं। फिर इन अनाजों का अधिकारियों की विशेषज्ञ समिति द्वारा श्रेणीकरण किया जाता है और उन की सिफारिशों के अनुसार उनका निपटान किया जाता है। जब उनकी बिक्री पंजीबद्ध प्राइवेट पार्टियों को की जाती है तब यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों और स्थानीय नगर पालिकाओं को अग्रिम सूचना दी जाती है कि ऐसे खाद्यान्नों का मानव उपभोग के लिये दुरुपयोग न हो।

गोष्ठी प्रशिक्षण पर्यवेक्षण और अध्ययन आदि के लिए विदेशों में भेजे गये व्यक्ति

2918. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मंत्रालय (कृषि विभाग) ने गोष्ठियों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, पर्यवेक्षण, अध्ययन दौरे आदि के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये कितने व्यक्ति विदेशों में भेजे ;

(ख) उन पर प्रत्येक अवसर पर पृथक-पृथक कितना कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या विदेशों में गये व्यक्तियों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो क्या इन दौरों के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों तथा ज्ञान के संक्षिप्त विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : चालू वर्ष 1972–73 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक कुल 236 व्यक्ति विदेशों में भेजे गए जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी०–3903/72]।

(ग) विदेशों में लोगों को बिलकुल अलग-अलग क्षेत्रों में और विभिन्न प्रयोजनों के लिये भेजा जाता है। प्रशिक्षण या अध्ययन के लिये भेजे जाने वाले व्यक्ति लौटने के बाद प्राप्त अनुभवों तथा ज्ञान के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देते हैं।

अधिकांश व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ऋण के सम्बन्ध में बातचीत करने विश्व खाद्य कार्यक्रम सम्बन्धी अन्त-सहकारी समिति की बैठकों में भाग लेने या विदेशीय अथवा बहुदेशीय करारों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में तकनीकी और आर्थिक सहयोग के बारे में विचार विमर्श करने के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा या इसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा (प्राय: ऐसी संस्थाओं के खर्च पर) आयोजित तकनीकि या सामान्य सम्मेलनों, सभाओं, गोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिये भेजा गया। इनका व्यय प्राय : इन्हीं संस्थाओं द्वारा वहन किया गया इन व्यक्तियों ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में भाग लिया।

राकफैलर फाउन्डेशन, फोर्ड फाउन्डेशन, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, डेनिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, स्टैंडिंग अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु-ऊर्जा एजेन्सी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि के अनुदान से कुछ व्यक्तियों को शिक्षण के लिये या मुद्रा परीक्षण, भूमि सुधार, वनस्पति रक्षण, फसल अनुवंशिकी, मीन उद्योग, वन विभाग पशुपालन आदि जैसे कृषि विकास के विशेष क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिये विदेशों में भेजा गया। इन व्यक्तियों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कृषि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई तकनीकियों के बारे में इन लोगों को काफी अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो गया है। इन का यह ज्ञान उन परियोजनाओं के लिये लाभदायक सिद्ध हुआ है जिनमें वे लगे हुए हैं।

महाराष्ट्र के आदिवासियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करना

2919. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के आदिवासियों की जनसंख्या में गत दस वर्षों में 60 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और इस प्रकार उन्होंने जनसंख्या में वृद्धि का विश्व भर में रिकार्ड स्थापित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के आदिवासियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम और अधिक जोरदार ढंग से लागू करने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं । 1961–71 के दशक में महाराष्ट्र में अनुसूचित जन जातियों की वृद्धि दर केवल 23.24 प्रतिशत बैठती है जो कि इस अवधि में 24.80 प्रतिशत की अखिल भारतीय औसत वृद्धि-दर से कम है ।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता । तथापि, जन्म दर पर नियंत्रण रखने के लिए देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति की गति तेज करने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं । ये संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

विवरण

परिवोर नियोजन कार्यक्रम से और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों को तेज करने के लिए उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं ।

1. वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित आधारभूत ढांचा पूरा-पूरा काम करने लगे, इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं :–

2. प्रसवोत्तर कार्यक्रम और सघन जिला कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । महिला नसबन्दी और निरोध जैसी विधियों को जिन को लोग अधिक मात्रा में अपना रहे ह, सभी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

3. जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य कार्यक्रम का सभी स्तरों पर एकीकरण किया जा रहा है । बच्चों की तन्दरुस्ती के लिये रोगमुक्ति और रोग बचाऊ योजनाओं आदि को बढ़ाया जा रहा है ।

4. प्रेरणा देने की एक नई कार्य नीति, जिस में नये नारे भी शामिल हैं, तैयार कर ली गई है जिस का उद्देश्य बच्चे की तन्दरुस्ती और बच्चे के कल्याण को देखना है और अलग-अलग लोगों और विशेष वर्गों की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

5. सुधरी गर्भनिरोधी तकनीक, जिस में स्वदेशी विधियां और उपाय भी शामिल हैं, तैयार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है ।

6. महाराष्ट्र सहित जहां इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है, राज्यों में परिवार नियोजन के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

7. अधिक अच्छे चयन, सुधरी हुई अनुवर्ती देखभाल द्वारा और इन विधियों के संबंध में लोगों में व्याप्त भय और संशयों को दूर करके, गर्भाशयी गर्भनिरोधक और नसबन्दी सेवाओं को सुधारा जा रहा है ।

8. बड़े पैमाने पर वृहद् नसबन्दी शिविरों के द्वारा इस कार्य को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है ।

9. परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये अधिक गहन और सुधरे हुए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है ।

10. उन दम्पत्तियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जो परिवार नियोजन की विधियों को मानते तो हैं परन्तु उनको अभी तक अपनाया नहीं है ।

यौन विज्ञान तथा परिवार नियोजन विषयों को स्कूलों में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना

2920. श्री के० मालन्ना :

श्री हरी सिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि एम० जी० साइंस इन्स्टीट्यूट को दिया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं न देकर वस्तुगत सुविधाओं में लगा दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद स्थित एम० जी० साइंस इन्सटीट्यट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

2921. श्री वेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि एम० जी० साइंस इंस्टीट्यूट को दिया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान शिक्षा संबंधी सुविधाएं न देकर वस्तुगत सुविधाओं में लगा दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में से किसी को भी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त 'रिगों' का वितरण

2922. श्री वेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त राज्यवार कितने-कितने 'रिग' दिये गये हैं ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से अगले वर्ष के दौरान कितने 'रिग' तथा दूसरे उपकरण प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों को उन का किस प्रकार वितरण किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) 1972-73 में जिन 45 रिगों के उपलब्ध होने की आशा थी, उनमें से अभी तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से 24 रिग प्राप्त हुए हैं और उन्हें निम्नलिखित राज्यों को बांट दिया गया है:—

1. आन्ध्रप्रदेश	9
2. गुजरात	4
3. मध्य प्रदेश	3
4. महाराष्ट्र	6
5. तमिलनाडु	2
योग :	24

(ख) 1973–74 में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से मिलने वाले रिगों की ठीक-ठीक संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है।

(ग) 1973–74 में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से मिलने वाले रिगों की ठीक-ठीक संख्या मालूम हो जाने पर ही यह निर्णय लिया जायेगा कि विभिन्न राज्यों को कितने कितने रिग दिये जाएं।

"लिप्पी का लूप"

2923. **श्री रामभगत पस्वान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतया दिल्ली तथा उस के आस पास के क्षेत्र में लिप्पी का लूप लोकप्रिय नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों से लिप्पी का लूप पहनाने में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पिछले तीन वर्षों में लिप्पी का लूप पहनने वाली महिलाओं की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	गर्भाशयी गर्भनिरोधक पहनाना
1969–70	458726
1970–71	475669
1971–72	480816

दिल्ली में 1971–72 में गर्भाशयी गर्भनिरोधक को अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में थोड़ी कमी आई थी परन्तु यह अधिक उल्लेखनीय नहीं है।

(ख) गर्भाशयी गर्भनिरोधक के कार्यक्रम को रोगियों पर पड़ने वाले गौण प्रभावों और अपर्याप्त रूप से अनुवर्ती देखभाल के कारण कुछ हानि हुई थी। इस कार्यक्रम में अच्छे मामलों के चयन और अच्छी अनुवर्ती देखभाल के कारण सुधार हो रहा है।

विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के स्तर में असमानता

2924. **श्री एस० एम० सिद्धया :**

चौधरी राम प्रकाश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से बी० एस० सी० (कृषि) में पास होने के लिये कुल औसत ग्रेड अंक 4.00 में से 2.25 हैं जब कि देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में यह अंक 2.25 से कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी विश्वविद्यालयों के स्तर में समानता लाने का है ताकि सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों से समान व्यवहार हो सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय है और यह एकदम शिक्षा सम्बन्धी मामला है। अत: पास होने के लिये निम्नतम ग्रेड आदि निर्धारित करने के विषय में विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद के कार्यों में सरकार कोई दखल नहीं देना चाहती है। फिर भी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,बंगलौर का ध्यान माननीय सदस्य द्वारा दिये गए सुझाव की ओर आकर्षित किया जा रहा है।

POSTS LYING VACANT IN D.T.C.

2925. Shri M.C. DAGA :

Shri K. Kodanda Rami Reddy :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the post of Chairman and four other important posts of Delhi Transport Corporation are still lying vacant;

(b) if so, since when and the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government in the event of non-availability of capabl e and hard working persons for filling up these posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) :

(a) to (c) : The post of Chairman Delhi Transport Corporation fell vacant on the deaths of Dr. A. N. Jha, Lt. Governor, Delhi on the 19th January, 1972. A notification appointing the present Lt. Governor, Delhi (Shri Balaswar Prasad) as Chairman of the Corporation was issued on 1-12-1972.

The post of Additional General Manager in the Corporation has been lying vacant since the 6th October, 1971. Efforts were made to fill up the post by appointing a suitable person. A few officers of the other State Transport Organisations were considered for appointment on deputation basis but they declined to join for one reason or the other.

The post of Controller of Stores and Purchase was advertised and the names of some suitable persons were placed before the Corporation. The Corporation, however, decided to review the recruitment rules for the post of the Controller of Stores and Purchase, and other posts in the hierarchy. The recruitment rules for the post of Controller of Stores and Purchase have been finalised recently. Meanwhile the work of the Controller of Stores and Purchase has been temporarily distributed between the two Deputy General Managers.

The Delhi Transport Corporation is taking necessary steps to locate suitable persons for appointment to the posts of Additional General Manager and Controller of Stores and Purchase.

MINERALS EXPORTED FROM MORMUGAO PORT

2926. Shri M.C. Daga :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether many minerals are being exported from Mormugao Port in Goa, if so, the names thereof;

(b) the value and quantity (in tonnes) of the minerals exported last year from the port, item-wise;

(c) whether minerals in greater quantity and of more value can be exported from Goa if the Mormugao Port is developed or a new port is built in Goa; and

(d) if so, whether Government intend to build a new port in Goa, and if so, by what time ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) :

(a) and (b) The quantities and value of the minerals exported during 1971-72 from the Mormugao Port are indicated below—

Name of Mineral	Quantity (in lakhs of tonnes).	Value (Rupees in crores)
(i) Iron Ore (including Pellets)	105·80	43·74
(ii) Manganese Ore	5·75	4·395
(iii) Bauxite	0·06	Not available.

(c) and (d) : In order to deal with larger traffic, a mechanical ore loading plant along a new berth is being erected to handle upto 12 million tonnes. Further augmentation and capacity will depend on availability of traffic.

NON-VIOLENT AGITATION FOR BAN ON COW SLAUGHTER

2927. Shri M.C. Daga :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item under the caption "If ban on cow slaughter is not imposed, resolve to wage non-violent agitation again" published in the daily 'Hindustan' dated the 8th November, 1972; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) :

(a) Yes.

(b) The Government of India have appointed a Committee on Cow Protection to go, inter alia, into all the aspects of the question of imposing a total ban on the slaughter of cow and its progeny. The Committee has recently been reorganised and is required to give its report by 31-3-1973.

The Government will give urgent consideration to the recommendations of the Committee as soon as the report is received.

REHABILITATION OF PROSTITUTES

2928. Shri M. C. Daga :

Shri M. S. Sivasamy

Will the Minister of **Eduction and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Governments attention has been drawn to the article "Rehabilitation of prostitutes a challenging problem" published on page 3 of the english daily "The Hindustan Times" dated the 8th November, 1972 and if so, the reaction of Government thereto;

(b) whether prostitution is on the increase and if so, the steps being taken by Government to check this;

(c) the expenditure incurred by Government on the abolition of prostitution during last year; and

(d) whether not only prostitutes but destitute women also are kept in Nari Niketans and if so, whether it is proper and if so, how?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) to (c) Yes, Sir. Governments attention has been drawn to the article. Prostitution is a problem largely caused by socio-economic factors. Measures for its abolition have necessarily to be multi-focal. Various economic, educational and social programmes in different sectors directly or indirectly aim at this end. It is not possible to isolate them and indicate the proportionate expenditure. No All-India survey has been made. Besides, it is also not easy to identify precisely the exact dimension of the problem. Although Social Defence is a State subject, the Union Government have been giving financial support for voluntary effort towards preventive and rehabilitative services in view of the complexity of the problem. Legislative measures for the suppression of immoral traffic in women and girls are also in force.

(d) Destitute and rescued women are generally not kept in the same Home. This happens only when there is shortage of accommodation for destitute women in institutions specifically meant for them like widows' home, poor home.

घाटे पर चल रहे सरकारी कृषि फार्म

2929. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सरकारी कृषि फर्में निरन्तर घाटे पर चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और कौन-कौन से और किस-किस राज्य में तथा इन फार्मों को किफायती तथा लाभप्रद बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970–71 के परीक्षित लेखा के अनुसार भारतीय राज्य फार्म निगम लि० द्वारा सूरतगढ़ (राजस्थान), जैतसर (राजस्थान), झारसूगुडा (उड़ीसा), रायचुर (मैसूर), हिसार (हरियाणा), कन्नानोर (केरल) तथा लाढ़ोवल (पंजाब) में 7 फार्म चलाये जा रहे थे। इसमें मिज़ोरम के फार्म सम्मिलित नहीं हैं जिनमें निगम केवल विकास सम्बन्धी कार्य ही कर रहा है। इन सात फार्मों में से, जैतसर (राजस्थान) झारसूगुडा (उड़ीसा) और कन्नानोर (केरल) स्थित तीन फार्मों में वित्तीय दृष्टि से घाटा रहा है। 1970-71 कन्नानोर फार्म के लिये लेखे का प्रथम वर्ष था जब कि जैतसर और झारसूगुडा फार्मों के लिये यह लेखे का क्रमश: 7वां और तीसरा वर्ष था। इस प्रकार केवल जैतसर और झारसूगुडा स्थित दोनों फार्म ही लगातार घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) जैतसर फार्म का घाटा मुख्य रूप से अपर्याप्त और अनियमित सिंचाई के कारण हुआ है। निगम के विशेषज्ञों की एक समिति ने जैतसर फार्म में होने वाले घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये सितम्बर और अक्तूबर 1971 में विस्तृत रूप से जांच की थी। इस समिति ने घाटे को कम करने के लिये आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने के विषय में सिफारिश करनी थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक उपाय किये गये थे और आशा है 1971-72 के लेखे के वर्ष की समाप्ति पर फार्म को कुछ लाभ होगा। झारसूगुडा में कृषि-कार्य रुक जाने के कारण घाटा हुआ था क्योंकि ग्राम-वासियों ने, जिन्हें राज्य सरकार से कुछ शिकायत थी, राजनैतिक आन्दोलन कर रखा था। फार्म के लिए तुरन्त उपयुक्त स्थान तलाश करने के प्रश्न पर राज्य के अधिकारियों से बात-चीत चल रही है। आशा है पूर्णरूप से विकसित होने पर कन्नानौर फार्म को लाभ होगा।

शिक्षा को स्वतन्त्र बनाने के लिए सर्वोदय नेता की अपील

2930. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय नेता आचार्य विनोबा भावे ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि देश में शिक्षा को न्यायपालिका के समान स्वतन्त्र बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार आचार्य विनोबा भावे ने प्रारम्भ धाम आश्रम पवनार में अपने शिक्षा-संबंधी विचारों को सुनने के लिए एकत्रित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन

के प्रतिनिधि मण्डलों के सामने बोलते हुए कहा कि शिक्षा, न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र होनी चाहिए ।

(ख) सरकार शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करती है । परन्तु वह शिक्षा के अवसरों में समानता या समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने अथवा लोगों के वैयक्तिक अधिकार के रूप में शिक्षा की व्यवस्था करने तथा इसे ऐसे ढंग से विकसित करने के दायित्व को अस्वीकार नहीं कर सकती जिस से स्वतंत्रता, न्याय, समानता तथा वैयक्तिक प्रतिष्ठा पर आधारित प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी समाज के निर्माण में सहायता मिले ।

दक्षिणी जोन में एफ० सी० आई० के अधिकारियों के कर्त्तव्य

2931. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एफ० सी० आई० के दक्षिणी जोन में अधिकारियों के कर्त्तव्यों का एफ० सी० आई० के मैनुअल विनियमों के अनुसार आवंटन नहीं किया जाता है और इसलिए इस जोन में कुप्रबन्ध व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम के दक्षिणी जोन में स्टाफ को मौजूदा विनियमों के अनुसार कर्त्तव्य सौंपे गए हैं, कुप्रबन्ध के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है ।

आन्ध्र प्रदेश में 'मूल्य-सहायता' योजना के अधीन धान की खरीद और नियतन में कदाचार

2932. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में मूल्य सहायता योजना के अधीन धान की खरीद और नियतन में कदाचारों का पता चला है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के कुछ मिल मालिकों ने इस योजना के अधीन खरीदे गए धान से निकले चावल का कुछ भाग अभी देना है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना और इससे भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

गत तीन वर्षों में उत्पादित और प्रत्येक राज्य को उपलब्ध की गई चीनी

2933. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक राज्य को कितनी चीनी उपलब्ध की गई ;

(ख) क्या अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात में चीनी का प्रति व्यक्ति उपयोग अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य को अनुपाततः अधिक चीनी आवंटित करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों (अक्तूबर–सितम्बर) में चीनी का उत्पादन इस प्रकार हुआ था :–

वर्ष	मात्रा लाख मी० टन में
1969–70	42.62
1970–71	37·40
1971–72	31.12

पिछले तीन वर्षों (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान प्रत्येक राज्य को लेवी चीनी की आवंटित की गई मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3904/72] विवरण में दिए गए आंकड़ों में उपर्युक्त वर्षों में खुली बिक्री के लिए नियुक्त की गई मात्रा शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। कुछेक ऐसे भी राज्य हैं जिनकी चीनी की प्रति व्यक्ति खपत गुजरात की अपेक्षा अधिक है। तथापि, जनसंख्या, 1967–68 और 1968–69 में खपत के रुख और चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को युक्तियुक्त आधार पर लेवी चीनी का आवंटन किया जा रहा है।

पब्लिक स्कूलों में पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण

2934. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पब्लिक स्कूलों में पिछड़ी जातियों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के लिए स्थान आरक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक कार्य रूप दिए जाने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) रिहायशी स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत पब्लिक और रिहायशी स्कूलों में कम आय वाले छात्रों को अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित

आदिम जाति के छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत छात्रवृत्तियां आरक्षित की गई हैं। सरकार एक ऐसी योजना चालू करने पर भी विचार कर रही है, जिसके अन्तर्गत उन बच्चों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये से कम है, मान्यता प्राप्त रिहायशी तथा पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए छात्रवृतियां दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों के लिए भी इस प्रकार का आरक्षण करने का प्रस्ताव है। योजना के ब्यौरे अभी विचाराधीन हैं। नई योजना 1973–74 से कार्यान्वित की जाने की आशा है।

AMOUNT PAID BY F.C.I. FOR TRANSPORTATION OF FOODGRAINS FOR BANGALDESH REFUGEES

2935. SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE:

DR. LAXMINARAIN PANDEYA:

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the amount paid by the Food Corporation of India for the transportation of foodgrains for Bangladesh Refugees during the summer, last year and the names of the parties to which such payments were made ;

(*b*) whether some payments were also made for using foreign vehicles for the purpose ; and

(*c*) if so, the amount thereof and the head under which payments were made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (*a*) to (*c*) : The required factual information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as and when received.

PROPAGATION OF SANSKRIT LANGUAGE

2936. SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE :

SHRI SHIV KUMAR SHASTRI :

Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Members of Parliament had recently presented a memorandum to the Prime Minister regarding the propagation of Sanskrit language;

(b) if so, the main points listed therein;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the steps being taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV):

(a) Yes, Sir.

(b), (c) and (d) A statement is attached.

STATEMENT

A memorandum was submitted to the Prime Minister signed by 120 Members of Parliament regarding setting up of a high-powered Sanskrit Commission for making Sanskrit more and more effective among the masses. Such a Commission was required to be entrusted with the task of (1) working out the essential reforms in the existing Sanskrit institutions, (2) drawing up schemes for popularising Sanskrit, (3) providing a place for Sanskrit in the three language formula, and (4) simplification of Sanskrit language etc.

This matter was considered by the Kendriya Sanskrit Parishad at its meeting held on the 5th October, 1972. The Parishad came to the conclusion that since the Sanskrit Commission appointed by the Government of India in 1956-57 had already submitted its report, and the present efforts should be directed to the implementation of some of the recommendations which are yet to be implemented, there is no need to appoint another commission at this stage.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्लाटों का, नीलामी के अतिरिक्त, आवंटन

2937. श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई योजना तैयार की है जिसके द्वारा दिल्ली में सरकारी अधिकारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्लाटों का, नीलामी के अतिरिक्त, आवंटन किया जायेगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ;

(ख) 2200 रुपये और इससे अधिक पाने वाले अधिकारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मालवीय नगर, मोठ मस्जिद जैसी और अन्य कालोनियों में ऐसे कितने प्लाट आवंटित किए गए ;

(ग) क्या ऐसे प्लाट को पाने का हकदार होने से पहले अधिकारी के लिए दिल्ली में ठहरने की कोई अवधि निर्धारित की गई है; यदि हां, तो अवधि क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे अधिकारी कितने हैं और किस मंत्रालय/विभाग से सम्बद्ध हैं जो दिल्ली में 2 वर्षों से अधिक नहीं रहे किन्तु जिन्हें ऐसा आवंटन कर दिया गया था और यह आवंटन करते समय किन-किन बातों पर विचार किया गया था तथा कितनों के नाम प्लाटों की रजिस्ट्री इस बीच की जा चुकी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) से (ग)

जी, नहीं । तथापि सरकारी कर्मचारियों को सहकारी आवास निर्माण समितियों के सदस्य के रूप में प्लाटों का आवंटन किया गया है, किन्तु ऐसे मामलों में प्लाट सहकारी समितियों द्वारा स्वयं काटे गए हैं, तथा इन के ले-आउट सक्षम प्राधिकरणों से अनुमोदित कराए गए ।

MOBILE DISPENSARIES IN VILLAGES HAVING NO MEDICAL FACILITIES

2938. SHRI NATHU RAM AHIRVAR:

SHRI ISHWAR CHAUDHRY :

Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to provide mobile Dispensaries in the villages where no medical facilities exist;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the priority proposed to be given to provide these mobile dispensaries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A.K. KISHKU) :

(a) to (c) There is a scheme to set up Mobile Training-cum-service hospitals in the country which has been launched in 1970. Under this scheme 22 mobile training-cum-service hospitals have been sanctioned so far. Five of these hospitals have been sanctioned as pilot projects, in the Central Sector, one each in the States of Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Uttar Pradesh and the remaining 17, known as 'Chittaranjan Mobile Hospitals' have been sanctioned in connection with the Centenary Celebrations of Deshbandhu C.R. Dass which fell on the 5th November, 1970. Each mobile hospital is attached to a State Medical College and is manned by teachers in medicine, surgery, obstetrics and gynaecology and social and preventive medicine of the medical colleges, in addition to the full time staff sanctioned for the mobile hospital. Students and interns gain first hand experience of rural atmosphere under the close supervision of the teachers.

The mobile hospitals move from one rural point to another camping at each place for about 3 months. It offers not only medical and family planning service but also guidance in preventive and promotive aspects of health. Each mobile hospital provides 50 beds and quarters for the staff and the students in tents.

The Government has, under consideration, a Scheme for setting up mobile hospitals attached to all the medical colleges, in due course.

भारतीय शिक्षा पद्धति में कार्य के अनुभव का समारम्भ तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

2939. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र के एक विशेषज्ञ डा० डीटरिच ब्लैन्डर ने भारतीय शिक्षा पद्धति में कार्य के अनुभव का समारम्भ तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है :

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) डा० डीटरिच ब्लैन्डर ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के स्टाफ के कुछ सदस्यों की सहायता से "कार्य-अनुभव के सिद्धान्त और पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उसके कार्यान्वयन" विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की थी ।

(ख) इस रिपोर्ट में स्कूल पाठयचर्या के अवयव के रूप में कार्य अनुभव की अभिकल्पना और आवश्यकता पर विचार किया गया है तथा इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि कार्य अनुभव को स्कूल स्तर पर ग्रेड और योग्यता के सभी स्तरों पर सभी विद्यार्थियों के अध्यापन अनुभव का भाग बनना होगा । इसमें पहली से आठवीं कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा सुझाई गई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्य-अनुभव के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रुप देते समय रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

खाद्य तथा कृषि संगठन के भारतीय समुद्री मत्स्य आयोग द्वारा हिन्द महासागर में मत्स्य संसाधनों का विकास

2940. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन के भारतीय समुद्री मत्स्य आयोग द्वारा हिन्द महासागर में मत्स्य संसाधनों का विकास करने के लिये अब तक क्या कार्य किया गया है ; और

(ख) आयोग में किन-किन देशों के प्रतिनिधि हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय समुद्री मत्स्य आयोग की स्थापना खाद्य तथा कृषि संगठन के संविधान के अनुच्छेद (VI-I) के अन्तर्गत जून, 1967 में की गई थी । आयोग के उद्देश्य निम्न लिखित हैं :

(i) मत्स्य-विकास तथा संरक्षण के समस्त क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की अभिवृद्धि करना, सहायता करना और उन्हें समन्वित करना

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों के और विशेषतया अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में अधिवृद्धि करना ।

(iii) समुद्री तट से दूर के संसाधनों के प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों को शीघ्र करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध कार्यक्रमों पर विशेष रूप से विचार करना ।

आयोग के कार्य को दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहला चरण जो प्रारम्भिक अवस्था में है सम्भवत: दिसम्बर, 1972 तक पूरा हो जाएगा । भारतीय समुद्री मत्स्य आयोग का मुख्य कार्य हिन्द महासागर के मात्स्य की सर्वेक्षण तथा विकास कार्यक्रम को तैयार करके उसकी अभिवृद्धि करना है । इस कार्य की शुरू की गई अन्य मदें निम्नलिखित हैं :–

(1) टूना और श्रिम्प भण्डारों का मूल्यांकन और प्रबन्ध ।

(2) हिन्द महासागर क्षेत्र से आंकड़े इकट्ठे करने के लिए प्रभावी उपाय निश्चित करना । कार्य की ये दोनों मदें भारतीय प्रशान्त मत्स्य परिषद के सहयोग से शुरू की गई हैं । कार्य करने वाली पार्टियों को मूल्यांकन और प्रबन्ध के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का उत्तरदायित्व सोंपा गया है.।

(ख) महानिदेशक को सदस्य बनने की अपनी इच्छा से सूचित करने वाले सभी सदस्य राष्ट्र और खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्बद्ध सदस्य, इसके सदस्य बन सकते हैं। वर्तमान सदस्य राष्ट्र इस प्रकार हैं आस्ट्रेलिया, बहरीन, लंका, क्यूबा, इथोपिया, फ्रांस, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, ईराक, इज़राईल, जापान, जोर्डन, केन्या, कोरिया, कुवैत, मदगसकार, मलेशिया, मारीशस, नीदरलड, पाकिस्तान, कातार, तन्जानिया, इंगलैन्ड, टूशिलय स्टेटस डव्लैपमेंट कौंसिल, संयुक्त राज्य अमरीका और वियतनाम'।

देसी चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले डाक्टरों की नियुक्ति के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को स्थगित करना

2941. श्री राम सहाय पांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को स्थगित कर दिया है जो कथित रूप से आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के डाक्टरों को नियुक्त करने के लिये तैयार की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या गांवों में लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं देने हेतु कोई वैकल्पिक कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में, उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) से (ग) : चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बनाई गयी स्वास्थ्य योजना के बारे में भिन्न भिन्न विचार थे, अत: 2 नवम्बर, 1972 को राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय किया गया कि इस योजना को फिर से बनाया जाए। तदनुसार योजना को दोबारा तैयार किया जा रहा है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दवाखानों में सेवा स्तर में गिरावट

2942. : **श्री राम सहाय पांडे :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दवाखानों में उपलब्ध सेवा के स्तर में गिरावट की शिकायतें हो रही हैं ;

(ख) क्या वहां आम दवाएं, यहां तक कि नुस्खा-पर्चियां भी अक्सर उपलब्ध नहीं होती जिसके कारण डाक्टरों द्वारा रद्दी और बेकार कागजों पर नुस्खे लिखे जा रहे हैं जो मरीजों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या वे प्रक्रियाएं बन्द करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ताकि राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दवाखानों में मरीजों को उचित सेवा जुटाई जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में उपलब्ध सेवा के स्तर में गिरावट के बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) और (ग) : मरीजों की रोजाना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की फार्मुलरी में उल्लिखित औषधियों में से अधिकांश के स्टाक के केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के औषधालयों में हर समय उपलब्ध रहते हैं। फिर भी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना जैसे इतने बड़े संगठन में इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वहां कभी-कभी कुछेक दवाइयां नहीं मिलती या उनका स्टाक खत्म हो जाता है । आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए छह कैमिस्टों की नियुक्ति कर एक अन्य विकल्प को बड़ी अच्छी व्यवस्था कर ली गई है और इस व्यवस्था के विकास हो जाने की दशा में अर्थात् यदि ये कैमिस्ट कोई औषधि विशेष सप्लाई न कर सकें तो लाभार्थी को उसे खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दे दी जाती है और उस औषधि की कीमत उसे वापस कर दी जाती है ।

कागज की आम कमी होने के कारण भारत सरकार के मुद्रणालय में नुस्खा-पर्चियों की यथा समय छपाई न हो सकी । वैसे, रोगियों को असुविधा न हो, इसलिए मुद्रणालय से कागजों की कतरनें प्राप्त कर ली गई थी और उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य औषधालयों को तब तक पर्चियां लिखने के लिए दे दिया गया था जब तक कि छपी हुई नुस्खा-पर्चियां औषधालयों को नहीं दी जातीं। छपी हुई नुस्खा-पर्चियों की आंशिक सप्लाई केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा सामग्री भण्डारों को भारत सरकार के मुद्रणालय से हाल ही में प्राप्त हुई है । औषधालयों से मांग आने पर उन्हें ये पर्चियां भेजी जा रही हैं ।

भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत

2943. श्री राम सहाय पांडे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत सब से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तो चीनी की खपत बढ़ाने के लिए चीनी को सस्ता करने और इसकी उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उचित पग उठाए गए हैं, लेकिन चीनी के कुल उत्पादन के 66.5 प्रतिशत को देश भर में एक से उचित मूल्य पर घरेलू खपत आदि की आवश्यकताओं के अधिकांश भाग को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

बंबई स्थित भारतीय जहाजरानी निगम के कार्यालय में कम्प्यूटरों की व्यवस्था

2944. श्री राम सहाय पांडे :

श्री दशरथ देव :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम के बम्बई कार्यालय में कम्प्यूटर लगाने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) इससे कार्यकुशलता में कितना सहयोग मिलेगा ; और

(ग) इस बात का ध्यान रखने के लिये कि कर्मचारियों की छंटनी न हो क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । भारतीय नौवहन निगम ने बम्बई में अपने मुख्यालय में एक कम्प्यूटर लगा लिया है तथा उसने पहली अक्तूबर, 1972 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) निगम को यह आशा है कि प्रबंध आंकड़े समय पर उपलब्ध कराने तथा व्यय के कुछ ऐसे मार्गों पर अधिक प्रभावी नियन्त्रण करने हेतु, जिन पर सततः निगाह रखने एवं समय पर सुधारात्मक करने की आवश्यकता पड़ती रहती है, कम्प्यूटर बड़ी सहायता देगा ।

(ग) कम्प्यूटर लगाने के कारण किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जायेगा या छटनी नहीं की जायेगी ।

मानसिक रोगियों की चिकित्सा में सफलता

2945. **श्री राम सहाय पांडे :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक रोगियों की चिकित्सा के मामले में कोई सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां तो, कितने प्रतिशत व्यक्ति रोग मुक्त हुए ; और

(ग) उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान करके समाज में पुनर्वासित करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में, उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) मानसिक रोगियों के निदान चिकित्सा और जांच पड़ताल के आधुनिक बढ़िया तरीकों से अब धारणा बदल गई है और इनके अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

मनोलाक्षणिक (साइकोट्रापिकल) और अवसादकरोधी दवाओं का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करने के फलस्वरूप अब मानसिक रोगियों का इलाज करना सम्भव हो गया है और जहां आवश्यक होता रोगियों के अस्पताल में रहने की अवधि में काफी कमी हुई है।

(ख) मानसिक रोग से मुक्त होने की प्रतिशतता इस रोग की अवधि और इसके प्रकार पर निर्भर है। जिन रोगियों का प्रारम्भिक अवस्था में निदान और इलाज कर लिया जाता है, उनकी रोग मुक्ति की प्रतिशतता बहुत ऊंची है।

(ग) रोग मुक्त व्यक्ति या तो अपने अपने काम धंधे के स्थान पर वापिस जा सकते हैं या आम नागरिकों की तरह अपनी अपनी इच्छानुसार किसी और तरीके से अपनी आजीविका की व्यवस्था कर सकते हैं।

तटीय नौवहन के लिये बीमे का प्रीमियम

2946. **श्री वरके जार्ज :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 नवम्बर, 1971 को हुई राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक में एलप्पी पत्तन पर विदेशी माल तथा तटीय नौवहन के लिये बीमे के प्रीमियम की ऊंची दर के प्रश्न पर विचार किया गया था और इस विषय के संबंध में केरल सरकार ने आवश्यक विवरण केन्द्रीय सरकार को दे दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस संबन्ध में केन्द्र ने क्या निर्णय किये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):

(क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने सूचित किया कि अलंप्पी से कलकत्ता और बंबई के लिये पोत लदान संबंधी तटीय बीमा शुल्क दरें 100 रुपये पर अनुमानित माल के मूल्य के लिये क्रमशः 1.30 रुपये और 0.85 रुपये हैं : अलप्पी में विदेशी पोत लदान के लिये बीमा शुल्क दर 0.25 रुपये है जबकि माल काफी दूरी पर ले जाना होता है। राज्य सरकार चाहती है कि अलेप्पी से जहाजों द्वारा विदेशी माल के लिये प्रभारित दर उक्त दर के समान हो।

महानिर्देशक, नौवहन ने मामला, दरों संबंधी सलाहकार समिति, अखिल भारतीय बीमा संघ, बंबई से उठाया है।

उर्वरकों में आत्म निर्भरता के सम्बन्ध में केन्द्रीय कृषि मंत्री का वक्तव्य

2947. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के सम्बन्ध में देश के 4.5 वर्षों में आत्म निर्भर हो जाने की आशा है जैसा कि 23 सितम्बर, 1972 को चंढीगढ़ में कृषि मंत्री ने कहा बताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975–76 में उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता तथा उपलब्धता क्या होगी ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का विस्तार करने सम्बन्धी परियोजनावार कार्यक्रम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया था। उर्वरकों की आवश्यकताओं और देशीय उत्पादन के कच्चे अनुमानों से प्रतीत होता है कि आगामी चार-पांच वर्षों में उर्वरकों के मामले में देश सम्भवतः निर्भर नहीं हो सकेगा।

(ख) वर्ष 1975–76 की मांग के आँकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। कच्चे अनुमान के अनुसार वर्ष 1975–76 के दौरान देश को 34 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 12 लाख मीटरी टन पी०$_2$ओ०$_5$ और 6.3 लाख मीटरी टन के०$_2$ओ० की आवश्यकता होगी। वर्ष 1975–76 के दौरान देशी उत्पादन से 24.05 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 7.96 लाख मीटरी टन पी०$_2$ओ०$_5$ उपलब्ध होने की सम्भावना है। देश में पोटाश (के०$_2$ओ०) का कोई विशेष उत्पादन नहीं होता है। शेष मांग को सम्भवतः आयात द्वारा पूरा करना पड़ेगा।

(ग) वर्तमान कच्चे अनुमानों के अनुसार चतुर्थ योजना (1973–74) और वर्ष 1975–76 के अन्त तक उत्पादन क्षमता निम्नलिखित होने की सम्भावना है :

(हजार मीटरी टनों में क्षमता)

एकक	1973–74			1975–76		
	एन	$पी_2$	$ओ_5$	एन	$पी_2$	$ओ_5$
I. उत्पादन कर रहे एकक						
1. सिन्दरी	90	—		90	—	
2. नांगल	80	—		80	—	
3. ट्राम्बे	81	36		81	36	
4. गोरखपुर	80	—		80	—	
5. नामरूप	45	—		45	—	
6. रूरकेला	120	—		120	—	
7. एफ सी टी अल्वेई	82	26.5		82	26.5	
8. नैवैली	70	—		70	—	
9. एम एफ एल	164	85		164	85	
10. सरकारी क्षेत्र की कोयले की भट्टियों से गौण-उत्पाद	12	—		12	—	
11. न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स वाराणसी	10	—		10	—	
12. इ आई डी पेरी इन्नौर	16	10.3		16	10.3	
13. कोरोमन्डल फर्टीलाइजर्स	80	73		80	73	
14. जी एस एफ सी	216	50.0		216	50.0	
15. श्रीराम कोटा	110	—		110	—	
16. आई इ एल, कानपुर	200	—		200	—	
17. गैर सरकारी क्षेत्र से गोण उत्पाद	8	—		8	—	
18. सुपर फास्फेट के कारखाने	—	208.0		—	208.0	
19. डी एम सी	—	11.2		—	11.2	

एकक	(हजार मीटरी टनों में क्षमता)					
	1973–74			1975–76		
	एन	$पी_2$	$ओ_5$	एन	$पी_2$	$ओ_5$
II. पूरी की जा रही परियोजनायें						
20. दुर्गापुर	152	–		152	–	
21. कोचीन	152	–		152	–	
22. बरौनी	152	–		152	–	
23. नामरूप II	152	–		152	–	
24. आइ एफ एफ सी ओ (कोओप)	–	–		215	127	
25. तलचैर	–	–		228	–	
26. रामागुडम	–	–		228	–	
27. हल्दिया	–	–		152	75	
28. गोरखपुर (विस्तार)	–	–		54	–	
29. कोचीन (द्वितीय सत्र)	–	–		48	115	
30. जुआरी एग्रो कैमिकल्स गोवा	170	42		170	42	
31. कोटा (विस्तार)	42	–		42	–	
32. मंगलौर	–	–		160	–	
33. तूतीकोरीन	–	–		258	52	
34. सुपरफास्फेट	–	8		–	8	
35. सिन्दरी अभिनवीकरण	–	–		–	156	
36. एफ ए सी टी (विस्तार)	–	10		–	10	
37. सेतरी	–	–		–	90	
कुल	2284	560		3627	1175	

निर्माताओं को दी जाने वाली वसूली की चीनी की कीमत में वृद्धि की मांग

2948. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं को दी जाने वाली वसूली की चीनी की कीमतों में वृद्धि की मांग की जा रही है ;

(ख) क्या वसूली की चीनी की उचित कीमत निश्चित करने के लिए, चीनी के उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मांग के प्रकाश में और उक्त अध्ययन के आधार पर क्या फैसला किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी हां । निर्माताओं से ।

(ख) और (ग) : टैरिफ आयोग ने चीनी के लागत ढांचे की नये सिरे से जांच की है । उनको सिफारिशें प्राप्त होने तक, लेवी-चीनी का निकासी मूल्य गन्ने की बढ़ी हुई लागत, अधिक बोनस और बैंक की उधार दर आदि में वृद्धि सहित निर्माण विषयक लागत में मालूम शुदा बढ़ोत्तरी की व्यवस्था करने के बाद 1969 की उनकी पूर्व रिपोर्ट में सुधारे गए ढांचे में ही निर्धारित किया गया है ।

चीनी पर से उत्पादन शुल्क घटाने के बाद गन्ना उत्पादकों को दिया जा रहा गन्ने का मूल्य

2949. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क में कमी करने के बाद विभिन्न गन्ना-उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को गन्ने के किस मूल्य का आश्वासन दिया गया था और उन्हें वास्तविक में क्या मूल्य दिया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : 28 नवम्बर, 1972 तक जिन 170 फैक्ट्रियों ने उत्पादन प्रारम्भ किया है, उनमें से 103 फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के आधार पर गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य परिसर और फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में दिया गया मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विभिन्न राज्यों में 1972-73 मौसम में फैक्ट्रियों के लिए सरकार द्वारा गन्ने का अधिसूचित न्यूनतम मूल्य परिसर बताने वाला विवरण ।

राज्य	अधिसूचित न्यूनतम मूल्य परिसर ।	गन्ने का वास्तव में दिया गया मूल्य (यथा उपलब्ध)
उत्तर प्रदेश	8.00 से 9.88 तक	11.25 से 12.25 तक
बिहार	8.00 से 9.22 तक	10.00 से 11.25 तक
पंजाब	8.00 से 8.75 तक	12.00 से 12.35 तक
हरियाणा	8.66 से 9.50 तक	12.00
असम	8.56	उ० न०

राज्य	अधिसूचित न्यूनतम मूल्य परिसर ।	गन्ने का वास्तव में दिया गया मुल्य (यथा उपलब्ध)
पश्चिमी बंगाल	8.00	11.00
उड़ीसा	8.00 से 9.32 तक	उ०नं०
मध्य प्रदेश	8.00 से 9.69 तक	उ० नं०
राजस्थान	8.00 से 9.13 तक	10.32
महाराष्ट्र	8.00 से 11.57 तक	*7.50 से 16.20 तक
गुजरात	8.66 से 10.82 तक	*10.00 से 11.00 तक
आन्ध्र प्रदेश	8.47 से 10.54 तक	9.13 से 10.54 तक
तमिलनाडु	8.00 से 9.79 तक	8.00 से 10.29 तक
मैसूर	8.00 से 11.20 तक	*10.00 (अग्रिम) से 13.00 तक
केरल	8.00 से 9.50 तक	9.00 से 9.50 जमा 1.00 ढुलाई उत्पादान के रूप में ।
पांडिचेरी	8.66	8.66

उ०न०—उपलब्ध नहीं ।

*महाराष्ट्र, गुजरात और मैसूर में सहकारी फैक्ट्रियां आम तौर पर सदस्य उत्पादकों को अग्रिम भुगतान करती हैं और गन्ने के अन्तिम मूल्य का भुगतान बहुत बाद में निर्धारित किया जाता है ।

OPENING OF PRIMARY SCHOOLS FOR REMOVAL OF UNEMPLOYMENT AMONG EDUCATED UNEMPLOYED

2950. SHRI PANNA LAL BARUPAL :

Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the manner in which Government propose to spend Rs. 25 crores earmarked in the budget for the removal of unemployment among the educated unemployed ;

(b) whether new Primary Schools are also proposed to be opened under this scheme; and

(c) if so, the number of primary schools proposed to be opened in Rajasthan under the scheme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) :

(a) Under the Scheme of Providing Employment to the Educated Unemployed, a provision of Rs. 30 crores has been made for the year 1972-73. The programmes to be implemented by the State Governments/Union Territories under the Scheme include appointment of primary school teachers, assistant inspectors of schools, work experience teachers, construction of class rooms, distribution of free textbooks and stationery and provision of midday meals.

(b) & (c) The Scheme does not specifically provide for the opening of new schools. However, the State Governments/Union Territories may open new primary schools with the additional teachers and class rooms provided under the scheme. According to the information received from the State Government 1,000 new primary schools are proposed to be opened in Rajasthan during 1972-73 with additional teachers provided under the Scheme.

UNESCO STUDY ON DROP OUT AT PRIMARY SCHOOL STAGE IN INDIA

2951. DR. LAXMINARAIN PANDEYA :

SHRI P. VENKATASUBBAIAH :

Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether only 30 per cent of children, out of those coming under the Primary School going age group attend primary schools in the country ;

(b) whether only 10 per cent of the above mentioned children attend the Secondary Schools ; and

(c) the result of the survey conducted by the UNESCO study team in this regard and the steps taken by Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D.P. YADAV) :

(a) & (b) : According to information available, about 80 per cent of the children in the age-group 6—11 are enrolled, of which, it is estimated, about 80 per cent actually attend daily. In the age-group 14—17, the corresponding figures are 20 per cent and 80 per cent respectively.

(c) The UNESCO Office of Statistics undertook the first of a series of surveys in 1969, with a view to evaluating the combined and separated effects of repetition and drop-out, as factors of educational wastage, and their incidence in the internal efficiency of educational systems.

Two major results appear in this study : (1) there are two quite distinct features of wastage-namely repetition and drop-out-and they sometimes work in very different directions. Separate profile for both repetition and drop-out are thus essential for meaningful system analysis as well as for the evaluation of the cost of wastage-studied in non-monetary terms; (2) the grouping of countries according to wastage patterns is often questionable, as the indicators derived have a concrete meaning when considered within the context of their own educational structure and should be very helpful if used to compare different regions or zones within a country, but would require attention if they had to be used for inter-country comparisons.

The causes of this drop-out are mainly two (i) Economic; and (ii) Educational.

As regards economic causes, it is proposed to introduce a large scale programme of part-time education at the primary stage in the Fifth Five Year Plan. It is also proposed to permit multi-point entry into the school system.

As regards educational causes, proposals are now being formulated to improve the quality of education and to make it attractive to children.

NON-SUPPLY OF SUJI AND MAIDA AT RATION SHOPS, DELHI

2953. SHRI ISHWAR CHAUDHARY:

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether suji and maida are not being supplied in the Ration Shops at Delhi but these commodities are available in open market at higher prices ; and

(b) the concrete steps being taken by Government to make suji and maida available to the public at low prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) :

(a) & (b) : Control for channelized distribution of wheat products (wholemeal atta, maida and suji) through public distribution system in Delhi has since been taken over by the Delhi Administration and supply is made to the card holders on Food Cards and to consumers Establishments/institutions on permits.

मान्यता प्राप्त कलाकारों को जीवन पर्यन्त पेंशन

2954. श्री झारखण्डे राय :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मान्यता-प्राप्त कलाकारों को जीवन पर्यन्त पेंशन देने की कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) और (ख) : (1) सीनियर और जूनियर अधिछात्रवृत्तियां और (2) प्रदर्शन साहित्यिक और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को अथवा उनके परिवारों को पेंशन देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित योजना के ब्योरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

तथापि, उन व्यक्तियों को, जिन्होंने कला और साहित्य में योगदान दिया है, किन्तु अब विपन्नावस्था में हैं और लेखकों तथा कलाकारों के उन आश्रितों को, जिनके लिये वे कोई व्यवस्था नहीं कर जाते, वित्तीय सहायता नामक योजना 1952–53 से लागू है । इस योजना के अधीन, लगभग 1200 लेखक और कलाकार अथवा उनके आश्रित, केन्द्रीय सरकार से या तो शत प्रतिशत आधार पर अथवा राज्य सरकारों के साथ भागीदारी के आधार पर पेंशन प्राप्त करते हैं ।

बाजरा उत्पादन में अभूत पूर्व सफलता

2955. श्री झारखण्डे राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाजरा उत्पादन में अभूतपूर्व सफलता मिलने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह आशा कैसे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) हाल के वर्षों में बाजरा की खेती करने वाले मुख्य राज्यों में संकर बाजरा की खेती म लगातार वृद्धि हुई है । संकर बाजरा की खेती को बड़े पैमाने पर अपनाये जाने के फलस्वरूप उसके क्षेत्र और उत्पादन दोनों ही में वृद्धि हो रही है । हाल ही में विकसित संकर बाजरा की अच्छी किस्मों को प्रयोग में लाकर आने वाले वर्षों में बाजरा के उत्पादन में और अधिक वृद्धि की संभावना है ।

व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये योजना

2956. श्री वाई ईश्वर रेड्डी :

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास, तिलहन, जूट, गन्ना तथा तम्बाकू जैसी व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि में योगदान देने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने कपास, तिलहन, जूट तथा तम्बाकू सहित विभिन्न वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कई योजनायें तैयार करके उन्हें प्रारम्भ किया है। चौथी योजना में गन्नों के विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना सम्मिलित नहीं की गई है। तथापि, चुकन्दर के विकास की स्कीम, योजना का एक अंश है। एक विवरण जिस में स्कीमों के नाम तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में उनकी अनुमानित लागत दी गई है, संलग्न है।

विवरण

(दस लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	चौथी योजना के दौरान अनुमानित लागत
	कपास (योजना)	
1	कपास का अधिकतम उत्पादन	196.40
2	सी आईलैंड काटन का विकास	
3	सघन कपास जिला कार्यक्रम	
4	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहकारी कताई मिलों के आस-पास के क्षेत्रों में कपास का अधिकतम उत्पादन	
5	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में कपास के न्यूक्लियस तथा आधार बीजों का उत्पादन	
	(गैर योजना)	
1	संकर-4 कपास के बीजों का उत्पादन	20.89
2	कपास के बीजों के वर्धन के कार्यक्रम को सशक्त बनाना	
	जूट तथा मेस्ता (योजना)	
1	जूट का विशेष पैकेज कार्यक्रम	99.20
2	मेसता का विशेष पैकेज कार्यक्रम	
3	जूट तथा मेस्ता पर यूरिया का हवाई छिड़काव	
4	राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से जूट के प्रमाणित बीजों का उत्पादन	
5	क्वालिटी सुधार	
6	जूट तथा मेस्ता के सम्बन्ध में समन्वेषी परीक्षणों की मार्गदर्शी परियोजना	
7	सघन जूट जिला कार्यक्रम	

तिलहन (योजना)

मूंगफली का अधिकतम उत्पादन तोरिया के बीजों, सरसों, एरण्ड, सोयाबीन तथा सूरजमुखी का विकास तथा रामतिल, सोयाबीन, तोरिया के बीजों, सरसों तथा सूरजमुखी के सम्बन्ध में प्रदर्शन ।	60.70

चुकंदर (योजना)

चुकंदर का विकास	0.50

तम्बाकू (योजना)

1 वी० एफ० सी० तम्बाकू का विकास 2 रैपर तम्बाकू का विकास	14.00
योग	391.69

खरीफ फसल के उत्पादन में कमी

2957. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष में खरीफ फसल का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में कम होगा ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में अनुमानत: कितनी कमी होगी और

(ग) उक्त कमी के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : चालू वर्ष में कम और अनियमित वर्षों का कई राज्यों में खरीफ फसलों पर असर पड़ा है । जुलाई, 1972 में सूखे के कारण खरीफ फसलों की काफी क्षति होने की आशंका थी । लेकिन उसके बाद व्यापक वर्षा से कई राज्यों में फसलों की स्थिति में सुधार हुआ है । तथापि इस वर्ष खरीफ की कुल पैदावार पिछले वर्ष से कम होने की संभावना है । अभी 1972–73 में खरीफ की कुल पैदावार या उसमें होने वाली कमी का ठीक ठीक अनुमान लगा सकना संभव नहीं है ।

केरल में गहन कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रों में मिट्टी के सर्वेक्षण की योजना :

2958. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केरल राज्य के लिए गहन-कृषि विकास परियोजना क्षेत्रों में मिट्टी का सर्वेक्षण योजना अब भी भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि सर्वेक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना सघन कृषि जिला कार्यक्रम के केवल पांच नए जिलों अर्थात् लुधियाना (पंजाब), पश्चिम गोदावरी (आंन्ध्र प्रदेश), साम्बलपुर (उड़ीसा) रायपुर (मध्य प्रदेश) और थन्जाबूर (तमिल नाडु) के लिए मंजूर की गई थी। इसलिए केरल राज्य के सघन कृषि जिले को उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका।

पिछले 6 महीनों में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठाया गया घाटा

2959. श्री एम० एम० जोजफ :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम प्रतिमास भारी घाटा उठा रहा है,

(ख) क्या निगम ऊंची दरों पर बसें किराये पर ले रहा है और इस प्रकार उपक्रम को हानि पहुंचा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो गत 6 महीनों में प्रति मास कितना घाटा उठाया गया ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान निगम को हुए निवल घाटे के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	निवल घाटा (रुपये लाखों में)
1967–68	147.64
1968–69	166.93
1969–70	233.15
1970–71	353.41
1971–72 (अन्तिम)	370.85

(ख) निगम प्राइवेट बसों को सर्वोत्तम संभव शर्तों पर किराये पर ले रहा है।

(ग) अप्रैल से सितम्बर 1972 तक की अवधि के दौरान अपने नियंत्रण के अंतर्गत प्राइवेट बसों के परिचालन के कारण निगम को हुआ घाटा माहवार निम्न प्रकार है :

माह	(रुपये लाखों में)
अप्रैल, 1972	2.42
मई, 1972	1.29
जून, 1972	1.14
जुलाई, 1972	0.80
अगस्त, 1972	1.66
सितम्बर, 1972	2.22

लेह स्थित स्कूल आफ बुद्धिस्ट फिलासफी पर व्यय

2960. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह स्थित स्कूल आफ बुद्धिस्ट फिलासफी पर गत तीन वर्षों में कितना व्यय किया गया ; और

(ख) क्या वित्तीय आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) स्कूल आफ बुद्धिस्ट फिलासफी, लेह को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न-लिखित अनुदान दिए गए थे :

		रुपये	
1969–70		1,09,000	अनुरक्षण के लिए
1970–71		1,32,588	अनुरक्षण के लिए
	तथा	1,00,000	स्कूल भवन के निर्माण के लिए
1971–72		1,88,400	अनुरक्षण के लिए
	तथा	1,66,000	स्कूल भवन के निर्माण के लिए

(ख) जी, नहीं । तथापि, स्कूल की वित्तीय आवश्यकताओं की निरंतर जांच की जा रही है तथा इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धन की उपलब्धता के होने पर वित्तीय निर्धारण किया जाता है ।

राष्ट्रीय उपक्रमों का वहां जाकर अध्ययन करने के लिए संसद् सदस्यों के दौरे

2961. **श्री कुशोक बाकुला :**

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उपक्रमों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझने के लिये वहां जाकर अध्ययन करने के लिये संसद् सदस्यों ने वहां के कितने दौरे किये और उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर संसदीय कार्य विभाग द्वारा चालू वर्ष के दौरान संस्थानों के कार्यकरण के देखने के लिये संसद् सदस्यों के निम्नलिखित सात दौरों का समन्वय किया गया :–

क्रम संख्या	दौरे की तिथि	दौरे का विवरण	दौरा करने वाले सदस्यों की संख्या
1.	21–3–1972	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली।	30
2.	25–3–1972	कृषि संस्थान, बम्बई ।	26
3.	30–3–1972	केन्द्रीय आलु अनुसंधान । संस्थान, शिमला।	19
4.	9–4–1972	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर तथा कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर ।	16
5.	15–4–1972 से 16–4–1972 तक	राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान, करनाल ।	11
6.	25–4–1972	दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली	21
7.	19–5–1972 से 22–5–1972 तक	पशुचिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, मुक्तेश्वर, रानीखेत तथा कोरबेट राष्ट्रीय पार्क ।	9

जिला स्तर पर संग्रहालय स्थापित करना:–

2962. **श्री कुशोक वाकुला :**

क्या शिक्षा और समाज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन गौरवपूर्ण वस्तुओं के प्रति स्थानीय लोगों में रूचि पैदा करने के लिये देश में जिला-स्तर पर संग्रहालय स्थापित करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है और ऐसे कितने संग्रहालय स्थापित किये जा चुके हैं, और

(ख) इस विषय में भावी प्रस्ताव क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) और (ख) एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

बुद्ध जयंती पार्क, नई दिल्ली को सुन्दर बनाना

2963. श्री कुशोक बाकुला :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुद्ध जयंती पार्क, नई दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों को सुन्दर बनाने की दृष्टि से वहां सजावट वाले पौधे, पेड़ लगाने और कृत्रिम पहाड़ियां बनाने का काम आरंभ कर दिया गया है ; और

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है तथा उक्त कार्य कब पूरा होगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) **तथा** (ख) : जी, हां । बुद्ध जयन्ती पार्क के बाहर (i) सामने के भाग के साथ साथ तथा (ii) पहाड़ी के साथ साथ राजेन्द्र नगर बीट की ओर सौन्दर्य कार्य के लिये सजावटी पौधे आदि लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । सामने के भाग के साथ वाले कार्य पर 2,000 रुपये का व्यय किया जा चुका है तथा 31–3–73 तक इसके पूर्ण होने की आशा है । रिजरोड के साथ साथ के कार्य पर 2,500 रुपये का व्यय किया जा चुका है । इस कार्य के 1973 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है ।

मुद्रण तथा लेखा सामग्री विभाग में फोटोलिथो अधिकारियों को पदोन्नति

2964. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग के फोटोलिथो अधिकारियों ने ऊंचे पदों पर पदोन्नति के बारे में हाल में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

शिवालिक पर्वत माला में मानव विकास संबंधी अनुसंधान परियोजना

2965. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवालिक पर्वतमाला के मानव विकास संबंधी अनुसंधान परियोजना को केन्द्र द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया है, और

(ख) क्या इस परियोजना के निष्पादन के लिये कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई गई है और यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क) : जी, नहीं । इस परियोजना का कार्यान्विय पंजाब विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग द्वारा जारी रहेगा । फिर भी, इस (परियोजना) के संतोषजनक कार्यान्विय को सुनिश्चित

करने के लिये विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया था कि वह भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के साथ सहयोग करे। विश्वविद्यालय ऐसा करने के लिये सहमत हो गया है।

(ख) : इस परियोजना के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों सहित एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है :–

1. पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति	अध्यक्ष
2. सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	सदस्य
3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य
4. निदेशक, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ..	सदस्य
5. महानिदेशक, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण .. .. (अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ उपयुक्त अधिकारी)	सदस्य
6. प्रोफेसर, एस० सी० दूबे निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला।	सदस्य
7. मानव–विज्ञान के विभागाध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय।	सदस्य–सचिव

अध्यक्ष को इस बात के लिये अधिकृत कर दिया गया है कि वे जिस किसी भी अन्य सदस्य को जरूरी समझें, मनोनीत कर सकते हैं।

कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रबी अभियान म सहायता

2966 : **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबी अभियान को बढ़ावा देने हेतु कृषकों की मदद करने के लिये कषि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये एक योजना बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) और यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांधी स्मृति का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकास

2967. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांधी स्मृति का एक उपयुक्त राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकास करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय की योजना की रूपरेखा क्या है तथा उस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) जी, हां ।

(ख) विकास के प्रथम चरण में निम्नलिखित निर्माण–कार्य करने का निर्णय किया गया है :

(क) जिस कमरे में गांधी जी ठहरा करते थे उस कमरे को फिर से बनाया जायेगा तथा गांधी जी के जीवन के अन्तिम चरण में गांधी स्मृति पर हुई घटनाओं की एक चित्रशाला संलग्न क्षेत्र में बनाई जाएगी ।

(ख) हत्या वाले दिन गांधी जी जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग पर पद–चिन्ह अंकित किए जाऐंगे ।

(ग) गांधी स्मृति पर एक स्तम्भ खड़ा किया जाएगा । एक पुस्तकालय भी स्थापित करने का प्रस्ताव है लेकिन विस्तृत विवरण अभी तैयार किया जाना है । उपरोक्त निर्माण–कार्य (पुस्तकालय के अलावा) को करने लिये लगभग 1.29 लाख रुपये का कुल खर्च होने की आशा है ।

पंजाब और हरियाणा के खाद्यान्न वसूली लक्ष्यों में कमी

2968. **श्री मान सिंह भौरा :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9, नवम्बर, 1972 के 'नेशनल हेरल्ड' में "पंजाब और हरियाणा के खाद्यान्न वसूली लक्ष्यों में कमी" (शार्टफाल इन पंजाब, हरियाणा फूड प्रोक्योरमेंट टारगेट्स) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार इस कमी को कैसे दूर करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) : खरीफ के अनाजों की सम्भावी अधिप्राप्ति का ठीक ठीक अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये धान तथा मोटे अनाज के वसूली मूल्य को पंजाब तथा हरियाणा द्वारा स्वीकार न किया जाना

2969. श्री मान सिंह भौरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा ने धान तथा मोटे अनाज के उस वसूली मूल्य को स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है जिसकी कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं !

(ख) प्रश्न ही नहीं उठाता ।

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी कारखानों के कर्मचारियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध ।

2970. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिल मजदूरों के लिये उनकी राजनैतिक गतिविधियों से संबंधित आचरण नियमों के बारे में 21 अगस्त, 1972 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2817 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस बात की जांच कर ली गई है कि आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखानों के कर्मचारियों के मूल अधिकारों पर लगाया गया प्रतिबंध संवैधानिक रूप से उचित है अथवा नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) सरकार को यह सूचित किया गया है कि चीनी निदेशक, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी सहकारी चीनी कारखानों को अपने कर्मचारियों के लिये आचरण नियमों से संबंधित प्रश्नाधीन उप–विधियों को अपनाने के बारे में जो सुझाव दिया है, उससे किसी भी संवैधानिक औचित्य का उल्लंघन नहीं होता है ।

डा० धर्म तेजा को स्वदेश वापिस लाने और उस पर चलाये गये मुकद्मे पर खर्च हुई राशि

2971. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० धर्मतेजा, जो पहले जयन्ती शिपिंग कंपनी में थे, को स्वदेश वापस लाने और उस पर चलाये गये मुकद्में पर कितनी राशि खर्च हुई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

डा० धर्म तेजा के प्रत्यापर्ण पर 9.40 लाख रुपये व्यय किया गया है।

मुकद्मे के दौरान लन्दन में कमीशन पर गवाहियों के जांच कार्य पर 2464.27 पौंड (लगभग 46,718 रु०) तथा एन० क्र० 2749.03 (लगभग 2,893 रु०) खर्च किये जाने के अतिरिक्त धर्म तेजा के मुकदमें पर उसकी प्रत्यार्पण तिथि 16-4-71 से खर्च की गई धन-राशि 1,28,880 रु० है।

आवास स्थानों के आवंटन हेतु प्राथमिकता तिथि निर्धारित करने के लिये नियम

2972. **श्री प्रबोध चन्द्र:**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने कर्मचारियों की आवास स्थानों के आवंटन हेतु प्राथमिकता तिथि निर्धारित करने के लिये सरकार के भिन्न भिन्न नियम हैं ; यदि हां, तो वे नियम कौन से हैं ;

(ख) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसी भेदभाव के कारण 1948, 1949 अथवा 1950 में सेवा में प्रवेश करने वाले कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को आज तक सरकारी निवास नहीं मिल रह पाया है ; यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) टाईप IV तथा उसके नीचे के टाईप के पात्र तथा 800 रुपये से कम परिलब्धियां प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के मामले में प्राथमिकता की तारीख उस तारीख से मानी जाती है, जिस तारीख से ऐसे कर्मचारी केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन निरन्तर सेवा में हैं। जबकि टाईप V तथा उसके ऊपर के पात्र तथा 800 रुपये तथा ऊपर परिलब्धियां प्राप्त कर रहे अधिकारियों के मामले में प्राथमिकता की तिथि उस तारीख से मानी जाती है, जब से वे केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन किसी पद में उस टाईप विशेष के अनुरूप परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हों।

(ख) प्रारंभ में जब आवंटन नियमों को 1963 में लागू किया गया था, तो प्राथमिकता की तारीख गिनने के लिये एक समान पद्धति थी ; तथा आवंटन अगले नीचे के टाईप में किया जा सकता था। टाईप II तथा टाईप III के मामलों में परितुष्टि की प्रतिशतता बहुत कम थी तथा टाईप III तथा टाईप IV के पात्र अधिकारियों को अगले नीचे के टाईप में आवंटन निलंम्बित कर दिए गए थे। इससे इन कर्मचारियों को बहुत कठिनाई हुई और उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिये, यह निर्णय किया गया था कि जिस दिन से वे केन्द्रीय राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों में निरन्तर कार्य कर रहे हैं उस दिन से उनकी प्राथमिकता की तारीख मानी जाए। कर्मचारियों के व्यापक हित में नियमों का संशोधन किया जाता है।

(ग) 1949-50 में सेवा में आने वाले कर्मचारियों को मकान न मिलने का कारण यह नहीं कि आवंटन नियमों में कोई खामी है, बल्कि यह है कि सामान्य पूल में मकानों का अभाव है। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सामान्य पूल में अधिक से अधिक रिहायशी एकक उपलब्ध करने की हर प्रकार से कोशिश की जा रही है। पिछले एक दशक से अधिकतर निचले टाईपों अर्थात् टाईप-IV तथा

स से नीचे के टाईपों के मकानों का निर्माण किया जा रहा है । चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान टाईप–IV तथा उससे नीचे के टाईप के 3,362 रिहायशी एकक आवंटन के लिये उपलब्ध हो जायेंगे । इसके अलावा 3,497 एककों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा शीघ्र ही उन का निर्माण आरम्भ किया जायेगा ।

देश में शिपयार्डों के विस्तार के लिये विदेशी सहायता

2973. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में शिपयार्डों के विस्तार के सम्बन्ध में विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विदेशी सहायता मांगी गई है, और

(ग) उस देश का नाम क्या है तथा सहायता की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता):

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एफ० डी० आर०, यू० के० पोलैंड । फ्रांस आदि के शिपयार्डों से सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

राज्यों में सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण

2974. **श्री पी० गंगादेव** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने देश में सहकारिता विकास योजना के लिये राज्य सरकारों को चालू वर्ष में 70 से 80 के अनुपात में ऋणों और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिये ऋण तथा राज· सहायता के रूप में उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1969–70 से 1971–72 तक की अवधि के दौरान केवल केन्द्रीय साहायियत राज्य योजना स्कीमों के लिये ही 70 : 30 के अनुपात में ऋणों और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता देता आ रहा था । परन्तु चालू वर्ष में, यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय साहायियत राज्य योजना स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से न दी जाय। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निगम ने सहकारी विकास योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को चालू वर्ष में 70 : 30 के अनुपात में ऋणों और अनुदानों के रूप में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दो नये कृषि विश्वविद्यालयों के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

2975. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री कमल मित्र मवुकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत में दो नए कृषि–विश्वविद्यालयों के विकास के लिये 9 करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो ये दो विश्वविद्यालय कहां स्थापित किए जायेंगे?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ इस संबंध में अन्तिम रूप से बातचीत कर ली है । बैंक भारत में दो कृषि विश्वविद्यालयों के विकास तथा कृषि अनुसंधान सांख्यिकि संस्थान, नई दिल्ली में एक संगणिक केन्द्र की स्थापना के लिये 5 वर्षों की अवधि में विभिन्न मुद्राओं में 120 लाख डालर की सहायता उपलब्ध कराने के लिये सहमत हो गया है ।

(ख) विश्व बैंक जिन दो विश्वविद्यालयों के लिये सहायता देने के लिये सहमत हुआ है उनके नाम यह हैं : (1) आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट और (2) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को विरासत और उनके विचारों का छात्रों तथा युवकों में प्रचार

2976. **श्री समर गुह :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों में देश में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को भारतीय नौजवानों में महान प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी,

(ख) यदि हां, तो हमारी स्वाधीनता के रजत जयंती वर्ष में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विरासत का सम्मान करने और देश के छात्रों और युवकों में उनके विचारों का प्रचार करने के लिये क्या सरकार ने विशेष उपाय और कार्यक्रम अपनाये हैं, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां ।

(ग) और (ख) भारत की स्वतंत्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ के संबंध में, सरकार, नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों की एक वीथी स्थापित कर रही है, जो उन व्यक्तियों के जीवन और उनके कार्यकलापों पर प्रकाश डालेगी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन तथा आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान किया है । इस बीथी में, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज की भूमिका का भी निस्संदेह, एक महत्वपूर्ण स्थान होगा ।

2. इसके अतिरिक्त, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के विचाराधीन दो खण्डों में ऐसा संकलन निकालने का है, जिसमें 1905–1957 अवधि के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के बारे में भारत के बाहर क्रांतिकारी कार्यकलापों के स्रोतों किए गए होंगे । इन संकलनों में, नेता जी सुभा चन्द्र बोस तथा आजाद हिन्द फौज की भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में किए गए योगदान का महत्वपूर्ण स्थान होगा ।

3. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अंग्रेज़ी तथा तमिल में "भारतीय राष्ट्री सेवा की कहानी" के संबंध म एक पुस्तक प्रकाशित की है । इस पुस्तक को, सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी तथा उनके कार्यकलापों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय सेना के उत्साह और बलिदान के विषय में नवयुवकों को अवगत कराने के लिये तैयार किया गया है । इस पुस्तक का अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा ।

ये पुस्तकें राजा राममोहन राय पुस्तकालय संगठन के जरिये जिला पुस्तकालयों को संवितरित की जाएगी और आखिरकार गांव की पढ़ने वाली जनता तक पहुंच जाएगी।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम

2977. **श्री समर गुह :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल ने ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम के लिये आवंटित केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो चालू वर्ष के दौरान केवल सरकारी सहायता से ऐसे कितने मकान बनाये गए और अगले वर्ष के लिये कितने मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या आदिवासी और भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये ग्रामीण आवासीय योजना की क्रियान्विति पर विशेष ध्यान दिया गया है, और यदि हां, तो इसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) से (ग) :

इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के कार्यान्वयन के लिये मार्च 1969 तक पश्चिमी बंगाल सरकार को नियत की गई तथा उस द्वारा ली गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है : –

नियत की गई	ली गई
(लाख रुपयों में)	
62.89	38.05

1969–70 के वर्ष से राज्य क्षेत्र की सारी योजनाओं, के लिये (जिनमें सामाजिक आवास योजना भी शामिल है), वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को वित्त मंत्रालय द्वारा 'खण्ड ऋणों' तथा 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जा रही है जो किसी विशेष स्कीम तथा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है। इसलिये ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के लिये 1969–70 वर्ष से केन्द्रीय सहायता के नियतन का प्रश्न ही नहीं उठता। ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत मकानों के निर्माण में प्रगति की कोई भी सूचना पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 1971 से नहीं दी है। 1973–74 के वर्ष के लिये लक्ष्यों का निर्धारण भी अभी तक नहीं किया गया है। योजना के अन्तर्गत जनजातियों तथा भूमिहीन अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये निर्मित किए गए मकानों के पृथक आंकड़े संकलित नहीं किये गये हैं।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास–स्थल देने के लिये भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में एक नई योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत उन सामुदायिक विकास खण्डों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। जिनमें भूमिहीन ग्रामीण मजदूर विशेषकर, अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जन जातियों के मज़दूर बहुत बसे हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार से बांकुरा, मिदनापर तथा बीरभूम जिलों के लिये परियोजना सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे परन्तु वे योजना के अनुरूप नहीं थे, इसलिये राज्य सरकार को संशोधन के लिये लौटा दिए गए थे। वे विधिवत् संशोधित होकर वापिस प्राप्त हुए हैं। परिणास्वरूप पश्चिम बंगाल सरकार को अभी तक कोई भी वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकी।

पश्चिम बंगाल के कंटाई तथा झाड़ग्राम सब डिवीजनों में ग्रामीण आवास कार्यक्रम

2978. **श्री समर गुह :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पूरे किए गए और निर्माणाधीन ग्रामीण आवास कार्यक्रम का जिला वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल के कंटाई तथा झाड़ग्राम सब–डिविजनों में कार्यक्रम के अनुसार गांवों में कितने मकान बनाए गए ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) तथा (ख) :

पश्चिम बंगाल सरकार से अब तक प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 1957 में इस स्कीम के प्रारम्भ होने से लेकर कुल मिलाकर राज्य में 3652 मकानों का निर्माण हुआ है। यह स्कीम राज्य क्षेत्र में है तथा जिला और सब–डिवीजन वार ब्यौरा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता।

हिन्दी और बंगला भाषाओं के विकास और विस्तार पर व्यय

2979. **श्री समर गुह :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार हिन्दी–भाषी लोगों की संख्या की दृष्टि से पांचवां स्थान और बंगला भाषियों का आठवां है और विश्व के दस बड़े भाषा वर्गों में उनकी संख्या क्रमशः 19 करोड़ 20 लाख और 10 करोड़ 80 लाख है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी और बंगला भाषाओं के विकास और विस्तार, साहित्य तथा बंगला में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कितना कितना व्यय किया जाता है, और

(ग) बंगला भाषा साहित्य के विकास और बंगला सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बहुत कम व्यय करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) से (ग) : संख्या की दृष्टि से विश्व में हिन्दी भाषी लोगों को पांचवे तथा बंगला:भाषियों के आठवें स्थान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु भारत को 1971 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत में ऐसे लोगों की संख्या 162,577,612 है जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है तथा 44,792,722 ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा बंगला है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए सिद्धांतों तथा संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित 1968 के सरकारी संकल्प के अनुपालन में, हिन्दी के विस्तार और विकास पर चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1969–70 में 139.75 लाख रुपये, वर्ष 1970–71 में 164·13 लाख रुपये और वर्ष 1971–72 में 211.80 लाख रुपये के खर्चे के अतिरिक्त, यह मंत्रालय, राज्य सरकारों के सहयोग से विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण के जरिये हिन्दी सहित, प्रादेशिक भाषाओं के विकास को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में भाग लेने वाला हरेक राज्य इस उद्देश्य के लिये चौथी योजना के अन्त तक एक करोड़ रुपये तक की धन राशि का प्रयोग कर सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास उपलब्ध 1 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त असम राज्य सरकार के जरिये, बंगला में ऐसी पुस्तकों के निर्माण के लिये इस योजना के अन्तर्गत 25 लाख रुपये का विशेष विनिधान उपलब्ध किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 5 हिन्दी भाषी राज्यों को उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए 1969–70, 1970–71 और 1971–72 में क्रमशः 16.00 लाख रुपये, 9·00 लाख रुपये और 32.00 लाख रुपये की राशियां दी गई हैं। 1969–70 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 2 लाख रुपये की राशि दी गई थी। राज्य सरकार के पास बची हुई बकाया निधि को ध्यान में रखते हुए 1970–71 और 1971–72 वर्षों में कोई और अधिक राशि नहीं दी गई थी। साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी ने अभी तक हिन्दी में 93 पुस्तकें और बंगला में 47 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर खर्चे संबंधी आंकड़े भाषावार नहीं रखे जाते हैं।

यह स्पष्ट है कि हिन्दी के प्रसार और विकास पर किये गये खर्चे के अलावा जो कि भारत संघ की संवैधानिक जिम्मेदारी है चौथी योजना में उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत हिन्दी और बंगला के लिये उपलब्ध राशियां क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 1.25 करोड़ रुपये है। अतः इस योजना के अन्तर्गत बंगला के लिये उपलब्ध की गई राशि, भारत में इस भाषा को बोलने वालों के अनुपात से असंगत नहीं है। तथापि, यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और उपलब्ध राशि को प्रयोग करने को राज्य सरकारों की दक्षता के आधार पर वास्तविक धन राशि दी जाती है।

गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान गांवों में पेय जल की व्यवस्था

2980. श्री समर गुह :

श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की थी कि गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान ग्रामवासियों विशेषकर हरिजनों तथा आदिवासियों को पेयजल की सप्लाई करने के लिये भारत में प्रत्येक गांव में एक कुंए अथवा नलकूप की व्यवस्था की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना में कितने ग्राम शामिल किए गए ; और

(ग) गांवों के लोगों, विशेषकर पिछड़े समुदायों के लिये पेयजल की व्यवस्था करने के लिये आगामी तीन वर्षों का कार्यक्रम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह):

(क) जी नहीं। तथापि, चूंकि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का कार्य राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है, अतः राज्य सरकारों ने 1972–73 में इस प्रयोजन के लिये 38.00 करोड़

रु० का प्रावधान किया है। केन्द्रीय क्षेत्र में, त्वरित ग्राम जल प्रदाय कार्यक्रम के लिये 20.00 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर की गई और दी गई राशियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3905/72].

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 13,461 गांवों को लाने का प्रस्ताव है। राज्यक्षेत्र के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

IMPACT ON FOOD SITUATION DUE TO STOPPAGE OF FOOD GRAINS UNDER PL-480

2981. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state the impact on the food situation in the country as a result of stopping import of foodgrains under PL-480?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : There has been no adverse impact on the food situation in the country as a result of stoppage of imports of foodgrains under PL-480.

PROVISION FOR HOUSING IN THE FOURTH FIVE YEAR PLAN FOR EMPLOYEES DRAWING SALARY OF RS. 100 P.M.

2983. Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the **Minister of Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have not made any provision for housing in the Fourth Five Year Plan for the benefit of persons drawing a salary of Rs. 100 per month ; and

(b) if so, the number of such Government employees and the reasons for not making any provision in this regard?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) :

(*a*) and (*b*) : The Fourth Five Year Plan provides an outlay for 'Housing' as a whole irrespective of the range of their salaries. Such persons including Government employees, if any, as are drawing a salary of Rs. 100 or less per month may avail themselves of the benefits of the Low Income Group Housing Scheme and the Village Housing Projects Scheme where no minimum income limits are laid down and also under the Subsidised Housing Schemes for Industrial Workers and Economically Weaker Section of Society and Slum Clearance/Improvement Scheme which cater to people with an income upto Rs. 350 per month only. There is no scheme exclusively for persons drawing a salary of Rs. 100 per month.

Housing for Government employees are also provided by various Departments of the Central Government and by the State Government/Union Territories Governments/Administrations to their employees.

No separate data is available in respect of provision of housing for all such Government employees.

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच भूख से हुई मौतों के बारे में कथित मतभेद

2984. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :**

श्री राम कंवर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में भूख से हुई कथित मौतों के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच मतभेद पैदा हो गये हैं ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी मौतों की पुष्टि की है और साथ ही केन्द्रीय सरकार ने उससे इन्कार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी असंगति और मतभेदों के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) से (ग) तक : ---भूख से हुई मौतों के कथित मामलों की जांच करने के लिए भारत सरकार का अपना कोई तन्त्र नहीं है। सरकार को प्राप्त भूख से हुई कथित मौतों के सभी मामले राज्य सरकारों को उनकी **जांच** करने और रिपोर्ट देने के लिए भेज दिए जाते हैं। राज्य सरकारों ने कहा है कि भूख के कारण कोई मौत नहीं हुई है। अत : कुछ राज्यों में भूख से हुई कथित मौतों के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच कोई मतभेद पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण ट्रैक्टरों की मांग में कमी

2985. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :**

श्री राम कंवर :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप ट्रैक्टरों की मांग कम हो गई है और किसान लोग ट्रैक्टरों पर पैसा खर्च करने में संकोच कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) :

राज्य कृषि उद्योग निगमों में कम लोगों के ट्रैक्टरों के लिए नाम दर्ज हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिक आधार पर मांग के मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को सौंप दिया गया है, उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विभिन्न राज्यों के कृषि उद्योग निगमों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि मांग कम होने के कारणों में एक कारण भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावित कानूनों से उत्पन्न अनिश्चितता भी है।

"निरोध" को बाजार में बेचना

2986. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अत्याधिक राज सहायता प्राप्त "निरोध" के बाजार में बेचे जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) और (ख) : निरोध की बिक्री उपभोक्ता सामग्री बेचने वाली 6 बड़ी कम्पनियों के माध्यम से की जाती है तथा उनसे मासिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

यह योजना सफलतापूर्वक कार्य कर रही है तथा निरोध की बिक्री 1968–69 में 157.4 लाख से बढ़कर 1971–72 में 665.5 लाख हो गई है।

खरीफ के अनाजों के निर्धारित वसूली लक्ष्यों के प्रति राज्य सरकारों का असंतोष

2987. श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा प्रस्तावित खरीफ के अनाज के वसूली लक्ष्यों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) :

(क) और (ख) : कृषि मूल्य आयोग द्वारा खरीफ अनाजों की अधिप्राप्ति के लिए अभिस्तावित और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य आम तौर पर राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिए हैं लेकिन एक या दो राज्यों को छोड़कर, जहां सूखे के कारण, यह मालूम हुआ था कि वहां इन लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है यद्यपि सम्बन्धित राज्य सरकारें सभी सम्भव प्रयत्न करेंगी।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामों में पेय जल

2988. डा० जी० एस० मेलकोटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसे ग्राम सबसे अधिक हैं जिनको अब तक पेय जल की सुविधा नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे ग्रामों की कुल संख्या कितनी है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) और (ख) : देश के ग्राम क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है। जल पूर्ति योजनायें तैयार करना, उनको चलाना और ऐसी योजनाओं की प्राथमिकता एवं परिव्यय का निर्धारण करना भी राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है।

वैसे, राज्य वार सूचना सभी राज्य सरकारों से मंगाई गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महानगरों में अधिक क्षय रोग अस्पताल खोलना

2989. डा० जी० एस० मेलकोटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में देश के प्रत्येक महानगर में कुछ और क्षय-रोग अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे अस्पतालों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान भिन्न भिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिये 227 लाख रुपये का नियतन करके महानगरों सहित देश में 2,500 क्षय-रोग पलगों की व्यवस्था करने का विचार है ।

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार लक्षित/स्थापित पलगों की संख्या सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है ।

'विवरण'

राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम—क्षय-रोग पृथक्करण पलंगों की स्थापना के लिये लक्ष्य

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	चतुर्थ योजना में लक्ष्य
1	2
आंध्र प्रदेश	150
असम	100
बिहार	150
गुजरात	125
हरियाणा	150
जम्मू और कश्मीर	100
केरल	100
मध्य प्रदेश	200
महाराष्ट्र	150
मैसूर	125
मेघालय	—
नागालैंड	50
उड़ीसा	100
पंजाब	150
राजस्थान	150
उत्तर प्रदेश	200
तमिल-नाडु	100
पश्चिम बंगाल	200
हिमाचल प्रदेश	25
अंडेमान और निकोबार आइसलैंड	—
चंडीगढ़	25
दिल्ली	25
दादरा, नगर हवेली	—

M/B(N)18LSS—12 (a)

1	2
गोआ, दमन और दिव्	25
लैकाडिव और मिनिकोय आइसलड	—
मनीपुर	25
नेफा	25
पोंडीचेरी	25
त्रिपुरा	25
योग	2,500

LEGISLATION ON LAND CEILING PENDING FOR PRESIDENT'S ASSENT

2990. SHRI RAMAVATAR SHASTRI :

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of the States whose Land Ceiling Acts have been assented to by the President;

(b) the names of the States whose Acts have not so far been assented together with the reasons therefor; and

(c) the names of the States where such Act has been implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE) : (a) Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal Bills have received the President's assent.

(b) The following States have passed the Bills to revise their ceiling law which have not yet been assented to by the President—

States whose Bills are not yet assented	Reasons therefor
1. Andhra Pradesh	All these Bills are being examined by the Government of India in consultation with the concerned State Governments.
2. Bihar	
3. Haryana	
4. Maharashtra	
5. Madhya Pradesh	

(c) In Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal the revised Acts are in operation.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टरों के आवंटन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदेश

2991. श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिये हैं कि वे अपने राज्य में **निर्मित**

रिहायशी क्वार्टरों में से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत क्वार्टर मध्यम आय और निम्न आय वर्ग वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवंटित करें ;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य के पटना तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय एक्साइज और आयकर विभाग को कितने क्वार्टर आवंटित किये गये; और

(ग) मध्यम आय और निम्न आय वर्गों के लिए बिहार सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर कितने क्वार्टर बनाये जा चुके है ; और इनमें से कितने क्वार्टर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किये गये ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा बनाई गई तथा राज्य सरकारों / संघ क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही निम्न/मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र के प्रशासन उन द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए कुल मकानों के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत मकान राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केवल किराए के आधार पर आवंटित करने के लिए अलग रखें।

(ख) तथा (ग) : सूचना बिहार सरकार से मंगवाई गई है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्शन प्रस्ताव को लेते हैं।

Shri Mukhtar Singh Malik (Rohtak) : In Haryana and Punjab, College teachers are on strike.

Mr. Speaker : Not now. I have called for Calling attention.

Shri Mukhtiar Singh Malik :**

Mr. Speaker : It will not go on record.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सोवियत सघं को भेजी जाने वाली काजू की गिरी के खेप को कोचीन बन्द्रगाह पर रोक लिये जाने का समाचार

श्री पी० बेंकटा सूब्बया : (नन्दयाल) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर वकत्व्य दें "सोवियत संघ को भेजी जाने वाली काजगिरी की खेप को कोचीन बन्दरगाह पर रोक लिये जाने का समाचार"।

वित मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : दीर्घावधिक व्यापार और अदायगी करारों के अन्तर्गत समाजवादी देशों के साथ आयात और निर्यात इन देशों की सरकारों के साथ प्रतिवर्ष किए जाने वाले व्यापार संलेखों के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। व्यापार संलेखों पर हस्ताक्षर किए जाने के समय आदत-प्रदत्त गोपनीय पत्रों में परस्पर सहमति से उपबन्धों में संशोधन करने तथा और उपबन्ध जोड़ने की व्यवस्था होती है।

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

इस विशेष मामले में, विदेश व्यापार मंत्रालय को 4 नवम्बर को काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद, एर्नाकुलम का एक टेलेक्स संदेश मिला जिसमें यह कहा गया था कि सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ को भेजी जाने वाली 475 टन काजू की गिरी की खेप का लदान रोक लिया गया है क्योंकि वर्ष की व्यापार आयोजना में जितनी मात्रा की व्यवस्था की गई थी, उतनी मात्रा भेजी जा चुकी है। बाद में परिषद से प्राप्त 10 नवम्बर के तार में यह बताया गया कि रोकी गई मात्रा 2009 टन है। इस अन्तर के कारण, विदेश व्यापार मंत्रालय ने आयात-निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक के साथ इस मामले पर चर्चा की। आयात-निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक से सही सही आंकड़े प्राप्त होने पर और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के व्यापार प्रतिनिधि से अनुरोध प्राप्त होने पर, सरकार ने पहली दिसम्बर 1972 को 1973 की व्यापार आयोजना व्यवस्था के अन्तर्गत 4,000 टन का लदान किए जाने की अनुमति दे दी।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : वक्तव्य से मालूम होता है कि जो कार्रवाई की गई है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद की गई है तथा इस से उस में उठाई गई बातों का युक्ति युक्त उत्तर नहीं मिला है।

भारत से निर्यात किए जाने वाले 50,000 मीटरी टन का एक तिहाई भाग सोवियत संघ मंगाता है जिसका मूल्य 70 करोड़ रुपया होता है। इस समय जब कि हम दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को अपने माल नहीं बेच सकते, सोवियत संघ ने बड़ी मात्रा में हमारे माल का आयात कर हमारी बड़ी मदद की है। वक्तव्य में बताया गया है कि क्योंकि उनका निर्यात उनके वर्ष के कोटे से अधिक हो गया है इसलिये वे प्रतिबन्ध हटाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए यह मामला रुका पड़ा है।

हमें सोवियत सरकार द्वारा अतिरिक्त आयात की मांग का लाभ उठाना चाहिये। 2000 और 4000 मीटरी टन की असंगति की टेलेक्स पर दूर किया जा सकता था, उसमें एक महीना नहीं लगना चाहिये था। क्या इस अत्याधिक देरी से केरल के काजू उद्योग को हानि नहीं हुई है। उद्योग को प्रतिदिन एक लाख रुपये की हानि हो रही है तथा 1.25 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित है। अतः क्या उन अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जायेगी जो इस देरी के लिये जिम्मेदार हैं? क्या सरकार आयात करने वाले देशों से सम्पर्क रखेगी जिससे ऐसी घटना फिर न हो? क्या सारी कार्यवाही को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता जिससे निर्यातकों को इस प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सीमा–शुल्क अधिकारियों की इसमें कोई गलती नहीं थी। एक निश्चित मात्रा से अधिक माल के निर्यात की अनुमति वे दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त किए बिना नहीं दे सकते थे। इस सहमति में कुछ समय लगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This shows that there is no Co-ordination between the Foreign Trade Ministry and the Finance Ministry.

This is not the first instance of this kind. The same thing happened in the case of Rags scandal. It has been stated that Customs authorties did not allow the loading beyond certain quantity, agreed upon in the Agreement. But this could have been settled quickly on telex or through some other quicker means of communications. But Government kept queit. We are thankful to the news-papers, that they gave us this news and this matter of calling attention was raised.

I would like to ask as to why so much time was taken by the Ministries concerned? Is it a fact that the industry was charged rent for the goods which so remained lying at the port? Will the Finance Minister make an announcement that the cashew merchants would not be asked to pay the rent which became due on account of the delay on the part of the Government.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने यथा सम्भव मामले को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । यहां मंत्रालयों में आपसी तालमेल का प्रश्न नहीं है । विदेश व्यापार मंत्रालय अपनी ओर से तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था जब तक अगले वर्ष के लिये सोवियत संघ द्वारा और मांग नहीं की जाती और इस में समय लगा । अधिक समय लगने का कारण यह था कि निर्यात संवर्धन परिषद् ने इस बारे में प्रथम नबम्बर को सरकार को लिखा परन्तु उन्होंने कोई भिन्न आंकड़े दे दिये । इसमें दस दिन लग गये । उसके पश्चात् हमें इस बारे में आयात–निर्यात उप–मुख्य नियंत्रक के साथ लिखा–पढ़ी करनी थी । जब हमें सही आंकड़े मिल गये तो हम ने तत्काल कार्यवाही की । व्यापारियों से किराया वसूल किये जाने के बारे में हम ज़िम्मेदार नहीं हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रापन (तेल्लीचेरी) : मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को बड़े ध्यान से पढ़ा है । उनका कहना है कि उन्हें 4 और 10 नवम्बर को दो तार मिले थे । पर निर्यात संगठन के तार के अनुसार 4, 7, 13, 15 और 21 नवम्बर को विशेष व्यापार मंत्रालय को 5 तार भेजे गये । 13 तारीख के तार तक सरकार सोती रही । उसने उत्तर देने तक की परवाह नहीं की ।

इस सब घटना का एक पहलू और है, जैसा कि 2 दिसम्बर के "हिन्दू" में प्रकाशित हुआ है । उसमें कहा गया है कि भारतीय साम्यवादी दल ने यह आरोप लगाया है कि अमरीकी हितों के दवाब के कारण रूस जाने वाले 3000 मीटरी टन तयार काजू सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोचीन बन्दरगाह पर रोक रखा है । इसे सरकार साम्यवादी दल का एक आरोप कह कर टाल सकती है । पर समाचार में यह भी कहा गया है कि रूस द्वारा 20,000 मीटरी टन काजू खरीदे जाने के कारण अमरीका द्वारा काजू का मूल्य कम करने के प्रत्यन किए गये और परिणामस्वरूप सरकार को रूस से पुन: बातचीत करनी पड़ी । और रूस ने 6000 मीटरी टन काजू का आयात करने के लिये सहमत हो कर एक तरह से काजू उद्योग को बचाया और इस की विदेश व्यापार मंत्रालय ने अनुमति भी दे दी थी । यदि ऐसा है तो यह सब क्यों हुआ ? ऐसा कोचीन बन्दरगाह पर पहली बार नहीं हुआ है । गत वर्ष नारियल जटा उद्योग के साथ भी ऐसा ही हुआ । समय रहते इस मामले को टेलीक्स द्वारा जल्दी निबटाया जा सकता था ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : रूस से 20,000 मीटरी टन काजू सप्लाई करने का करार नवम्बर में पूरा हो गया था अत: जब तक सोवियत सरकार से और आगे करार नहीं होता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता था । अगले वर्ष के लिये करार 25 नवम्बर को हुआ । उसके बाद रूस से अतिरिक्त आवंटन की प्रार्थना 28 नवम्बर को मिली और प्रथम दिसम्बर को उस पर कार्रवाई की गई । अब मैं नहीं समझता कि देरी कहां हुई । फिर भी यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि देरी हुई तो मुझे खेद है कि मैं उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकता ।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : किसी भी देश के साथ दीर्घ कालीन व्यापार होने पर लक्ष्य से कम या अधिक निर्यात होना कोई अधिक महत्व नहीं रखता । अत: काजू के मात्रा से अधिक निर्यात

करने के कारण कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये थी। फिर भी इस सम्बन्ध में काजू निगम ने मंत्रालय को सूचित कर दिया था। इस पर शीघ्रता से कार्रवाई करना मंत्रालय का काम था।

दूसरे यह माल बन्दरगाह तक पहुंचा कैसे ? बन्दरगाह पर पहुंचने पर क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने उसे वित्त मंत्रालय की सहमति से अथवा अपने आप ही रोका ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई नियम बनाएगी जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना न हो ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बन्दरगाह पर माल पहुंच सकता है क्योंकि यह बन्दरगाह अधिकारियों और व्यापारियों के मध्य की बात है। सीमा शुल्क अधिकारी केवल माल के लदान के समय सामने आते हैं। यदि गलत लदान होता तो हमें दोषी ठहराया जा सकता था (**व्यवधान**)

तामिल नाडु में उत्पन्न स्थिति के बारे में

RE: DEVELOPMENT IN TAMILNADU

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We had met you and requested you to grant us an apportunity to discuss the developments in Tamil Nadu.

श्री के मनोहरन (मद्रास उत्तर) : तामिलनाडु में स्पष्टतया संवैधानिक व्यवस्था भंग हो चुकी है और वहां फास्टि शासन चल रहा है..... (**व्यवधान**) इसलिये आप हमें चर्चा का अवसर दें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। (**व्यवधान**)...जो लोग मुझे इस सिलसिले में मिलने आए थे, वह अन्त तक बातें करते रहें, अतः मुझे इसका अध्ययन करने और उस पर निर्णय करने का अवसर नहीं मिला..... (**व्यवधान**) आप लोग इतने बैचन क्यों हैं ?

If you behave like this, I will take my seat. I will not allow the incidents of Madras to be repeated here.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, You have said very rightly. We were expecting this from you.

Mr. Speaker : I cannot hold a brief for the State Chief Minister but I can do so about my counterpart.

श्री आर० जी० उलगनम्बी (बैल्लौर) : तामिलनाडु में कठिनाई यह है कि वहां अध्यक्ष पद त्यागने को तैयार नहीं हैं (**अन्तर बाधाएं**)

श्री कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) ; महोदय आप के लिये यह कहना उचित नहीं है। आपने हिन्दी में जो कुछ कहा है उसका अनुवाद मैंने सुना है और उसके अनुसार आपने कहा है कि आप वहां के अध्यक्ष की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। यह उचित नहीं है। इसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाल देना चाहिये (**व्यवधान**) वहां के अध्यक्ष के विचार जाने बिना आप अपना मत कैसे व्यक्त कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee: That is why we requested you to allow us to discuss this matter.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से स्थिति यह है कि आपकी सूचना मुझे काफी देर से मिली और मुझे इस पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिला। इस विषय के तीन पहलू है, पहला यह है कि यह घटनाएं राज्य विधान सभा में हुई हैं, दूसरे दो मामले तमिलनाडु उच्चन्यायालय में निर्णयाधीन है मुझे श्री सेझियान ने बताया है कि विधान सभा की बैठक प्रातः 9 बजे हुई थी (**व्यवधान**)

श्री कल्याण सुन्दरम : विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार किया है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति ! शान्ति ! आपने लड़ना हो तो अपने राज्य में जाकर लड़े। संसद को क्यों अखाड़ा बनाते हैं।

श्री कल्याण सुन्दरम : संसद् को भी वहां की घटनाओं का पता चलना चाहिये। आप हमें चर्चा का अवसर द (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस विषय के पहलु बता रहा था। यदि आप मरी बात नहीं सुनेंगे तो अगला कार्य आरंभ किया जाएगा। वहां विधान सभा में कुछ अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं, और दो अध्यक्षों ने कार्यवाही का संचालन किया (**व्यवधान**) ·····हमारे यहां ऐसी घटनाओं की संभावना नहीं है और मैं वहां की घटनाओं की प्रशंसा नहीं कर सकता। दो पहलू मैं ने बता दिए हैं, तीसरा पहलू यह है कि यदि यह संवैधानिक मामला है तो हमें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी जो शीघ्र ही आ जायगा। मनोहरन जी, आप अध्यक्ष से कहें कि वह न्यायालय का सहारा न लें। ऐसा कभी नहीं हुआ है और इस पर मुझे आश्चर्य है। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो....

श्री सेझियान (कुम्बकोमण) : मैं इस पर चर्चा नहीं चाहता। आप ऐसा उदाहरण प्रस्तुत न करें क्योंकि यहां की घटनाओं की भी राज्य विधान सभा में चर्चा होने लगेगी (**व्यवधान**) ....

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have already discussed the developments in Haryana, M. P. and West Bengal in the past. This is not a new precedent.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति ! शान्ति ! यदि अध्यक्ष न्यायालय में नहीं जाते, तभी हम इस पर चर्चा करेंगे, अन्यथा नहीं।

श्री के० मनोहरन : इस मामले में अन्तर्ग्रस्त संवैधानिक बातों पर यहां चर्चा करना उचित है या नहीं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can we not hold discussion about the fact the centre has received any report from the governor or not and if the governor has sent any report, whether government have considered it ? The House cannot ignore the unprecedented situation created in Tamil Nadu and we can certainly consider the democratic parties.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : प्रश्न तो यह है कि किसी सदन की कार्यवाही की चर्चा कहीं भी, चाहे वह हमारा सदन ही क्यों न हो, नहीं की जा सकती।

श्री के० मनोहरन : मैं केवल एक बात कहूंगा कि किसी सदन के नियम-विनियमों को संविधान का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री बाजपेयी का समर्थन करता हूं कि वहां अभूतपूर्व संवैधानिक संकट पैदा हुआ है और गलती चाहे किसी की क्यों न हो, आपको याद होगा कि बंगाल के अध्यक्ष के आचरण की चर्चा यहां हमारे विरोध के बावजूद की गई थी। हमारा यही निवेदन है कि संसदीय लोकतंत्र की रक्षा की जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सिरामपुर') : पश्चिम बंगाल विधान सभा के बारे में जो कुछ हुआ था वह नितान्त गैर-कानूनी था और वही बात तामिल नाडु के मामले में नहीं दोहरायी जानी चाहिए । वहां की समस्या वहां के विधायकों को ही सभा में हल कर लेनी चाहिये ।

श्री सेझियान : मैं किसी चर्चा का विरोध नहीं करता । मैं तो समझता हूं कि तामिलनाडु विधान सभा में जो कुछ हुआ है वह उसी की समस्या है । मेरी अध्यक्ष और सभा से अपील है कि यदि ये घटनाएं यहां चर्चा का विषय बनेंगी तो 13 नवम्बर से हुई सभी घटनाओं की चर्चा की जानी चाहिये । मेरे विचार से इन घटनाओं की यहां चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि ये घटनाएं विधान सभा के अन्दर की हैं । प्रश्न औचित्य का है । वहां संवैधानिक व्यवस्था भंग नहीं हुआ है । सभा की बैठक 9.00 बजे हुई है । यहां यदि विपक्षी दल सभा में उपस्थित न होने का निर्णय करें तो क्या यह माना जाएगा कि संवैधानिक व्यवस्था भंग हुई है । ? (**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल में भी कोई विपक्षी ह , उसे भंग क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री कल्याण सुन्दरम : मैं यह सुझाव नहीं देता कि तमिलनाडु विधान सभा के अन्दर हुई घटनाओं की यहां चर्चा की जाये परन्तु बाद की घटनाओं की जानकारी हम चाहते हैं : वह राज्य भी तो भारत का ही एक अंग है । हम जानना चाहते हैं कि राज्यपाल ने सरकार को क्या रिपोर्ट भेजी है । हम केवल संवैधानिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री सी० टी० दंडपानि (धारापुरम) : यह सम्भव नहीं है ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरूचिरापल्ली) : हम जानते हैं कि वे दोषी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमने दोनों पक्षों की बात सुन ली है ।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : यह अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम अथवा द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की बात नहीं है । यह संवैधानिक औचित्य का मामला है । तमिल नाडु विधान सभा में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो संवैधानिक रूप से उचित नहीं हुई हैं । साथ साथ दो बैठकें चल रही थीं । माइक बन्द कर दिये गये थे । ऐसी अनेक बातें हुई । (**व्यवधान**) ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : उनकी कार्यवाही के बाद हमने कार्यवाही की थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही सोचता था कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के सदस्य अहिंसावादी हैं . . .

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : आपको उस राज्य में जा कर देखना चाहिये कि वे कितनी हिंसा कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन बातों पर विचार करना होगा अर्थात् क्या यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, क्या हम विधान सभा के अध्यक्ष के आचार पर और विधान सभा में जो कुछ हुआ है, उस पर चर्चा कर सकते हैं , और विधान सभा के अध्यक्ष महोदय न्यायालय में जाते हैं या नहीं ? मैंने अभी इन मामलों पर पूरी तरह विचार नहीं किया है । वे सब हमारे मित्र हैं । हम उनके अतिथि रहे हैं । जब हम वहां पर थे तो स्थिति बिल्लकुल सामान्य थी ।

श्री के० मनोहरन : आप एक या दो दिन का समय निकाल कर तमिल नाडु में राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करें . . . ,

श्री सेझियान : अध्यक्ष महोदय उस राज्य की राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रक्रिया और संवैधानिक पक्ष पर विचार करूंगा ।

श्री के० मनोहरन : धन्यवाद । एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या राज्यपाल का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है या नहीं । निःसन्देह उस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला है । इस मामले को विधान सभा के अध्यक्ष महोदय न्यायालय में ले गये हैं या नहीं, इस बात की भी आपको जानकारी नहीं है । आप यह जानकारी प्राप्त करने के बाद इस मामले पर विचार कर सकते हैं । उसके बाद ही सभा में भी चर्चा की जा सकती है ।

Mr. Speaker : I thought such incidents can occur in Punjab and Bengal only. But now they have started in Tamil Nadu also.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, You are Chairman of Presiding Officers conferences. May I know as to whom you consider the speaker of Tamil Nadu Legislative Assembly.

Mr. Speaker : I do not know at present.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(PAPERS LAID ON THE TABLE)

खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

मैं श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय की ओर से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 436 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3890/72]

केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चाव्हाण) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से दिसम्बर 1972 में केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा, अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3891/72]

फल उत्पाद (संशोधन) आदेश और कम्पनी अधिनियम सम्बन्धी पत्र

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत फल उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में, अधिसूचना संख्या का० आ० 3537 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3892]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ, का वर्ष 1969-70 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3893/72]

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित सूखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3894/72]

भारतीय खान विद्यालय धनबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय म रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3895/72]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

24वां प्रतिवेदन तथा कर्यवाही-सारॉश

श्री के एन० तिवारी (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं:—

(1) वित्त मंत्रालय—अनुदानों की मांगों के प्रपत्र और विषय-सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी चौबीसवां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक
CRIMINAL PROCEDURE CODE BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

कार्यवाही सारांश

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं दण्ड प्रक्रिया से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्षय (खण्ड 1 और 2) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

नई दिल्ली-हैदराबाद दक्षिण एकसप्रेस और हावड़ा दिल्ली जनता एकसप्रेस की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

Statement re. Accident to New Delhi Hyderabad Dukshin Express and Howrah-Delhi Janta Express

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं सदन को महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ हुई दो दुर्घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिये खड़ा हूं जो इस महीने की क्रमश: 2 और 3 तारीख को हुई ।

2–12–1972 को लगभग 08.00 बजे जब 22 अप नयी दिल्ली–हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस मध्य रेलवे के झांसी मंडल के बीना–भोपाल बड़ी लाइन के दोहरी लाइन खण्ड पर गंज-बसोदा स्टेशन पर पहुंच रही थी तब गाड़ी के 8 पिछले डिब्बे पटरी से उतर गये । इस दुर्घटना के कारण सीधी संचार व्यवस्था भंग हो गई थी जो डाउन लाइन पर 12.05 बजे फिर से चालू कर दी गयी ।

सात रेल कर्मचारियों को, जो सभी भोजनयान में कार्य कर रहे थे, चोटें आयीं–उनमें से दो को गम्भीर, दो को मामूली और शेष तीन को बहुत मामूली चोटें आयीं । घायल व्यक्तियों का तत्तकाल प्राथमिक उपचार किया गया और आगे इलाज के लिये इन्हें गंज बसोदा के सिविल अस्पताल भेज दिया गया । जिन दस यात्रियों को बहुत मामूली चोटें आयीं थीं उनका भी प्राथमिक उपचार किया गया और फिर गंजबसौदा के सिविल अस्पताल में और बाद में बीना के रेलवे अस्पताल में उनकी चिकित्सा की गयी ।

गम्भीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को और मामूली चोट वाले दो व्यक्तियों को अनुग्रह भुगतान कर दिया गया है ।

दुर्घटना की सूचना पाते ही, सहायता और बचाव कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए वरिष्ठ रेल अधिकारी घटना स्थल पर तुरन्त पहुंच गये ।

इस समय चार रेल कर्मचारियों का बीना रेलवे अस्पताल में उपचार हो रहा है। उनकी हालत में सुधार हो रहा है। अन्य लोगों को छुट्टी दे दी गयी है।

दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। इस महीने की 8 तारीख से रेल संस्था के आयुक्त बीना में इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेगी।

3–12–72 को लगभग 06.15 बजे, 39 अप हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ी, उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल के टूण्डला-गाजियाबाद बड़ी लाइन के दोहरी लाइन वाले खण्ड पर सोमना और डांबर स्टेशनों के बीच टूण्डला–गाजियाबाद शंटिंग गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गयी। इस दुर्घटना में जनता एक्सप्रेस के ड्राइवर, प्रथम और द्वितीय फायरमैन तथा ब्रेकमैन इन चार रेल कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी। एक्सप्रेस गाड़ी के हैल्पिग फायरमैन तथा शंटिंग गाड़ी के गार्ड को गम्भीर चोटें आयीं। एक यात्री को मामूली चोटें तथा अन्य 11 को बहुत मामूली चोटें आयीं। इन सभी 12 व्यक्तियों को प्रथम उपचार के बाद यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी गयी।

सहायता और बचाव कार्य के पर्यवेक्षण के लिए उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर जा पहुंचे।

दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जनता एक्सप्रेस का इंजन और एक बोगी पटरी से उतर गये। शंटिंग गाड़ी का ब्रेकयान और दो माल डिब्बे भी पटरी से उतर गये। सीधी संचार व्यवस्था जो भंग हो गयी थी उसी दिन 23.15 बजे फिर चालू कर दी गयी।

गम्भीर रूप से घायल दो कर्मचारियों का अब रेलवे सेन्ट्रल अस्पताल नयी दिल्ली में इलाज हो रहा है। बताया जाता है कि दोनों खतरे से बाहर हैं।

दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। रेल संस्था, उत्तरी सर्किल के अपर आयुक्त आज खुर्जा में इस दुर्घटना की सांविधिक जांच शुरु करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने हरियाणा के अध्यापकों की हड़ताल के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था.....

अध्यक्ष महोदय : हर बार खड़े मत होइये।

श्री ज्योतिर्मय वसु**

अध्यक्ष महोदय : विषय का कुछ भी प्रयोजन हो परन्तु उसे करने का कोई ढंग या प्रक्रिया होनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सभा का कार्य स्थगित करने के लिये स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का समय चला गया है क्योंकि आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उनके साथ पुरानी दिल्ली से बोट क्लब आ रहा था, यह स्थगन प्रस्ताव के लिये उचित मामला है**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैंने कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की पहले ही अनुमति दे रखी है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस मामले को नहीं उठा रहा हूं परन्तु यदि लोग आकर आपको कुछ देना चाहें तो क्या प्रतिक्रिया है ? धारा 144 लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : उनमें से कोई एक आकर मुझे कुछ दे सकता है परन्तु जैसा वे चाहें अध्यक्ष हर बार बाहर नहीं जा सकता। उनमें से किसी एक को एक संसद् सदस्य यहां ला सकता है अथवा याचिका दे सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिना कटाक्ष किये, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोक सभा है अथवा परलोक सभा, वे यहां आ नहीं सकते . . . **

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा तो कभी नहीं रही है कि अध्यक्ष से उनसे मिलने को कहा जाये। माननीय सदस्य उनके अभ्यावेदन ला सकते हैं और एक या दो प्रतिनिधियों को मेरे पास ला सकते हैं. . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके लिये समय दीजिये ताकि आज दोपहर में मैं उन्हें ले आऊं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भविष्य में इस प्रथा को अनुमति नहीं दूगा। यदि वे याचिका देना चाहते हैं तो वे माननीय सदस्यों के माध्यम से दे सकते हैं।

(तत्पश्चात् लोक सभा दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL FIFTEEN MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर उन्तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई)

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT NINTEEN MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

उत्तर प्रदेश के एक गांव में घरों को जला दिये जाने के बारे में

Re. alleged burning of houses in Uttar Pradesh

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : नोनारी गांव में मुसलमानों के घरों को जलाने के बारे में आज 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में गंभीर समाचार प्रकाशित हुआ है। उसमें कहा गया है :

"नोनारी गांव (आजमगढ़ जिला) में मुसलमानों के 70 घरों को लूटा गया और जला दिया गया . . ."

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को इस समाचार की जानकारी है।

**कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे । नियम 377 के अन्तर्गत इस मामले को उठाने का मुझे अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मत समझिए कि संसद् सदस्य ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं । आप यह बताइये कि आप कहना क्या चाहते हैं परन्तु समाचार-पत्र मत पढ़िए ।

श्री ज्योर्तिमय बसु : मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे । जिसमें सही आंकड़े हों और यह भी कहा गया हो कि जिन मुसलमानों के घर लूट लिये गये हैं उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही ह ।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह विषय कार्यवाही सूचि में शामिल नहीं है तथापि देश में कोई ऐसी बात होती है जिसे सदस्य महसूस करते हैं तो वे उसे सभा के समक्ष रखते हैं । मैंने इसकी अनुमति दे दी है । यदि समाचार-पत्र में ठीक कहा गया है तो यह दुर्भाग्य की बात है । यह किसी विशेष राज्य से सम्बद्ध कानून और व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अल्प संख्यकों का मामला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब इसमें अल्प संख्यकों के शामिल होने का आरोप है तो सरकार के लिये यह उचित है कि वह इस पर ध्यान दे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is reported in the newspapers that the C.I.A. has tried thrice to assassinate the Prime Minister. This news has emanated from Kuwait. I do not know if it is correct or wrong. But if C.I.A. is doing so, then this Government should be serious about it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत गम्भीर और खतरनाक समाचार है । हम चाहते हैं कि सरकार श्वेत पत्र प्रकाशित करे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : आपने इस मामले को उठाने की अनुमति देकर अच्छा किया है । चूंकि सभा इस मामले पर विचार कर रही है तो सरकार को यह बताना चाहिये कि इस समाचार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से इस पर अपनी प्रतिक्रिया चाहे वह कैसी भी हो बताने को कहें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : पहले एक अवसर पर जब श्री इसहाक संभली ने फिरोजाबाद में मुस्लिम परिवारों पर हुई दु:ख की गाथा सुनाई थी तब अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहा था । श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने वक्तव्य दिया था । अत: मंत्री महोदय को इस बारे में भी वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये सी० आई० ए० के मामले पर भी यहां चर्चा की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ सदस्यों ने कहा है, सरकार उस पर ध्यान दे ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मुझे इस विषय में उतना ही दु:ख है जितना सभा को । इस बारे में आंकड़े एकत्र करने होंगे ।

सी० आई० ए० के बारे में जो समाचार हैं उसे मैं श्री बाजपेयी पर ही छोड़ता हूं क्योंकि मैं केवल अखबारों के समाचार हैं (**व्यवधान**) ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस मामले में एक पूर्वोदाहरण है । जब फरीदाबाद और वाराणसी में अत्याचार हो रहे थे तब मैंने इस सभा में इस मामले को उठाया था और उस पर मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था ।

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा बोनस संदाय (संशोधन) विधयक

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE AND PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : I will speak whether the hon. Minister listens or not....

उपाध्यक्ष महोदय : इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री को पता है कि उनके विधेयक पर सभा में विचार हो रहा है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं सुन रहा हूं ।

Shri Mohammad Ismail : 8·33 per cent Bonus is being provided by this Bill now. The right of workers and employees in the country has been recognised in regard to Bonus. The employees of the Defence Department, Railway Work-Shops, P. & T. Department, Reserve Bank etc. should be included in it.

The Railway Federation, P. & T. employees as well as Defence Unions have unitedly demanded Bonus. If we do not consider their demands they would be forced to take up agitational methods. When we are allowing Bonus to employees of Public Sector undertakings it leads other Government employees to think that they are also eligible for Bonus. There is no justification for denying them this benefit. This demand should be accepted.

According to rules, Bonus would be allowed in the Industries where more than 20 workers were employed. We are going for modernisation of Industries and in the process the number of workers is getting sliced. As production is not affected in the process, this limit of 20 workers should be reduced to 10 workers.

Government should make casual and contract labour also eligible for the payment of Bonus.

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore) : I support this Bill which is based on Presidential Ordinance. There was a time when payment of Bonus depended on the kindness of employers. This system started with the first world war but after sometime, i.e. after 1922-23, it was again stopped. During the Second World War, when employers' started earning huge profits, the question of payment of Bonus to workers again arose. But our country was under the British rule and there was no hope of justice for workers, thereafter, profit-sharing system was introduced wherein workers used to get Bonus after a specified profit level. No Bonus used to be given by Mills running on loss. But to-day, due to the Unity of Workers, the Government have accepted the principle of payment of Bonus to the workers of concerns running even on loss. But even then due to mismanagement and other manipulations, in Balance-Sheets the workers were kept deprived of this benefit. Workers had again to agitate for Bonus of 8·33 per cent. Ultimately a Bonus formula, known as Khadilkar formula was evolved which established peace in the country. Bonus for the year 1970 was distributed in accordance with this formula.

The Government deserves congratulations for taking this socialistic step. As a representative of workers, I am grateful to the Government. I would like to point out here that this formulae had to be evolved till the recommendations of the Bonus Reviewing Committee become available. But now the Government has gone back on its earliest decision and introduced this decision with effect from the year 1971 in place of 1970. This is creating tension and workers have started thinking that why this was not being made effective from the year 1970.

Then most of the establishments, where workers are not organised, have not paid Bonus in accordance with the formulae. I request that there should not be any discrimination in this regard. This is injustice, Government have taken over three textile Mills in their hands. But workers of these Mills are not being given Bonus whereas it is being paid to the workers of Textile Mills of Private Sector. It has also not been disbursed in certain other Projects which are being managed by State/Central Governments or Corporations, though specific provisions exist in Balance Sheets. Government should also make its policy clear about payment of Bonus to workers of Sugar mills and Ginning factories, which are seasonal industries.

I would also like to point out that method of calculating Bonus is not very easy to be understood. Employers make manipulations in the Balance Sheets. Government should keep a watch over it.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बोनस की दर को 4 से 8.33 प्रतिशत करने पर सरकार बधाई की पात्र है। यह कहा गया है कि वर्तमान मूल्य वृद्धि का कारण बोनस की अदायगी है। वस्तुत: यह नीति भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी की थी। परन्तु हमने अनेक बार इसका खंडन किया है।

मेरा विचार था कि श्री मोरारजी के निष्कासन के साथ यह नीति भी बदल गई होगी। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी उसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्त मंत्री भी इसी प्रकार की बातें कह रहे ह।

यह बात सर्व विदित है कि देश में इस समय 7,000 करोड़ रुपये के लगभग काला धन परिचलन में है। सरकार ने सौ रुपये के करैंसी नोटों के अवमूल्यन के बारे में बांचू समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। मूल्य वृद्धि का कारण यह काला धन है।

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मांग की है कि प्रत्येक वेतन भोगी को बोनस मिलना चाहिये। सरकार स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के पश्चात भी मूल्य वृद्धि रोकने में असफल रही है। वेतन भोगी बड़ी कठिनाई से अपने परिवार को भुखमरी से बचा पा रहे हैं। वह वेतन में से कुछ भी बचा नहीं पाते हैं। इसी कारण, 12 मास के कार्य के स्थान पर 13 मास के कार्य वेतन की मांग की गई है।

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है। श्री खादिलकर ने, शायद अज्ञानतावश, बोनस पुनरीक्षा समिति को गुमराह किया है। उक्त समिति की रिपोर्ट में कहा है कि श्रम मंत्री ने संसद में एक वक्तव्य देकर कहा है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर तृतीय वेतन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह विषय तृतीय वेतन आयोग के निर्देश पदों में सम्मिलित नहीं है। इन 28 लाख कर्मचारियों को बोनस से वंचित नहीं किया जा सकता। यह एक अभूतपूर्व भेदभाव है। माननीय श्रम मंत्री को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये कि वेतन आयोग का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है और सरकार इस बारे में शीघ्र ही निर्णय करेगी। मैं इस सम्बंध में अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं बोनस की मांग स्वीकार करके सरकार ने जो प्रशंसा अर्जित की है वह 28 लाख कर्मचारियों को बोनस से वंचित करने से नष्ट हो जायेगी।

विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि 8 33 प्रतिशत से ऊपर बोनस की राशि भविष्य निधि में जमा की जायेगी। परन्तु हमें यह स्वीकार करना है कि क्या कोई बचत करना श्रमिक की क्षमता में है। भारतीय मानक संस्था ने हाल ही में बम्बई में 480 परिवारों के सर्वेक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि 150–250 रुपये वेतन स्तर वाले कर्मचारियों पर 2000 रुपये तक का ऋण है और 250–350 के वेतन स्तर के कर्मचारियों पर 1200 रुपये ऋण है। यह है उनकी स्थिति। वह परिवार के लिये बचत ही करना चाहते हैं परन्तु स्पष्ट है कि उनकी क्षमता नहीं है अत: 8. 33 प्रतिशत से ऊपर की राशि को भविष्य निधि में जमा करने की बात स्वैच्छिक होनी चाहिये। इस संबंध में किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। यह बचत तभी संभव हो सकती है जबकि कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन मिल रहा हो।

सप्ताह में सात दिन के काम की बात की जा रही है। परन्तु किस बात के लिये काम किया जाए। क्या देश का उत्पादन बढ़ाना है अथवा मिल मालिकों का मुनाफा बढ़ाना है। माननीय श्रम मंत्री को इस विषय में हमारे संशोधनों का समर्थन करना चाहिये।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : इस देश में श्रमिकों को बोनस की अदायगी का भी अपना ही इतिहास है। पहले बोनस की अदायगी नियोजकों की मरजी पर निर्भर करती थी। कभी कभी बोनस त्यौहार के अवसर पर दिया जाता था और कभी 'अनुग्रह पूर्वक' अदायगी के रूप में दिया जाता है।

उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप बोनस आयोग की नियुक्ति हुई। परन्तु फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि काफी संख्या में श्रमिक बोनस अधिनियम 1965 के अधिकार

क्षेत्र से बाहर रखे गये । श्रमिक संगठनों ने आन्दोलन किया और उसके परिणाम-स्वरूप सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ कर्मचारियों को बोनस देने की बात सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली ।

उसके पश्चात न्यूनतम बोनस को 4 से 8.33 प्रतिशत तक करने की मांग उठाई गई है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सिफारिश को स्वीकार कर लिया ।

परन्तु इसके साथ ही सरकार ने बोनस की अदायगी की बात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं की है । आज देश में हमारी सरकार सब से बड़ी नियोजक है । अतः सरकारी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी से वंचित करने में कोई न्याय संगत आधार नहीं है यह दलील दी जा रही है कि सरकार को बहुत अधिक खर्चा करना पड़ेगा । यदि सरकार यही दलील लेती है तो मेरे विचार से न्यूनतम बोनस को 4 प्रतिशत से 8.33 प्रतिशत करने में कोई युक्ति संगतता नहीं थी । उसमें भी तो आखिर राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर ही भार पड़ना है । सरकार को अंत में यह मांग स्वीकार करनी ही होगी । सरकार को श्रमिकों की संगठित शक्ति के सामने अंत में झुकना पड़ेगा ।

इस संबंध में देश में यह भ्रांति पैदा करने का प्रयास किया गया है । संयुक्त वार्ता संगठन की बैठक में सरकार ने बताया है कि बोनस पुनरीक्षा समिति इन सभी प्रश्नों पर विचार करेगी । परन्तु मामले के अनुसरण के समय हमें बताया गया कि इसका निर्णय सरकार स्वयं करेगी । अब श्रम मंत्री कहते हैं कि तृतीय वेतन आयोग इस बात का निर्णय करेगा । हम चाहते हैं कि सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को बोनस मिले ।

सरकार मामले को टालना चाहती है । सरकारी कर्मचारी और औद्योगिक कर्मचारी की तुलना करना गलत है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस गंभीर स्थिति पर विचार करे जो इस प्रश्न से पैदा हुई है । अन्यथा एक अभूतपूर्व संघर्ष पैदा हो जायेगा ।

यह किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है । इस प्रश्न पर विचार गुण दोष के आधार पर होना चाहिए । यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है । अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरा सुझाव स्वीकार किया जाए । माननीय मंत्री महोदय के भाषण के अंतिम पैरा से हमें इस बारे में कुछ आशा भी बंधी है । अतः मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि बोनस अधिनियम पारित करते समय रेलवे कर्मचारी, प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा डाकतार कर्मचारियों को उस में शामिल किया जाए ।

सरकार कर्मचारियों से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं कर सकती जैसा वह स्वयं कर्मचारियों क लिये नहीं कर सकती । अतः मैं चाहता हूं कि इस मामले में भ्रम पैदा नहीं किया जाना तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम लागू किया जाना चाहिए ।

श्री था किरुतिनन (शिवगंज) : सभा में बोनस अदायगी (संशोधन) विधेयक का पेश हो जाना श्रमिकों के संघर्ष की आन्शिक सफलता मात्र है यद्यपि श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग सरकार ने बोनस से वंचित कर दिया है । अतः इस में सरकार को भी विभाजित करके शासन करने की अपनी नीति में आंशिक सफलता मिली है क्योंकि उन्होंने एक वर्ग को बोनस की अधिक राशि दी है और इस प्रकार श्रमिकों में परस्पर फूट डाल दी है ।

यद्यपि इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं तथा सरकार को पूरी तरह एक प्रगतिशील विधेयक लाना चाहिये था तथा काफ़ी समय पूर्व लाना चाहिये था । यह विधेयक वस्तुतः भारत सरकार तथा श्रमिक वर्ग के बीच एक लम्बे संघर्ष का परिणाम है तथा अन्ततः श्रमिक वर्ग को इस संघर्ष में आन्शिक सफलता मिली है । मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि यह संघर्ष पूरी सफलता मिलने तक जारी रहेगा और सरकार को चाहिये कि वह सरकारी उपक्रमों, डाक व तार विभाग, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, केन्द्रीय तथा राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और नगरपालिकाओं अस्पतालों तथा निगमों के कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस का लाभ दे । जब कि सरकार अन्य नियोक्ताओं को बोनस देने को कह रही है तो उसे स्वयं भी एक उदाहरण बनकर सामने आना चाहिये । रेलवे विभाग को उद्योग घोषित किया गया है परन्तु उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है । क्यों ? क्या रेलवे कर्मचारियों को अधिक मजूरी दी जा रही है ? कारण तो बस यही है कि यह विभाग केन्द्र सरकार के अधीन है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है । । यह अन्याय है ।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह इस मामले को लम्बा न ले जाये अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे । सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले तथा उपरोक्त सभी श्रेणियों के सभी कर्मचारियों को बोनस का लाभ दें ।

इस विधेयक में "बोनस" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है । क्या यह अनुग्राहत्मक अदायगी है । यह पद्धति बहुत ही पुरानी पड़ चुकी है । इसका अर्थ मुनाफ़े में भागीदार होना न होकर कुछ और है । उच्चतम न्यायालय ने भी श्रमिक अपील ट्रिब्यूनल को अपने-अपने फार्मूले पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया था । इसीलिये सरकार ने बोनस आयोग नियुक्त किया था जिसने कि पूरे चार वर्ष बाद अपना प्रतिवेदन पेश किया है । वर्ष 1965 में जारी किये बोनस (अधिनियम) द्वारा 4 प्रतिशत बोनस देने के प्रश्न पर भी विवाद उठा था और उस विधेयक द्वारा अन्ततः यह स्वीकार कर लिया गया है कि लाभ न होने पर भी न्यूनतम बोनस दिया ही जाना चाहिये ।

यह भी स्वीकार किया गया है कि बोनस एक विलम्बित मजूरी है तथा वस्तुतः यह देश में वास्तविक मजूरी तथा आवश्यकता पर आधारित मज़दूरी को बीच के अन्तर को कम करने के लिये है । अतः इसकी अदायगी केवल औद्योगिक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी क्षेत्रों के लोगों को मिलनी चाहिये । बोनस वस्तुतः सामाजिक न्याय का प्रतीक है । और सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संगठित क्षेत्रों जैसे कृषि श्रमिकों, भूमिहीन श्रमिकों, छोटे-छोटे कारिगरों, जो सामाजिक शिक्षा अथवा श्रम विधि आदि के लाभों से वंचित है, के अतिरिक्त अन्य क्षत्रों में काम करने वाले सभी लोगों को इस बोनस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाय न्यूनतम बोनस की अदायगी का मुनाफे आदि के होने या न होने से कोई संबंध नहीं है इसका अभिप्रायः तो मजूरी में अप्रत्यक्ष वृद्धि करना है और यह लाभ न मिलने से रेलवे कर्मचारियों में भारी निराशा व्याप्त है । रेलवे कर्मचारियों को इस योजना से अलग रखना उनके साथ कटु भेदभाव करना है ।

कुछ राज्यों में परिवहन उपक्रमों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है और अब वे राज्यों के नियंत्रण में हैं । पहले इन उपक्रमों के कर्मचारी बोनस के अधिकारी थे । न जाने अब ऐसा है कि नहीं ।

इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत गैर-सरकारी बैंको के कर्मचारियों का भी मामला है वे भी केन्द्र सरकार के अधीन है । मुझे सन्देह है कि उक्त कर्मचारियों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया गया है । मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें । साथ ही यह भी बतायें कि सरकारी अधिकार में लिये गये कपड़ा मिलों के मजदूरों को भी बोनस का पात्र माना गया है अथवा नहीं । यदि नहीं, तो यह भी भेदभाव रखने की बात होगी ।

औद्योगिक उत्थान में गत दस वर्षों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि श्रमिकों के खून पसीना एक किये गये का फल है । दूसरी ओर रुपये का मूल्य घट कर 44 पैसे रह गया है अर्थात् रुपये का 50 प्रतिशत मूल्य घट गया है । इस तरह मजूरी भी आधे मूल्य की रह गयी है : साथ ही मूल्यों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है । इस प्रकार सरकार समझ सकती है कि एक कर्मचारी की जीविका कितनी रह गई है तथा क्या इसका प्रभाव सरकारी कर्मचारियों, रेलवे, डाक व तार तथा अन्य कर्मचारियों पर नहीं पड़ा है ?

सरकार करों की चोरी को माफ करती जाती है । वांचू समिति के अनुसार देश में 1500 करोड़ रुपये के करों का अपवंचन हो रहा है । और सरकार कोई चिन्ता नहीं करती । परन्तु सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के लिये 200 या 250 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार नहीं है ।

न्यूनतम बोनस को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत कर देने का मैं स्वागत करता हूं, परन्तु इसमें से अधिकतम सीमा की शर्तें भी खत्म कर दी जानी चाहिये । श्रमिक समस्या राज्यों का विषय है तो उसके लिये श्रम कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया जाये । इसी से पता चल सकता है कि किस राज्य की सरकार कितनी प्रगतिशील है ।

Shri Damodar Pandey (**Hazaribagh**) : I Congratulate the Government on enhancing the rate of Minimum Bonus from 4% to 8·33%. It is true that bonus is a deferred wage and this increase of about 4·33 per cent in the annual wage of a large number of industrial workers all over the country is really a big step; but why a little step of including the railway and textile employees in the public sector was not taken? Why do you discreminate between one section and the other section of public sector employees? So, I appeal that all the workers of all the public sector undertakings should be paid bonus.

I quote the terms of reference of the Bonus Review Committee : "Whether establishments (other than factories) employing less than 20 workers, may be covered by the Act, and if so, upto what limit of employment? Should there be a separate formula for payment of bonus to these small establishments?"

Thus the above term does not specify whether the Govt. establishment and factories would get it or not. And I should take it that this issue is not at all under the consideration of the Committee. Similarly it does not appear that it is being considered by the Pay Commission. Only the question of retirement benefit and emoluments have been mentioned in the terms of reference and so there is no question for the Pay Commission to consider this issue on their own. Therefore the Government should agree with the Bonus Committee's recommendations that the above quoted establishments should be given the benefits of bonus. Let the Hon. Minister accept the amendments put in this behalf. It is not at all worth while, desirable or justifiable to

deprive a sector of the workers of this benefit. This would certainly put an end of the increasing unrest and disappointment among the ignored Section of the workers. Delay in this matter would bring up more difficult problems for the Government. So they should accede to this genuine demand.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : I welcome the increase made in the minimum bonus from 4 per cent to 8·33 per cent. I would like that it should be given not only to 35 lakh of workers but to all the 170 lakh workers including those getting daily wages, since it is only a deferred wage until the regular wages do not come to the level of need based minimum wages. Then the minimum limit of 20 employees in an establishment should also be erased and bonus should be given even to the single man working.

Then new industries have been exempted from giving bonus upto five years. This is also not right. It should be given right from the very first year. The limit of 20% maximum is also wrong.

Also I oppose the depositing of a part of the increased bonus in the Provident Fund account. It should be given in full.

(SHRI R.D. BHANDARE IN THE CHAIR)

श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए

I oppose the ceiling on the bonus; and I wish the employers who pay maximum bonus should be given national honour.

Finally, I once again insist on including the excluded section of establishments under the provision of bonus provided of bonus benefits.

श्री एम० राम० गो ाल रेड्डी (निजामाबाद) आज देश में प्रत्येक श्रमिक की आय औसतन 300 रुपये मासिक से कम नहीं है जिसमें भविष्य निधि उप-दान या बोनस आदि भी शामिल है। इस प्रकार उनकी वार्षिक आय 3600 रुपये वार्षिक है जो कि देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से 8 गुणा है (व्यवधान) फिर भी वे और अधिक की मांग करते हैं। यहां तक की यह मांग भी की जा रही है कि रेलवे तथा डाक व तार कर्मचारियों को भी बोनस मिले। इसके लिये वे सरकार को धमकियां देते हैं। परन्तु मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार इन धमकियों के सामने कभी नहीं झुकेगी।

इस देश में कई करोड़ कृषि मजदूर हैं जिनकी मासिक आय 20 रुपये भी नहीं है और ये लोग इन गरीबों की कोई भी फ़िक्र नहीं करते। गांवों में लोग वर्ष में 8 महीने बेकार रहते हैं। हमें चाहिये कि हम कारखाने आदि लगाकर इन लोगों के लिये रोज़गार उपलब्ध करायें। मेरी सिफ़ारिश है कि जो कुछ भी सरकार बोनस, भविष्य निधि या और किसी लाभ के रूप में दे उस सारी राशि की एक अलग निधि बनाकर उससे नये-नये कारखाने खोले ताकि इन श्रमिकों को तथा इनके बच्चों को रोज़गार मिल सके। हमने चीनी के सरकारी कारखानों में ऐसा किया है और वे लोग बहुत संतुष्ट हैं वहाँ कभी हड़ताल नहीं होती। आज हर व्यक्ति बोनस के लिये हड़ताल करने की धमकी दे रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि या तो पैसा हो नहीं तो हड़ताल करेंगे, इसमें भी कोई तुक है ? मैं कहता हूं कि उन लोगों को हड़ताल करने दें उनके स्थान पर सैंकड़ों लोग काम करने को तैयार हैं, आंध्र

प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों ने हड़ताल की । मैंने मुख्य मन्त्री से कहा कि आप उन्हें हड़ताल करने दें मैं एक-एक के स्थान पर बीस-बीस व्यक्ति ला सकता हूं जो उनसे अच्छा कार्य करेंगे । वस्तुतः तो हमारे देश का श्रमिक वर्ग हमारे देश के निर्धन लोगों का खून चूसना चाहता है ।

एक बात और । यह बड़ा अच्छा है कि हमारे मंत्रालयों में गैर-तकनीकी मंत्री रखे जा रहे हैं । स्वास्थ्य मंत्रालय में श्री दीक्षित के स्थान पर यदि कोई डाक्टर मंत्री होता तो इस मंत्रालय का बेड़ा गर्क हो जाता । अतः श्रम मंत्रालय में किसी श्रमिक नेता को श्रम मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिये ।

धन्यवाद ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : बोनस अधिनियम 1965 में संशोधन के लिये जब मैंने गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था तो उसे यहां भारी बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया था परन्तु मैंने श्रम मंत्री को चेतावनी दी थी कि अन्ततः उन्हें देश के श्रमिक वर्गों के सामने झुकना पड़ेगा और धीरे-धीरे वे सभी बातें माननी पड़ेंगी जिनका प्रावधान मैंने अपने विधेयक में किया था । और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार को बोनस की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत करनी पड़ी । श्रमिक वर्गों की यह पहली विजय है, और अब भी भले ही मंत्री महोदय हमारे संशोधनों को अस्वीकार कर दें परन्तु अन्ततः उन्हें आज या कल स्वीकार करना ही होगा ।

दुर्भाग्य की बात यह है कि श्रम मंत्रालय कोई सिद्धान्त तो स्वीकार करता है परन्तु उससे संबंधित तर्कों तथा निष्कर्षों को नहीं स्वीकार करता । वर्ष 1965 धारा 10 के अनुसार चाहे लाभ हो अथवा हानि, न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये था तो फिर उसी समय से यह भी समझ लिया जाना चाहिये कि बोनस एक प्रकार की विलम्बित मजूरी है । यदि ऐसा न होता तो लाभ न कमाने वाले उद्योगों को आप बोनस देने पर बाध्य नहीं कर सकते थे ।

आज देश में बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिक तथा कृषि श्रमिक निर्धनता से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रहे हैं और उन्हें कम से कम न्यूनतम मंजूरी तो मिलनी ही चाहिये थी । यह नहीं हुआ और वास्तविक तथा आवश्यकता पर आधारित मजूरी में काफ़ी बड़ा अन्तर पड़ गया । और इस अन्तर को प्रान्शिक रूप से पूरा करने के लिये बोनस दिया जा रहा है । अतः यह विलम्बित मजूरी है, लाभ में हिस्सा नहीं है , ऐसा तो तब होता है जब उक्त बोनस आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी से ऊपर मिलता है । इस लिये बोनस एक विलम्बित मजूरी है ।

अब तर्क संगत बात यह है कि ऐसा भेदभाव करना उचित नहीं कि यह विलम्बित मजूरी डाक वर्ग के कर्मचारियों को तो मिले परन्तु दूसरों को नहीं मिले । वर्तमान मजूरी तथा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी का अन्तर तो सभी क्षेत्रों में विद्यमान है अतः सभी क्षेत्रों को बोनस दिया जाना चाहिये जिसमें रेलवे, प्रतिरक्षा, बैंक, सरकार तथा निजी क्षेत्र एवम् स्थानीय निकाय सभी शामिल है । सरकारी कर्माचारियों को तो अवश्य ही बोनस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।

अतः तत्संबंधी मेरे सभी संशोधन स्वीकार कर लिये जाने चाहियें । उनमें कोई नई बात नहीं कही गई है ।

इस संबंध में डा० राम गोपाल रेड्डी ने यह कहकर समस्या पैदा कर दी है कि श्रमिक वग एक सम्पन्न वर्ग है .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य उनकी टिप्पणीयों को गंभीरता से लेना चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि वह अपनी बात कहें।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु श्रीमन् श्रम मन्त्री के शब्दों को तो गम्भीरता से लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि यद्यपि श्रमिक संगठन न्यूनतम बोनस की मांग कर रहे हैं, परन्तु उन्हें साथ ही देश की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये साथ ही उन्होंनें यह भी टिप्पणी की थी कि संगठित श्रमिक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित वर्ग के हितों को हानि पहुंचा रहे हैं परन्तु मैं उन्हें यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की जब मांगे पेश होंगीं तब वह पुनः आर्थिक संसाधनों की बातें करने लगेंगे। इस देश में तो कृषि श्रमिकों जिनमें काफ़ी संख्या में हरिजन और आदिवासी हैं को भी न्यूनतम मजूरी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक स्तर पर अर्थात स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों आदि के अधिकारियों के लिए भी बोनस की मांगे करते हैं। हम संगठित वर्ग के दवाब से असंगठित वर्ग के हितों को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। स्वयं सरकार ही कृषि आयकर नहीं लगाना चाह रही है।

अतः मैं जब कोई मांग रखूंगा तो उसके लिये संसाधन भी बताऊंगा। श्री ए०पी० शर्मा ने कहा कि रेलवे प्रतिरक्षा डाक व तार कर्मचारियों के इलावा यदि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी बोनस रखा जाये तो 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यदि सरकार राज समिति की सिफारिशों पर गंभीरता से ध्यान दें, तथा कृषि आयकर लगा दे क्या देश में छिपे 3000 करोड़ रुपये के काले धन को बाहर निकालने, सम्पति आय तथा खर्च पर अन्तिम सीमा निर्धारित करदें, पूंजीगत शुल्क लगाये, कर वसूल करने वाली व्यवस्था को सुनियोजित कर दे तब, जैसाकि वांचू समिति नें निष्कर्ष निकाला है, उन्हें 700 करोड़ रुपये बकाया करों के रूप में सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं.....वांचू समिति के अनुसार 470 करोड़ रुपये के कर उद्योग-पति तथा श्रमिक लोग उड़ा ले जाते हैं, यदि कर वसूली व्यवस्था सुनियोजित हो तो 250 करोड़ रुपये से अधिक आय प्राप्त हो जायेगी। फिर इस मांग को स्वीकार करने तथा हमारे संशोधन को स्वीकृत करने में क्या कठिनाई पैदा होगी ?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं एक बात तो यह कहना चाहूंगा हूं कि 8.33 प्रति शत से अधिक की बोनस राशि को भविष्य निधि में जमा करने की बात पर पुनः विचार किया जाये क्योंकि मंत्री महोदय भी जानते हैं कि नियोक्तागण कर्मचारियों की भविष्य निधि का किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। उन लोगों ने तो अभी तक कर्मचारियों का अंशदान भी सरकार के पास जमा नहीं कराया है। अतः मजदूर नहीं चाहता कि उसकी गाढ़े पसीने की कमाई उसके नियोक्ता के हाथों में जाये क्योंकि इस विधेयक में तो यह भी नहीं बताया गया है कि यदि नियोक्ता उक्त राशि को तुरन्त न दे तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी। अतः यह अनिवार्य कटौती नहीं की जानी चाहिये।

आपने कहा कि यह विधेयक केवल एक वर्ष के लिये है। तो फिर इस अवधि में कितना अतिरिक्त बोनस होगा। बहुत अधिक तो नहीं होगा। फिर थोड़ी सी राशि के लिये कर्मचारियों को चिढ़ाने

का क्या लाभ ? फिर यह कटौती करने से मज़दूरों को आर्थिक परेशानी भी होगी । मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे ।

कृपया अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधनों पर भी ध्यान दें । बोनस एक विलम्बित मजूरी है इसलिये इसमें वृद्धि देनी ही होगी । फिर जब हम देश में न्यूनतम मजूरी का लक्ष्य प्राप्त कर लेंग तब बोनस संबंधी सभी बातें बदल जायेंगी । इस समय हम इसे विलम्बित मजूरी न कहकर लाभ में हिस्सेदारी कहेंगे । जब तक आप इसे विलम्बित मजूरी कहते हैं तब तक वास्तविक मजूरी तथा जीविका के बीच अन्तर को जोड़ना आवश्यक होगा ।

औद्योगिक कर्मचारियों को, जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है, कम से कम बोनस का लाभ तो दिए जाने के लिए शामिल किया ही जाना चाहिए । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो श्रमिकों में उत्तेजना फैल जाएगी और वह हड़ताल कर देंगे परिणामस्वरूप उत्पादन कम होगा और यदि सरकार किसी विशेष सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान करती है, तो अन्य सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को इस लाभ से कैसे वंचित रखा जा सकता है । अतः जहां तक कम से कम उन उद्योगों का सम्बन्ध है, जिन्हें सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया है, वहां के कर्मचारियों को बोनस का लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए ।

आशा है सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी तथा उन्हें स्वीकार कर लेगी ।

Shri M.C. Daga (Pali) : The interest that is being paid to the workers on provident fund is very much less than the rate of interest prevailing in the market or paid by the banks. The Hon. Minister should give reasons for this.

Prices of commodities are increasing day by day and the Government is unable to check them. The wages of the workers are low. If the Government will give sufficient wages to the workers, then they will work hard. This will increase production. The Government should take steps of radical nature to help the workers.

श्री आर० क० खाडिलकर : मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचारों को बहुत ध्यान से सुना है किन्तु मुझे खेद है कि वह एक सीमित दायरे से बाहर नहीं जा सके हैं । कुछ लोग इस बात से असंतुष्ट हैं कि श्रमिकों के कुछ वर्गों को बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखा गया है । मैं उन सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से विचार करें ताकि किसी समन्वित ढंग से वेतन मूल्य आय नीति को कार्यान्वित किया जा सके ।

जो लोग कर्मचारियों को अधिक वेतन देने की मांग करते हैं उन्हें अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि उन श्रमिकों की मांगे न्यायोचित नहीं है किन्तु हमें अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना है जो कि बराबर ही महत्वपूर्ण हैं, औद्योगिक समस्याओ का समाधान आन्दोलनों द्वारा नहीं हो सकता और ना ही यह श्रमिकों के लिए हितकर है ।

हमारे देश में श्रम संगठित क्षेत्र की दशा ग्रामीण श्रमिकों की तुलना में कहीं अच्छी है अतः यदि ग्रामीण श्रमिकों का भी ध्यान रखकर माननीय सदस्य कुछ कहते तो मुझे प्रसन्नता होती यही कारण है कि मैंने कहा है कि सदस्य एक सीमित दायरे से बाहर नहीं निकल सके । सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि ग्रामीण श्रमिकों की रक्षा की जाएगी । यदि माननीय सदस्य श्रमिक

वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो वह बीड़ी कर्मचारियों, हाथकरघा कर्मचारियों तथा मौसमी धन्धे करने वाले कर्मचारियों को क्यों भूल रहे हैं क्योंकि इन्हें श्रम संगठित क्षेत्र की भांति सुविधाएं नहीं प्राप्त है और न ही इन्हें कानून की रक्षा प्राप्त है। ऐसा उल्लेख किया गया है कि मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप लोगों की आय पर कुप्रभाव पड़ा है। अतः बोनस की राशि का कुछ भाग भविष्य निधि लेखे में जमा कर देने के सम्बन्ध में इस विधेयक में एक उपबन्ध बनाया गया है ताकि अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार से मुद्रास्फीति का दबाव न पड़े

यदि बोनस के इतिहास को देखा जाए तो 1965 में ये कमीशन के रूप में दिया जाना था और इसकी राशि कम से कम 4 प्रतिशत निश्चित की गई थी अब 6 वर्षों के उपरान्त यह राशि दुगनी कर दी गई है। मैं यह अनुभव करता हूं कि मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन स्तर गिर गया है।

गत 20 वर्षों के दौरान भारतीय श्रमिक वर्ग की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। जब श्रमिक वर्ग को संगठित नहीं किया गया था तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि इनकी उचित मांगे पूरी हों तथा इन्हें समुचित सुरक्षा प्राप्त हो, पहल की थी, श्री एस० एम० बनर्जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया है कि यह मामला वेतन आयोग अथवा बोनस समीक्षा समिति को क्यों नहीं सौंपा जाता। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वेतन आयोग अथवा कोई भी संदाय जिन्हें कर्मचारियों, चाहे वह औद्योगिक कर्मचारी हो अथवा गैर-सरकारी कर्मचारी हो, के वेतन तथा सेवा शर्तों की जांच करने का काम सौंपा गया है वे इसकी पूरी छान बीन करते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब भी हम बोनस के मामले में पूछते हैं तो सरकार कहती है कि यह विषय वेतन आयोग के निदेश पदों के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं माननीय सदस्य की बात स्वीकार करता हूं। मैंने बोनस आयोग की पुरानी कार्यवाहियों को देखा है उसमें सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की बात नहीं कही गई है।

और न ही इसका जिक्र 1965 के प्रतिवेदन में किया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उस समय बोनस को आस्थगित भुगतान नहीं माना जाता था अब बोनस एक आस्थगित भुगतान है। डाक तार विभाग और रक्षा विभाग कोई लाभ कमाने वाले संगठन नहीं हैं और अब जबकि बोनस को आस्थगित भुगतान मान लिया गया है। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए।

श्री आर० के० खाडिलकर : वर्तमान विधेयक अस्थाई है। जब वेतन आयोग तथा बोनस पुनर्मूल्यांकन समिति के अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएंगे तथा उन पर विचार कर लिया जाएगा तो उसके बाद सरकार संशोधन के लिए एक व्यापक विधेयक पेश कर सकती है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I am thankful to those members who have supported my resolution. I am sorry that the Hon. Minister has not attended to all the points raised by me. The present Bill will give

benefit to only 35 lakh people. The employees of Railways, P. & T. and other public undertakings, have not been covered under the Bonus Act. There is a growing demand among these employees for a bonus. The Government should give the benefit of bonus to these employees also. If they are deprived of it they will certainly agitate.

It is not proper to put a part i.e. 20 per cent of bonus in Provident Fund. Keeping the price rise in view the workers should be given full bonus in cash.

The Government should also protect the interest of labour in the rural sector. Since they are not organised they are being treated unjustly. They are being exportal by industrialists. They make bogus balance sheet to devour the money. There should be some arrangement for checking of the balance sheets.

The Government should bring forward a comprehensive Bill soon to cover all wage earners under the Bonus Act, with these words I request the house to accept the motion which I have moved.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा बोनस संदाय (संशोधन), 1972 (1972 का अध्यादेश संख्या 8) का जो राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1972 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय: : मैं संशोधन सख्या 1 और 18 प्रवर समिति को मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में फिर से संशोधन करने वाले विधेयक को 12 सदस्यीय प्रवर समिति को सौंपा जाए :

सदस्यों के नाम इस प्रकार है :–

1. श्री ब्रह्मानन्द जी स्वामी
2. श्री बी० के० दास चौधरी
3. श्री सी० डी० गौतम
4. श्री आर० के० खाडिलकर
5. श्री कृष्ण चन्द्र पांडें
6. श्री शक्ति कुमार सरकार
7. श्रीमती सावित्री श्याम
8. श्री शंकर दयाल सिंह
9. श्री तुला राम
10. श्री बालगोविन्द वर्मा
11. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य और
12. श्री राम नारायण शर्मा

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 18 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि "बोनस संदाय अधिनियम 1965 में फिर से संशोधन करने वाले विधेयक को 15 सदस्यीय प्रवर समिति को सौंपा जाए" सदस्यों के नाम इस प्रकार है :

1. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
2. श्री मूलचन्द डागा
3.
4. श्री आर० के० खाडिलकर
5. श्री राजा कुलकर्णी
6. श्री दामोदर पांडे
7. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे
8. श्री अनन्तराव पाटिल
9. श्री शक्ति कुमार सरकार
10. श्रीमती सावित्री श्याम
11. श्री नवल किशोर शर्मा
12. श्री राम नारायण शर्मा
13. श्री बालगोविन्द वर्मा
14. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा और
15. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में पुनः संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय: अब खण्डवार पर चर्चा होगी ।

खण्ड 2

श्री एस ० एम ० बैनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

डा ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु दण्डवते : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बैनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु दण्डवते : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बैनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हू।

श्री एस० एम० बैनर्जी (कानपुर) : मैंने मंत्री महोदय के भाषण को बहुत ध्यान से सुना है । उनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की मांग करते समय माननीय सदस्यों ने देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा है । उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है । यदि वेतन में वृद्धि ही मुद्रास्फीति का एक मात्र कारण है तो उनकी बात सही हो सकती थी । लेकिन मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कुछ अन्य कारण भी हैं । काले धन वाले अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था बनाए हुए हैं ।

मंत्री महोदय का कहना है कि जब इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विधान पेश किया जायेगा तथा जब वेतन आयोग और बोनस पुनरीक्षा समिति अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी तब सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

रक्षा कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, डाक और तार विभाग कर्मचारियों, अस्पताल के कर्मचारियों राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा निगमों के कर्मचारियों, सभी को बोनस दिया जाना चाहिए ।

इस सदन में यदि हम अपना भत्ता और वेतन बढ़ा सकते हैं तो क्या एक कर्मचारी एक वर्ष के बाद एक महीने का वेतन क्यों नहीं प्राप्त कर सकता ?

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन संख्या 2, 9 तथा 21 पर बल दूंगा ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : In the present context of things all definitions regarding bonus and its payment have changed. Why should then employees of other Deptts. be deprived of the bonus? The employees of the Railway, P. & T. and Defence Production should also benefit from the bonus. All the employees left out should be considered for the payment of bonus.

श्री मधु दण्डवते (राजपुर) : औद्योगिक तथा अन्य वर्गों के कर्मचारियों के लिये बोनस की मांग करते हुए हम यह मांग भी करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के कुशल प्रबन्ध हेतु श्रम मंत्रालय को मजदूर संघों के सहयोग से एक भिन्न कसौटी निश्चित करनी चाहिये । राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों के लिये उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया जाना चाहिये । मुद्रास्फीती के लक्षणों पर रोक लगनी चाहिये । गैर विकास व्यय को कम किया जाना चाहिये । यदि बोनस उत्पादन के लिये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है तो इससे उत्पादन में निश्चित वृद्धि होगी । मैं उत्पादन को मजूरी के साथ जोड़ने के पक्ष में हूं ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is really strange that the Government has tried to discriminate between labour and employees in the matter of payment of bonus. The Central Government employees should also get

the benefit of bonus. There is great resentment among the employees uncovered by bonus and a massive agitation is brewing.

With these words I press my amendment Nos. 12, 13 and 20.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरीमपुर) : यदि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस दे रहे हैं तो रेलवे और डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को इससे कैसे वंचित रख सकते हैं ?

गांव के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। उनकी पेय जल सरीखी बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने की ओर भी आप कोई कदम नहीं उठा रहे।

आपने कितने राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को कार्यन्वित करने के लिये कदम उठाये हैं? रुपये की कीमत घटकर 42 पैसे रह गई है और इस प्रकार श्रमजीवी वर्ग की मजूरी भी घट गयी है।

दबाव पड़ने पर ही आप कर्मचारियों की मागों को पूरा करते आ रहे हैं और 8.33 प्रतिशत बोनस की घोषणा भी आपने बम्बई के श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने के बाद ही की है जिसके लिये सरकार को श्रेय नहीं लेना चाहिये। आपको बोनस सरकारी कर्मचारियों सहित सभी को देना पड़ेगा।

श्रम और पुर्नवास मंत्री (आर० के० खाडिलकर) : वर्तमान बोनस योजना 1961 के बोनस आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इसमें परिवर्तन सरकारी उपक्रमों के मामले पर ही किया जायेगा।

बोनस मूलत: लाभ पर आधारित होता है। कई और दलीले भी दी गयी हैं जिनका मैं उत्तर भी दे चुका हूं। मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा।

सभापति महोदय : अब मैं श्री एस० एम० बैनर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 25 विपक्ष में 76

Ayes 25 Noes 76

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14 तथा 20 मतदान के लिय रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 2, 3, 8, 9, 10 12, 13, 14 and 20 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 को विधयेक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4

श्री फूल चन्द वर्मा (उज्जैन) : मैं अपने संशोधन संख्या 5 और 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामवतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : The Government should realise the spirit behind the amendments moved by me. This is a question of deferred wages. The workers will not be benefited if the excess 20 per cent is deposited in the provident fund account. Amendment moved by me should be accepted.

Shri Ramavatar Shastri : The proviso adjustment of 8·33 per cent bonus in the cases of those who are already getting more than this limit, may be deleted as it will lead to resentment among the workers.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रमिक बोनस की राशि को भविष्य निधि में जमा नहीं करना चाहते और बहुत से श्रमिक तो अपनी भविष्य निधि की राशि भी खो रहे हैं। आपने श्रमिकों की भविष्य निधि के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिये भी कहा था। आपने अब तक वह कानून नहीं बनाया। 8.33 प्रतिशत से अधिक मिलने वाला बोनस भविष्य निधि में जमा नहीं होना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : What is the reaction of the Minister to the amendments moved by me.

Mr. Chairman : The Minister said that he has already covered these points and has nothing more to add. I can not compel him (Interruptions)

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकार हुआ

[Amendment No. 7 was put and negatived]

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 26 और विपक्ष में 74

Ayes 26 Noes 74

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 15 was put and negatived

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 26 और विपक्ष में 72

Ayes 26 Noes 72

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5, 16 तथा 17 मतदान में लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

[Amendment Nos. 5, 16 and 17 were put and negatived]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5, 1, अधीनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 5, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री आर० के० खाडीलकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरी आधे घंटे की चर्चा का क्या बना ?

सभापति महोदय : इस विधेयक को पारित होने पर हम आधे घंटे की चर्चा पर विचार करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I request you take up the Half an-Hour Discussion and postpone this discussion for tomorrow.

Mr. Chairman : I have taken the permission of the House.

श्री आर० के० खाडेलकर : मेरे विचार में चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिये । अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि . . .

Mr. Chariman : They are requesting that it should not be taken up today.

हम इसे कल लेंगे । अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेते हैं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन मनान।*

Celebration of Netaji Subhash Chandra Bose Birthday

श्री समर गुह (कंटाई) : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रपुरुष से भी कुछ अधिक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने ऐसे महान् पुरुष पैदा किये हैं जिनके उदाहरण अन्य देशों के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में नहीं मिलते। देश की स्वतन्त्रता के लिये गांधी जी ने राष्ट्रीय आधार तैयार किया और नेताजी ने आजाद हिन्द क्रांति के रूप में भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई लड़कर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये निर्णयात्मक स्थिति का निर्माण किया। गांधी जी ने शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति करने का पैगाम दिया तो नेताजी ने अपनी क्रांतिकारी भावनाओं से ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध भारतीय सेना तैयार की।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी का नाम सर्वोत्तम सेनानियों के बीच अंकित होना चाहिये था लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी तथा उनके अनुयायियों की ही अधिक सराहना की और नेताजी की क्रांतिकारी भावनाओं की पूर्णतः उपेक्षा की है।

नेताजी के कार्य बड़े शानदार थे और भारतीय क्रांति की विचारधारा और प्रेरणाओं की एक ज्वलन्त प्रतिमा थे। वे भारतीय युवक आन्दोलन के निर्माता थे। वे स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और समाजवाद के प्रणेता भी थे।

उनकी आज़ाद हिन्द फौज भारतीय तथा भावात्मक एकता की एक जीवित तस्वीर थी। छत्रपति शिवाजी के बाद क्रांतिकारी प्रतिभा में उन्हीं का नाम आता है।

इसीलिये नेताजी का जन्म दिवस एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। समूचा राष्ट्र उनका ऋणी है। उनके आदर्श तथा विचार हमारी वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों में राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। हमारी सरकार नेताजी की परम्पराओं को अपनाने तथा राष्ट्र के सामने इन्हें प्रस्तुत करने में असफल रही है क्योंकि वह समकालीन राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रतिकूल प्रभाव और संकीर्णता पर काबू नहीं पा सकी।

करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार ने गांधी जी और पंडित जी के आदर्शों और परम्पराओं को बनाये रखने के लिये सरकार ने अच्छा काम किया है लेकिन नेताजी के नाम पर केवल एक राष्ट्रीय संस्था भी स्थापित नहीं कर सकी।

नेताजी महान क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक नेताओं की एक मात्र प्रतिमा हैं और हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के वे एक महान सैनिक थे। क्या सरकार नेता जी की इस परम्परा को देश की राष्ट्रीय सेना में स्थान नहीं दे सकती ? क्या सरकार देहरादून और पूना रक्षा अकादमियों का नाम नेताजी रक्षा अकादमी रखने में समर्थ नहीं है ? क्या ऐतिहासिक चिन्हों, प्रतीकों तथा आज़ाद हिन्द फौज के शौर्य पुरस्कारों को स्वतंत्र भारत की सेना में स्थान नहीं दिया जा सकता ? क्या किसी डिविजन का नाम आज़ाद हिन्द फौज और नेताजी के नाम पर नहीं रखा जा सकता ? क्या भारतीय क्रांतिकारियों के लिये कोई शहीद स्मारक स्थापित नहीं किया जा सकता ?

---

*आधे घंटे की चर्चा।

Half an hour Discussion.

सरकार को चाहिये कि नेताजी के लेखों और भाषणों तथा उनकी जीवनी की हजारों प्रतियां प्रकाशित करे। नेताजी भारतीय युवक आन्दोलन के पथप्रर्दशक, निर्माता और दार्शनिक थे। सरकार नेताजी के नाम पर युवक केन्द्रों की स्थापना कर सकती थी।

स्वतंत्रता रजत जयन्ती के इस वर्ष पहली बार नेताजी के जन्म दिवस को मनाने का कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि सरकार नेताजी के आदर्शों और परम्पराओं के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करती है। सरकार को नेताजी के आदर्शों और परम्पराओं का अनुकरण करने और उनके महान क्रांतिकारी प्रभाव को हमारे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के अभिप्राय से एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना करनी चाहिए।

*मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसे मैंने छपवाया भी था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं या नहीं। अगर अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं ऐसा करुंगा।

श्री बी० के० दास चौधरी (कुच-बिहार) : नेताजी के बारे में कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री ने नेताजी के प्रति कुछ समय पहले श्रद्धान्जलियां अर्पित की थी मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस राष्ट्र नायक की परम्परा को सम्मानित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। क्या सरकार लाल किले तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों के सामने नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का प्रयत्न करेगी ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर सके।

Shri M.C. Daga (Pali) : Netaji was an unparalled leader. I want to khow whether the Government will propagate this idea and speeches with the medium of all languages & Pictures depicting his achievements need to be exhibited by organising exhibitions at Delhi and throughout the country. It is only then that the people will get inspirations from his great life.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : लालकिले के सामने नेताजी की मूर्ति स्थापित करने की इच्छा बहुत लोगों ने प्रकट की है। इण्डिया गेट के सामने भी उनकी मूर्ति स्थापित की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त संसद् भवन के सामने भी उनकी मूर्ति होनी चाहिये। सेन्ट्रल हाल में भी नेताजी का कोई चित्र नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत : नेताजी ने इतिहास में जो स्थान ग्रहण किया है, उसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे एक महान पुरुष थे, जो युवकों के लिये प्रेरणास्रोत थे।

इस वर्ष 23 जनवरी के स्वतंत्रता जयंति की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुभाष बोस दिवस मनाया जा रहा है जिस के बारे में राज्य सरकारों को भी सूचित किया गया है। राज्य सरकारें किस ढ़ंग से यह दिवस मनायें, यह सब उन पर छोड़ दिया गया है। केन्द्रिय स्तर पर प्रसारण, शिक्षा तथा रक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

---

*चूंकि अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति नहीं दी इसलिये पत्र को सभा पटल पर रखा हुआ नहीं माना गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 जनवरी तथा इसके आसपास नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नामक चलचित्र को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव कर रहा है । क्षेत्र प्रचार निदेशालय के क्षेत्र एकक विशेष कार्यक्रम तैयार करने में लगे हुये हैं । मंत्रालय का संगीत और नाटक विभाग स्वतंत्रता आन्दोलन में नेताजी द्वारा किये गये कुशल नेतृत्व के बारे में समूचे स्वतंत्रता संघर्ष पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा । इस वर्ष अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में जारी किये गये इश्तहारों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की विषय वस्तु पर नेताजी की कहानियां भी सम्मिलित की गई हैं ।

23 जनवरी, 1973 को 10 बजे रात आकाशवाणी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर एक विशेष रुपक पेश करने की योजना तैयार कर रही है । स्वतंत्रता के अग्रदूत नामक शीर्षक के अन्तर्गत अंग्रेजी हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में चित्रों सहित नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज के सम्बन्ध में विशेष पर्चे छापे जा रहे हैं । सूचना और प्रसारण मंत्रालय "बिलडस आफ माडर्न इंडिया" में नेताजी की जीवनी तथा उनके भाषणों की श्रृंखला तथा उनकी सचित्र जीवनी प्रकाशित करने का विचार कर रहा है । शिक्षा मंत्रालय ने हिन्दी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी प्रकाशित की है जो कि दो पुस्तकों अर्थात् स्वतंत्रता के अग्रदूत तथा उत्कृष्ट भाषण से संबंधित है । यंग इंडिया लाईब्रेरीज श्रृंखलाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने आजाद हिन्द फौज के इतिहास का प्रकाशन किया है ।

संसद् भवन के केन्द्रीय कक्ष में नेताजी का चित्र लगाने सम्बन्धी प्रश्न को कुछ बर्ष पहले एक माननीय सदस्य ने उठाया था और उन्हें सूचित किया गया था कि संसदीय कार्य विभाग ने लोक सभा सचिवालय से यह सुझाव पेश करने के लिए अनुरोध किया था कि नेताजी का चित्र संसद् भवन के केन्द्रीय कक्ष में लगाया जाना चाहिये ।

नई दिल्ली में नेताजी की मूर्ती स्थापित करने के संबंध में अभी मंत्रालय ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है और न ही इस हेतु धन की व्यवस्था की गयी है । इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी । इसकी अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय ने भी आज़ाद हिन्द फौज का एक विस्तृत इतिहास संकलित करने में काफी प्रगति की है । इसमें कुछ और महत्वपूर्ण सामग्री जोड़ी जानी है और उसके बाद उसका प्रकाशन शुरू कर दिया जायेगा ।

कलकत्ता में किसी स्थान पर आज़ाद हिन्द स्मारक के निर्माण के बारे में काफी समय से पश्चिम बंगाल सरकार विचार कर रही है ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 5 दिसम्बर, 1972/14 अग्रहायण, 1894 (शक) से ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday/December 5, 1972/Agrahayana 14, 1894 (Saka).

M/B(N)18LSS—490—21-2-73—GIPS